राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ३२वां दिवस [संख्या २९

गुरुवार, १९ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६६६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६७

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६८

श्री रामेश्वरदयाल।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

धौलपुर अस्तबल की इमारत

६६९. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर स्थित अस्तबल की बिल्डिंग किस के संरक्षण में है ?

(२) क्या उक्त बिल्डिंग भूतपूर्व धौलपुर राज्य द्वारा जिस रूप में हस्तान्तरित की गई थी वैसी ही है या कुछ टूट गई है ? यदि टूटी है तो कितने मूल्य की ?

(३) क्या सरकार उक्त बिल्डिंग को, शिक्षा विभाग को छात्रावास हेतु देने को तैयार हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह प्रश्न इस विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता है, इसलिए उत्तर नहीं दिया गया।

Page No.2

प्रश्न संख्या ६७०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६७१

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६७२

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री गजा पटेल ।

थाना मानपुर से सिकराय तक की सड़क

६७३. श्री गज्जा पटेल (दौसा सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि थाना मानपुर से सिकराय तक जाने वाली सड़क, को डामर रोड बनाये जाने की स्वीकृति हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो वह रोड कब तक तैयार हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष १९५९–६० में ।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

लालसोट कस्बे में जमीन पर अनधिकृत कब्जा

६७४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि लालसोट कस्बे में मोटर स्टेन्ड व धर्मशाला के मध्य में गेंदालाल खाती ने नगरपालिका की बिना स्वीकृति के ही जमीन अधिकार में कर ली है ?

(२) यदि नगरपालिका की स्वीकृति से उसने अधिकार में ली है तो क्या नगरपालिका का टैक्स उसके ऊपर बकाया है ? यदि हां, तो कब से कब तक का ?

(३) यदि बिना स्वीकृति ही वह उस जमीन को काम में ले रहा है तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कदम उठायेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से): (१) जी हां ।

(२) कब्जा बिना नगरपालिका की स्वीकृति के कर लिया है अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन है ।

श्री प्रभूलाल पुरोहित : इसको हटाया गया या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा, बोर्ड के सामने मामला पेश है। अगर उसने नाजायज़ कब्जा किया है, तो उसे हटाना है या नहीं हटाना है, इसके ऊपर बोर्ड का फैसला हो जाय। वैसे मेरे ख़्याल में हटाना चाहिए।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह विचाराधीन कब से है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बोर्ड के सामने जब यह नाजायज कब्जे का मामला आया, तब से विचाराधीन समझना चाहिए। मुझे निश्चित तारीख का पता नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जमीन बेचने का पैसा ले लिया है ?

श्री प्रभूलाल पुरोहित : अभी नहीं लिया है, उस पर काबू रख लिया गया है थोड़े दिनों तक जब तक कि यूनीफाइड नियम बोर्ड के लिए सारे राजस्थान के लिए न बना दें। अभी जो गड़बड़ी हो रही है, इसको रोकना है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

बिजली के कन्जम्पशन के आउटस्टेंडिंग्ज की रिकवरी

६७५. **श्री गिरधारीलाल** (नौखा) :क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) एस्टीमेट्स कमेटी की एट्थ रिपोर्ट के बाद विभिन्न संस्थाओं व व्यक्तियों में बिजली के कन्ज़म्पशन के आउट स्टेन्डिंग्ज़ की रिकवरी में क्या प्रगति हुई है ?

(ख) क्या सचिव स्वायत्त शासन विभाग की आज्ञानुसार म्युनिसिपल बोर्ड अपना आउटस्टेन्डिग १० किश्तों में चुका रहे हैं ? अगर नहीं तो क्या उनसे ५ पर्सेन्ट ब्याज वसूल किया जाएगा ?

उप-मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) एस्टीमेट्स कमेटी की अष्टम रिपोर्ट में कुल ८६, ६४, ४८६ बकाया निकाला गया था। उसके मध्य जो वसूली हुई उसके प्रथम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसके मुकाबले में ३१-३-५८ को कुल बकाया रकम ६५, ५४, ०५८ रु० है। इसमें वह रकम भी सम्मलित है जिनके बिल एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद बने।

(ख) पहले भाग का उत्तर नियमित रूप से नहीं और दूसरे भाग का उत्तर, विचार किया जायगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि राजा मानसिंह पर १३ हजार रुपये ड्यू हैं ?

श्री भीखा भाई : यह अलग से प्रश्न है। दर असल एक्स रूलर्स में कितना रुपया बाकी है, उसके आंकड़े मैंने बताये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जोहरी बाजार, जयपुर) : इस बकाया रकम को वसूल करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्री गिरधारीलाल : इस बकाया रकम को वसूल करने लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्री भीखाभाई : उसके लिए कोशिश

Page No.4

(श्री भीखाभाई)

की जा रही है। म्यूनिसिपेलिटीज़ ने कुछ वसूलात कर ली हैं। उसके बारे में, जो म्यूनिसिपेलिटीज़ को सब्सिडी दी जाती है उसमें से १६५७–५८ में कुछ वसूलात एडजस्ट कीं। राजा महाराजाओं के बारे में सोच रहे हैं कि उनको जो ग्रान्ट मिलती है उससे वसूलात की जाय। इस बारे में भारत सरकार को लिखा जाय, इसके बाद में यह किया जा सकता है। जहां तक म्युनिसिपेलिटीज़ का सवाल है, उसमें नियमित वसूली नहीं हुई है। प्राईवेट पार्टीज़ से काफी वसूली हो चुकी है।

श्री भीमसेन (लूणंकरणसर) : एक्स रूल्स में कुल कितनी रकम बकाया है इलेक्ट्रिसिटी की ?

श्री भीखाभाई : २७,८३,२७३ रुपये।

श्री गिरधारीलाल : यह कब से बकाया है ?

श्री भीखाभाई : यह कब से बकाया है, इसके लिए निवेदन करूं कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, उसमें करीब करीब थोड़ा सा रुपया बकाया था।

श्री भीमसेन : इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया ?

श्री भीखाभाई : जो एक्शन लिया वह बता दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जिन प्राईवेट पार्टीज़ पर इतनी बड़ी रकम बकाया है, उनके खिलाफ पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय ?

श्री भीखाभाई : पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही हुई है, यह मैं बता सकता हूं। उसमें करीब करीब ५ लाख रुपये की वसूलात हो चुकी है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : राजाओं से जो रकम लेनी है, उसे सरकार उनकी सम्पत्ति से लेने का विचार कर रही है ?

श्री भीखाभाई : यह सरकार की मन्शा नहीं है। सरकार वसूलात की कार्यवाही कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, कुछ के विरुद्ध नहीं की जा सकती है, इस प्रकार का डिस्टिंक्शन राज्य सरकार क्यों करती है ?

श्री भीखाभाई : इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की कोई एक्जाम्पल मेरे सामने नहीं है। अगर माननीय सदस्य बतायें तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह माना जाय कि जितनी प्राइवेट पार्टीज में रकम बकाया है, उन सबके खिलाफ पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ?

श्री भीखाभाई : यह इस वक्त नहीं बता सकता कि कितने आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई। जिन्होंने रुपया नहीं दिया होगा, उनको नोटिस जारी किये होंगे।

Page No.5

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक तरफ आप कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, दूसरी तरफ स्पेसिफिक प्रश्न पूछते हैं कि प्राइवेट पार्टीज के विरुद्ध कार्यवाही की गई, तो आप बता नहीं सकते ?

श्री भीखाभाई : राजा महाराजाओं की दूसरी बात है और नगरपालिकाओं की दूसरी बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजा महाराजाओं का प्रिविलेज नहीं है। रिकवरी के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, वह माननीय सदस्य के खिलाफ चीज है। I know there is inconsistency. अगर कोई रिकवरी करनी है तो वह पी. डी. आर. के तहत होनी चाहिए। यह अशोभनीय बात है, शर्म की बात है, अगर सदन के सदस्य के खिलाफ पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री भीखाभाई : यह बात नहीं है, अशोभनीय बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य जिन जिन के प्रति डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार हुआ है उसकी सूची दे दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने बताया कि ऑनरेबल मेम्बर श्री मानसिंह के अन्दर बकाया है, उसकी वसूली क्यों नहीं करते हैं ?

श्री अध्यक्ष: वे स्वीकार नहीं करते हैं कि यह बात सही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Let him say so, Sir.

श्री अध्यक्ष : He says it is not in his notice.

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो महाराजाओं पर रकम बकाया है और यदि उनमें से कोई यह रकम न दे तो उसकी वसूली के लिये वही नियम लागू किये जायें जो आम जनता पर लागू किये जाते हैं, क्या इस तरह की सिफारिश की थी ?

श्री भीखाभाई : यह सिफारिश देखी नहीं, वसूली के बारे में।

श्री गिरधारी लाल : अब तक किन किन महाराजाओं के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

श्री जनार्दनराय नागर : राजा महाराजाओं के खिलाफ जो रकम है, क्या उसे उनकी सम्पत्ति से वसूल करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि वसूलात की जायगी।

श्री गिरधारीलाल : अब तक कहां तक प्रगति की ? एक दो राजा महाराजाओं के नाम बता सकते हैं, जिनके खिलाफ आपने कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : ८६ लाख की जगह ६५ लाख बकाया रकम हो गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य ने कहा कि एस्टीमेट्स कमेटी ने सिफारिश की है, उसका जवाब माननीय उप-

Page No.6

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मंत्री ने दिया कि उन्होंने सिफारिश देखी नहीं है। मैं समझता हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी हाउस की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है, वह कोई सिफारिश करे, मैं समझता हूं उसे माननीय मंत्री पढ़ते रहें और जो कमेटी सिफारिश करे, उसके अनुसार कार्यवाही करें। मैं समझता हूँ कि अगर कार्यवाही नहीं होती तो कमेटी का कोई पर्पज़ नहीं है। इस प्रकार नेग्लीजेन्स नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उम्मेदीलाल।

श्री गिरधारीलाल : इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की अलग अलग कितनी रकम बकाया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदी लाल।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न रेज़ किया कि जो एस्टीमेंट्स कमेटी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश करती है, मंत्री महोदय देखते नहीं सिफारिश को....

श्री भीखाभाई : यह नहीं कहा।

श्री श्रीभानसिंह : यह लेजिस्लेटिव बॉडी की कमेटी है, उसकी इम्पोर्टेन्स है, वह कमेटी रिपोर्ट देगी। It is up to him to see to it but the Hon'ble Minister says that he did not look to the recommendations. It is the duty of the Government to accept...

श्री भीखाभाई : I said it is not to my knowledge. I have not just referred to that report and it should not be misunderstood.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : It is not an obligation on the Government to read the report of the Public Accouuts Committee or the Estimates Committee and to do accordingly.

श्री अध्यक्ष : To do more than it.

श्री श्रीभानसिंह : On what basis he has replied whenhe says that he has not read. I must humbly submit to the House that it is a disregard to the importance of the Estimates Committee.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Some instructions should be given.

श्री अध्यक्ष : You have done that.

श्री जनार्दनराय नागर : We want your Ruling, Sir.

श्री अध्यक्ष : I am always with the Hon'ble members in such matters.

श्री श्रीभानसिंह : These are the matters of financial control about which the Estimates Committee has given its report and about those controls the reply of the Government side is, 'I did not read the report.' He is replying without reading the report. It is rather very inconsistant position...

Page No.7

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि खुद उप-मंत्रीजी ने साफ कर दिया है कि हमारा यह मतलब नहीं कि हम रिपोर्ट को पढ़ते ही नहीं, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते, पर स्पेसिफिक रिकमन्डेशन के बारे में पूछा है, इसके बारे में कई रिकमन्डेशन्स हो सकती है। एक रिकमन्डेशन उन्होंने पढ़ी नहीं है, इसका मतलब माननीय सदस्य इतना खींच कर ले जांय कि हम लोग रिपोर्ट पढ़ते ही नहीं हैं। उसकी ओर कतई ध्यान ही नहीं देते हैं, यह वाजिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

करौली मासलपुर सड़क पर पुलियां

६७६. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बरसात में तहसील करौली से मासलपुर सड़क पर पुल व पुलियां न होने से रास्ता बन्द हो जाता है और उस इलाके की जनता करौली नहीं आ पाती है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क पर पुल व पुलियां बनवाने का इरादा रखती है? अगर हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा? अगर नहीं तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, नाले में पानी आजाने पर।

(ख) कोई प्रस्ताव नहीं है, अर्थाभाव के कारण।

श्री उम्मेदीलाल : तो क्या यह माना जाय कि वहां के लिए ही धन की कमी रहती है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ही के इलाके के लिये नहीं सारे राजस्थान में इस तरह के आवश्यक पुल और पुलियों को बनाने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए। अर्थाभाव के कारण उनको नहीं बना पा रहे हैं। इस सारे काम के लिए पूरे राजस्थान के लिए ३५ लाख की धन राशि है, तो इसी के हिसाब से सारे राजस्थान पर खर्च कर रहे हैं। तो यह आपके इलाके के लिए ही नहीं है, आपके इलाके में तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मैं यह जानना चाहूंगा कि यह एक्सपीडिएट है या इक्विटेबल है?

श्री नाथूराममिर्धा : सारे राजस्थान के वेलफेअर को दृष्टि में रखते हुए सारे राजस्थान के इम्पोर्टेन्ट लिंक्स हैं, उनको जोड़ा जाय, इस प्रकार के कार्यों को अन्डरटेक किया है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

छोटी सादड़ी नगरपालिका के सचिव के विरुद्ध शिकायत

६७७. **डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या छोटी सादड़ी नगरपालिका के सचिव, श्रीराम सक्सेना, के विरुद्ध सरकार के पास शिकायत आई थी?

Page No.8

(डॉ० चन्द्रकला)

(२) क्या यह सच है कि इन शिकायतों के आधार पर उक्त सचिव के ट्रान्स्फर का आदेश हो चुका था ? यदि हां, तो फिर ट्रान्स्फर क्यों रुक गया ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से ।) :

(१) जी हां ।

(२) जी हां । अध्यक्ष नगरपालिका की सिफारिश पर श्रीराम सक्सेना का स्थानान्तर रोक दिया गया था ।

डॉ० चन्द्रकला : सचिव नगरपालिका, छोटी सादड़ी की शिकायत आई तो क्या आई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ इर्रेग्युलेरिटीज़ की शिकायत आई थी ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही नहीं है कि नगरपालिका के ६ में से ७ सदस्यों ने शिकायत की थी कि वे हर वक्त शराब पीये रहते हैं, न केवल घर पर ही शराब पीते हैं बल्कि ऑफिस में भी शराब पीते हैं, और इस आधार पर उनका ट्रान्सफर हुआ था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे यह तो पता नहीं कि स्पेसिफिक शराब की शिकायत की हो । उनके खिलाफ जो शिकायत थी उसकी प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा जांच करवाई गई और प्रादेशिक निरीक्षक ने जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट लिखी है उसमें लिखा है कि जो शिकायत की गई है वह निराधार है और साबित नहीं हो सकी है ।

डॉ० चन्द्रकला : फिर अध्यक्ष की सिफारिश पर उसको रखने का कारण क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष ने कहा कि शिकायत साबित नहीं हुई है, इसलिए यहीं रखा जाय ?

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि अध्यक्ष भी साथ में बैठ कर शराब पीते थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नहीं कह सकता कि वे शराब पीते थे ।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम ।

थानेदार बांदीकुई की शिकायतें

७५८. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मौजूदा थानेदार बांदीकुई जिला जयपुर लगातार १०, १२ वर्षों से सर्किल दौसा में ही रहता आया है ?

(२) क्या उक्त थानेदार के खिलाफ बांदीकुई व लालसोट की जनता द्वारा काफी शिकायतें उच्चाधिकारियों के पास व सरकार के पास की गई है ?

(३) क्या सरकार उक्त थानेदार के खिलाफ शिकायतों की जांच करवायेगी ? अगर हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

Page No.9

कृषि मंत्री (श्रीनाथूराम मिर्धा, गृह मंत्री की ओर से): (१) जी नहीं, यह दौसा सर्किल में १६५४ से है।

(२) जी हां, उसके खिलाफ शिकायतें आई हैं।

(३) प्राप्त हुई शिकायतों की जांच शुरू की जा चुकी है।

श्री गिरधारीलाल (नौखा) : क्या शिकायतें हैं, मन्त्री महोदय बतायेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके खिलाफ कुल १२ शिकायतें हैं, दो को तो जांच करके फाइनेलाइज कर दिया है, शिकायतें बिलकुल झूंठ पाई गई हैं। २ सी. ओ., दौसा के पास चल रही हैं, किस प्रकार की शिकायतें हैं, इसका स्टेटमेंट मेरे पास है। दो फाइनेलाइज़ हुई हैं बाकी जेर तजवीज़ हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जांच किस तरह से हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच का तरीका है, उसके माफिक हुई।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

गम्भीर नदी पर पुल

६७९. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली-सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया उत्तर देंगे :

क्या सरकार को विदित है कि हिन्डौन इलाके में मऊ के पास गम्भीर नदी बरसात में रास्ता रोक देती है, जिससे करौली हिन्डौन का यातायात सड़क द्वारा बन्द हो जाता है ? अगर हां, तो क्या सरकार का इस नदी पर पुल बनाने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री उम्मेदीलाल : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह विचाराधीन कब तक रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक कि एस्टीमेट्स बन कर फाइनल नहीं हो जायं। करीब ६ लाख की कोस्ट आती है। अगर ओवर ब्रिज बनाते हैं तो रपट के तरीके पर बनायें तो ढाई लाख की कॉस्ट आती है। यह एस्टीमेट्स रफ तोर पर तैयार हुए हैं, फाइनल होने पर ही पूरा कह सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) क्या सरकार को मालूम है कि करौली से हिन्डौन जाने के लिए रेल की भी सहूलियत नहीं हैं, यही एक रास्ता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : रेल नहीं है, यह तो सभी जानते हैं, राजस्थान की ओवरआल तस्वीर देखें तो इससे भी कहीं अधिक ज़रूरी काम बड़ी तादाद में मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

वैद्यों का रजिस्ट्रेशन

६८०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) (डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान में आयुर्वेदिक का कार्य करने वाले वैद्य को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ?

Page No.10

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(२) यदि हां, तो कितने वैद्यों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए दर्ख्वास्तें बोर्ड के सामने पेंडिंग हैं ? सूची मय तारीख दर्ख्वास्त सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(३) इनका अब तक पैंडिंग रहने का क्या कारण है ?

उपमन्त्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखा भाई) : (१) राजस्थान इन्डियन मैडिकल एक्ट, १९५३ के अनुसार प्रत्येक आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सक को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है ।

(२) १००१ । सूची सदन की टेबिल पर रख दी गई है ।

(१) इनके पैंडिंग रहने के निम्न कारण हैं :

१. केवल अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिये आवेदन पत्र लेने की अन्तिम तिथि १२-८-५८ थी जिससे अन्तिम तिथि तक पर्याप्त मात्र में आवेदन प्राप्त हुए, जिनके शुल्क जमा कराने एवं रसीद काटने आदि में आवश्यक कार्यवाही की गई । तत्पश्चात् बोर्ड के नियमानुसार ज़िले हैड क्वार्टर्स पर जा कर साक्षात्कार किये जा रहे हैं, साक्षात्कार करने की सूचना १५ दिवस पूर्व दी जाती है । अब तक बीकानेर, जोधपुर, सीकर, रतनगढ़, जयपुर, अलवर, आबू, आदि ज़िलों के केसेज़ किये जा चुके हैं ।

२. बहुत से आवेदन पत्र शुल्क प्राप्त नहीं होने से ।

३. कुछ निर्धारित फार्मों के अभाव में विचाराधीन हैं और कुछ अपूर्ण हैं ।

४. साक्षात्कार के लिये उपस्थित नहीं होने से ।

५. रजिस्ट्रार के कार्यालय में केवल ४ ही लेखक हैं अतः स्टाफ की कमी का कारण भी प्रमुख है ।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० बहादुरसिंह : जिन लोगों ने शुल्क नहीं दिये उनके प्रार्थनापत्र किस आधार पर पैंडिंग हैं ?

श्री भीखाभाई : शुल्क जमा कराने की सूरत में ही प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जाता है ।

डॉ० बहादुरसिंह : तो फिर क्या उनसे दुबारा कह कर शुल्क जमा करेंगे, या उनके प्रार्थनापत्र रिजेक्ट कर दिये जायेंगे ?

श्री भीखाभाई : रिजेक्ट करने का कोई सवाल नहीं है ।

डॉ० बहादुरसिंह : जो १००१ प्रार्थनापत्र पैंडिंग हैं उनको बोर्ड कब तक निबटाने की कोशिश करेगा ।

श्री भीखाभाई : जल्दी कोशिश की जायगी और तरीके भी ढूंढ़े जायेंगे ?

Page No.11

डॉ० बहादुरसिंह : और तरीके क्या ?

श्री भीखाभाई : सब कमेटियां स्थापित करके।

डॉ० बहादुरसिंह : किस रूल से सब-कमेटियां मुकर्रर करेंगे ? इससे ऐसा कोई रूल नहीं है। एक ही सब-कमेटी का कानून में है।

श्री भीखाभाई : कानून के अनुसार हो सकती हैं तो करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : १००१ एप्लीकेशन्स पैंडिंग पड़ी हुई हैं उनके लिये क्या सरकार बोर्ड को हिदायत देने को तैयार है कि उन वैद्यों का फौरन रजिस्ट्रेशन करे ?

श्री भीखाभाई : आपकी भावना के अनुसार कार्यवाही करने की कोशिश की जायगी।

डॉ० बहादुरसिंह : इतने लोगों के प्रार्थनापत्र रुके पड़े हैं, इस कारण उनको कितना नुकसान हो रहा है कि प्रेक्टिस नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : वे तो प्रेक्टिस कर रहे होंगे।

श्री जनार्दनाराय नागर (मावली): यह तो वैद्यों का मामला है यों ही चलाता है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जिन लोगों के सर्टिफिकेट्स तैयार हो गये हैं और रजिस्ट्रेशन हो गये हैं, मगर उनको अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि १५ दिन पहले उनको इत्तला दी गई है।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अभी तक उनके पास कोई इत्तिला नहीं पहुँची है। क्या आप इसके लिये उचित प्रबन्ध करेंगे ?

श्री भीखाभाई : अगर माननीय सदस्य मुझे उसकी सूची दे दें तो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सीधमुख नहर से गंगानगर ज़िले की सिंचाई

६८१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गंगानगर ज़िले में सीधमुख नहर आवेगी ? यदि हां, तो कब तक और उसमें किन किन तहसीलों के कौन कौन से गांव आवेंगे ?

(२) इस नहर से कुल कितना रकबा कमांड होगा और उसके लिए कितने क्यूसेक्स पानी की जरूरत होगी ?

(३) यह नहर पंजाब की कौनसी नहर से निकलेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) :

(१) योजना अभी विचाराधीन है निश्चित होने पर ही डिटेल्स बताई जा सकती हैं।

Page No.12

(श्री भीखाभाई)

(२) प्रारम्भिक जांच के अनुसार लगभग ३ लाख एकड़ ग्रोस रकबा कमांड हो सकेगा और उसके लिए ७०० क्यूसेक्स पानी की जरूरत रहेगी।

(३) यह अभी निश्चित नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह सक्रिय विचाराधीन कब से हुआ।

श्री भीखाभाई : यह सक्रिय विचाराधीन है। बहुत लम्बे समय से हैं। इसमें दूसरी सरकारों से भी समझौता करना पड़ता है और बात चीत करनी पड़ती है इसलिए समय लगता है।

श्री भीमसेन : तीसरी पंच वर्षीय योजना में तो इसको पूरा करने का विचार है ?

श्री भीखाभाई : दूसरी सरकारों से समझौता करने और उनसे बात चीत करने की बात है, इसमें समय लगता है, अन्यथा अभी भी लिया जा सकता है और बाद में भी समय लग सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि विचाराधीन शब्द को ही डिक्सनेरी से हटा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जोधपुर वाटर वर्क्स स्टाफ का फिक्सेशन

६८२. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जोधपुर वाटर वर्क्स के स्टाफ का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ?

(२) अगर हां, तो उन का फिक्सेशन कब तक कर दिया जावेगा ?

मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) हां, कुछ स्थायी कर्मचारियों का तथा कई चार्ज कर्मचारियों का फिक्सेशन अभी तक नहीं हुआ है।

(२) स्थायी कर्मचारियों का फिक्सेशन करीब करीब २ माह में कर दिया जावेगा। वर्क चार्ज कर्मचारियों का फिक्सेशन अभी विचाराधीन है और निर्णय के अनुसार उनका फिक्सेशन किया जावेगा।

श्री गिरधारीलाल : यह फिक्सेशन कब से किया जावेगा; सन् १९५० से या अब से।

श्री नाथूराम मिर्धा : फिक्सेशन ५० से सब का हुआ तभी से होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

भूतपूर्व कोटा राज्य के पुलिस कर्मचारियों से लोग के काट जमानत की रकम की वापसी

६८३. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(क) क्या भूतपूर्व कोटा स्टेट काल में पुलिस अधिकारियों से काट जमानत के नाम से कुछ रकम ली जाती थी तथा इस तरह करीब ३ लाख रूपया सरकार के पास जमा हो गये थे ? यदि हां, तो उस धनराशि का क्या हुआ ?

(ख) क्या आई० जी० पी० राजस्थान ने काट जमानत की धनराशि को बांट देने के लिये कोआॅपरेटिव सोसाइटी, कोटा को अधिकार दे दिया था ? यदि हां, तो वह धन राशि कब दी गई ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि काट जमानत की रकम जिन कर्मचारियों से काटी गई थी, उनमें से कुछ अब नौकरी में नहीं हैं तथा कितने ही मर गये ? यदि हां, तो उनकी रकम किनको वापस की जावेगी ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, गृ मंत्री की ओर से) :

(क) जी हां । दिनांक ५–२–१९५४ को काट जमानत की कुल रकम ४५,३३६ रू० १ आ० ६ पा० निम्नलिखित रूप में जमा थी :

१. ४०,००० रू० पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ।

२. ५३३४ रु० १ आना कोआॅपरेटिव बैंक कोटा में

३. ४२ रू० ६ आना नकद

(ख) पुलिस अनिवार्य बचत समिति कोटा का काम असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़, कोटा को ४-६-५७ को मय कागज़ात के सौंप दिया गया और उन्हीं को समिति के सारे खातों के भुगतान के लिये अपसायत (liquidator) नियुक्त किया गया। धनराशि उपरोक्त रूप में जमा थी।

(ग) जो व्यक्ति अब नौकरी में नहीं है अथवा मर चुके हैं उनके संबन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अब तक उनको रकम वापिस नहीं लौटाने के क्या कारण हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसको नहीं लौटाई गई ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जिनको देनी थी उनको।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनके एड्रेसेज़ का पता नहीं हो उनको कैसे दी जा सकती है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अब तक किन किन को नहीं दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनको देना है उनको दिया गया है और जिनसे हमको कुछ लेना बाकी है, हम मांगते है उनको हमने नोटिस दिया है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने के पहले उनसे नहीं पूछा गया जिनके रुपये जमा थे ?

Page No.14

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले सोसाइटी थी मगर लोगों के तबादले एक जगह से दूसरी जगह हो गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यह रुपया वसूल नहीं करती थी पुलिस के अधिकारी वसूल करते थे,

श्री नाथूराम मिर्धा : A society named 'Police Sachat' was formed. वही रुपया उधार देते थे और वसूल करते थे। कोटा के पुलिस के आदमी नहीं करते थे लेकिन सहकारी समिति करती थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जावे कि इनके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लिये गये हैं...

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है कि यह अभी की रकम जमा नहीं है। यह बहुत पुरानी रकम जमा है, १६५७ में २०० के ड्यू हो गये हैं। वे पुरानी जमा के हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : जिन के रुपयों के सर्टिफिकेट खरीदे गये और जो ड्यू होंगे उनको क्या कैश दिया जावेगा जब उनका पेमेंट ड्यू होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर कैश दिये जावेंगे। सर्टिफिकेट को बटा कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बांसूर, कोटपूतली, डाबला रोड

६८४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि बान्सूर कोटपूतली डाबला रोड का बान्सूर से कोटपूतली तक का हिस्सा ही बनाया गया है तथा कोटपूतली से डाबला तक का नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक बनाया जायेगा ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क पर कोट से कल्याणपुरा तक गेंग भी दिया हुआ नहीं है ?

मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। कोटपूतली से डाबला तक सड़क सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में स्वीकृत नहीं है।

(२) जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पंचायत एक्स्टेंशन ऑफिसर्स

६८५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कितने पंचायत एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स नवम्बर, ५८ से पूर्व थे तथा आज तक कितने हैं ? ये किस किस ग्रेड में इस समय हैं ?

(२) क्या यह सही है कि पहले से ८०-५-१७५ के ग्रेड में कार्य कर रहे पंचायत ऐक्स्टेन्शन ऑफिसर्स को चान्स न देकर ११०-२२५ के ग्रेड में ६०-४-८०-५-१२५ की ग्रेड में काम कर रहे ब्लाक लेवल वर्कर्स को चान्स दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No.15

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थान में नवम्बर ५८ से पूर्व ११७ पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर्स थे। अब १६२ हैं। जिनमें से ६७, ११०, ५-१२० ई. बी. १०-२२५ की ग्रेड में। ९५ : ८० : ५, १२० ई, बी ५ : १७५ की ग्रेड में।

(२) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही नहीं है कि पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसरों को चान्स नहीं देकर, ब्लॉक लेवल वर्कर्स को पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर्स बनाये गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग व्यक्तियों की जानकारी मैं नहीं दे सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सन् ५८ के बाद में जिन जिन व्यक्तियों को लिया गया, उनका सलेक्शन किसने किया ? स्वयं ने किया है या पब्लिक सर्विस कमीशन से किया गया या किसी सलेक्शन बोर्ड ने उनको सलेक्ट किया ?

श्री दौलतराम सारण : इसके लिये एक कमेटी कुछ व्यक्तियों की बनी थी उसने इनका सलेक्शन किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कमेटी कब बनी और किन किन व्यक्तियों की दरख्वास्तें आई ?

श्री दौलतराम सारण : कमेटी डवेलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाई थी। उसमें कई सदस्य थे और उन्होंने सलेक्शन किया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने केन्डीडेट्स इन्टरव्यू के लिए आये थे और उनको किसने सूचना दी थी ?

श्री दौलतराम सारण : इसमें कुछ तो ग्राम सेवक समाज के थे और कुछ पंचायत विभाग के लोग थे, उनको लिया गया। इसलिए कुल ११० जो हैं, विकास अधिकारी पुनर्गठन के बाद लिए गए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि सलेक्शन के पहले सलेक्शन के लिये कोई रूल्स थे ?

श्री दौलतराम सारण : रूल्स का पंचायत विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विकास से सम्बन्धित है। उनको वेतन विकास विभाग देता है और वे काम करते थे। पंचायत विकास अधिकारियों में से कुछ को तो विकास विभाग से ही तनख्वाह मिलती और कुछ को पंचायत से मिलती है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का तो उत्तर आ गया कि कोई रूल्स नहीं बने हैं। क्या यह सही है कि रूल्स नहीं होने के कारण सरकार ने कई ऐसे लोगों को मौका दिया है जिनको...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या जिन लोगों को बुलाना था उन सबको सूचना नहीं दी और सब को इन्टरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि कोई रूल्स नहीं हैं....

Page No.16

श्री अध्यक्ष : एक्स्टेन्शन ऑफिसर लिए गए हैं उनका सलेक्शन डवेलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि चूंकि रूल्स नहीं बने थे इसलिए सारे सलेक्शन स्थगित कर दिये गये।

श्री दौलतराम सारण : वह तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के बारे में था।

एक माननीय सदस्य : कितने आदमियों को और किस आधार पर बुलाया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : सिर्फ वी. एल. डब्ल्यू. को बुलाया गया, उनके नामों की किसने सिफारिश की थी ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : उनको बुलाने का ज़रिया क्या था, तथा ये किस तारीख को बुलाये गये ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपसे कहा कि मैं इस समय यह निश्चत रूप से नहीं कह सकता। या तो विकास खंड अधिकारी ने सिफारिश की होगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि डाइरेक्टर पंचायत, ब्लॉक डवेलपमेंट ऑफिसर्स या जिला डवेलपमेंट ऑफिसर्स ने इसकी सूचना दी थी कि अमुक वी. एल. डब्ल्युज़ के लिए सिफारिश की जा सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : सलेक्शन कमेटी ने सलेक्शन किया था। सूचना देने का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : फिर सूचना कैसे मिल गई ?

श्री अध्यक्ष : नाम सिफारिशों के साथ नीचे से आये होंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि डाइरेक्ट अपॉइन्टमेंट्स भी किए गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह डवेलपमेंट विभाग से सम्बन्ध रखता है इसलिए माननीय मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : He is also right, Sir.

श्री भीमसेन : इसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान आकाशवाणी से कहीं सूचना प्रसारित नह कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : We will transfer this question to the Development Department. प्रश्न डवेलपमेंट कमेटी का है। डवेलपमेन्ट के अधिकारियों की कमेटी थी। ये ऑफिसर्स उनके अन्तर्गत काम करते थे और उनको सिलेक्ट करने का उनको अधिकार हो सकता है।

Page No.17

श्री भीमसेन : लिस्ट मेरे पास मौजूद है। १५ का डाइरेक्ट अपॉन्टिमेन्ट किया गया है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अगले सप्ताह और बढ़ा देंगे।

(विराम)

श्री जयचन्द्र मोहिल ।

पी. टी. एस. किशनगढ़ में थानेदारों की ट्रेनिंग

६८६. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु०) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पी. टी. एस किशनगढ़ में सन् ५७-५८ व ५८-५६ में थानेदारों की ट्रेनिंग में कितने व्यक्ति लिये गए ?

(२) इन दो सालों की ट्रेनिंग में कितने शिडयुल्ड कास्ट के व्यक्ति लिये गये हैं ?

(३) क्या शिड्युल्ड कास्ट के लिए कोई यहां रिजर्व सीट्स रखी गई हैं ? यदि, हां तो कितनी और नहीं तो क्यों ?

(४) शिक्षणार्थियों का चयन किस आधार पर किया गया ? शिड्युल्ड कास्ट के व्यक्तियों को क्या कोई सहूलियत दी जाती है ? नहीं, तो क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा, गृहमन्त्री की ओर से) : (१) प्रत्येक वर्ष के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	५७	५८	५६
(ए) पब्लिक केन्डीडेट्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं	४
(बी) विभागीय	,,	८	१२
(सी) पी. एस. आई की शिक्षा हेतु	,,	८	८

(२) एक शिड्युल्ड कास्ट का उम्मीदवार सन् १६५६ के सेशन में सिलेक्ट किया गया।

(३) साढ़े बारह प्रतिशत रिक्त स्थान शिड्युल्ड कास्ट व शडयुल्ड ट्राइब्स् के लिए रिज़र्व हैं और अगर योग्य व्यक्ति मिलते हैं तो रिज़र्व्ड जगह उनसे भरी जाती है।

(४) एस. आई. और पी.एस.आई. के सलेक्शन करने हेतु उम्मीदवारों से प्रार्थना पत्र ज़िला एस. पी. द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं जो कि आगे रेन्ज़ डी. आई. जी. पी को समर्पित करते हैं। रेन्ज हैडक्वार्टस पर उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के पश्चात् रेन्ज डी. आई. जी.पी., कलेक्टर तथा डिविज़नल हैडक्वार्टर्स पर एस. पी. के बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू होता है। रेन्ज डी. आई. जी. पी. प्रश्नोत्तरी को इन्टरव्यू में उम्मीदवारों को दिये गये नम्बरों की लिस्ट के साथ पुलिस हैडक्वार्टर्स पर भेजते हैं। प्रश्नोत्तरी जांचने के बाद रिज़ल्ट शीट तैयार की जाती है और सबसे अधिक नम्बर पाने वालों का प्रत्येक रेन्ज के अनुपात में योग्यतानुसार सलेक्शन किया जाता है। शिड्युल्ड कास्ट व शिड्युल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवारों की आयु-बन्धन २६ वर्ष है।

श्री शंकरलाल : (रायपुर) यहां जो ट्रेनिंग दी जाती है उनको भ्रष्टाचार में न पड़ने के लिए दी जाती है····

Page No.18

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : (आमेर सु.) जो इन्स्पेक्टर्स बनाये गये थे क्या वे पी. एस. आई. का काम कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मुझे पता नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : कितने आदमी काम कर रहे हैं, टोटल तो बता दीजिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बता दिया न ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : प्रश्न के भाग २ में पूछा गया है कि इन दो सालों में कितने शिड्युल्ड कास्ट के व्यक्ति लिये गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बताया कि एक ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष सलेक्शन हुआ तो डिपार्टमेन्ट प्रमोशन भी किया गया तो उसमें शिड्युल्ड कास्ट के कितने लिये गये ?

श्री शंकरलाल : ट्रेनिंग कैसे दी जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिलेबस दिया हुआ है और इसको मैं पढ़ूं तो काफी समय लगेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाज़ार जयपुर) : ज़मीन भी दी जाती है ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : ८ आदमियों को प्रमोशन दिया गया तो उनमें से शिड्युल्ड कास्टस् के कोई नहीं हैं । जहां प्रमोशन का सवाल है वहां कम से कम एक शिड्युल्ड कास्ट के व्यक्ति को भी दिया जाता तो अच्छा होता ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सोचते हैं, वैसे हमदर्दी से हम भी सोचते हैं । लेकिन जहां नियमों का सवाल आता है, तो नियमों में यह कर दिया कि दूसरी जाति के लोगों को २५ साल की उम्र तक के ही लेंगे और शिडयुल्ड कास्ट के लिए २६ साल की उम्र कर दी है । शिड्युल्ड कास्ट का जो कोटा है उसमें भी ध्यान रखते हैं लेकिन प्रोमोशन में भी उनका रिजर्वेशन कर दिया जाय यह नियमों के विरुद्ध पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ पड़ता है । इसलिए यह उचित नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नियम बनाना तो आपके ही हाथ में है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे हाथ में है लेकिन जब ऐसे बेहूदा नियम बनायेंगे तो सब ही लोग कहेंगे कि ये अच्छे नहीं है ।

(हंसी)

श्री शंकरलाल : लेकिन भावना को भी काम में लिया जावेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : भावना को काम में लिया है जब ही तो रिजर्वेशन किया गया ।

Page No.19

श्री रामचन्द्र चौधरी (हनुमानगढ़) : क्या राजस्थान सरकार की यह नीति नहीं है कि शिड्युल्ड कास्ट के लोगों को इसीलिए रिजर्वेशन दिया जाता है कि वे कमज़ोर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी नीति है और उसी के अनुसार किया है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : डिपार्टमेन्टल तरक्की देते हैं तो उसमें इन लोगों को विशेष सुविधा देने का प्रावधान रखा गया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दुस्तान की सारी स्टेट्स हैं उनमें भी शिड्युल्ड कास्ट को प्रोमोशन के वक्त रिजर्वेशन दिया जाय, यह कहीं बता दें तो मैं मान लूंगा । यह हो नहीं सकता है । भर्ती करने के लिए रूल्स के अन्तर्गत क्या रिलेक्सेशन दिया जा सकता है यह मैंने आपको बता दिया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या माननीय मंत्री महोदय इसको महसूस करते हैं कि कम से कम ८ आदमियों में से एक शिडयुल्ड कास्ट के व्यक्ति को लेते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिलकुल ठीक बात है । ८ में से एक लें । लेकिन यह लेना, करना हम नहीं कर सकते नियमों के प्रतिकूल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शिडयुल्ड कास्ट बेहुदा है बेहूदा तो कैसे कहा ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : बेहूदा रूल्स के लिए कहा ।

श्री रामचंद्र चौधरी : केन्द्रीय सरकार की ऐसी नीति है और अनुसूचित जाति के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ऐसी सिफारिश की है कि हरिजनों को भी डिपार्टमेंन्टल प्रोमोशन्स दिये जायं और जो कमी है उसको ट्रेनिंग देकर पूरा किया जावे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : Within Rules.

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

लूणकरणसर व बीकानेर तहसीलों की ग्राम पंचायतों द्वारा सस्ते गल्ले की मांग

६८७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री खाद्य व रसद विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर ज़िले की लूणकरणसर तथा अन्य तहसीलों की किन २ ग्राम पंचायतों द्वारा उनके क्षेत्र में सस्ती दर पर जनता को अनाज मुहैय्या करने की मांग की गई है ?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

मंत्री यातयात विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा, रसद एवं खाद्य मंत्री की ओर से) :

(क) बीकानेर ज़िले में पंचायतों की तरफ से सस्ते अनाज की दूकानों के लिए कुल १४ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं :

Page No.20

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नाम तहसील		प्रार्थना पत्र की संख्या
१.	बीकानेर	११
२.	लूणकरणसर	१
३.	कोलायत	१
४.	नोखा	१
	कुल	१४

(ख) सरकार ने समस्त ज़िले में कुल ८२ सस्ते अनाज की दूकानें खोल रखी हैं।

श्री भीमसेन : पंचायत एरिया में कितनी दूकानें खोल रखी हैं। ये तो सारी बीकानेर म्युनिसिपेलिटियों में है। इस वर्ष बीकानेर ज़िले का अधिकांश इलाका ऐसा है जहां अनाज पैदा नहीं हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भी बात सही नहीं है। पलाना में एक, कूंगास में एक, इनके प्रार्थना पत्र आये, नोखा में २, देशनोक में २, नापासर में २, कोलायत १, लूणकरण सर १।

श्री भीमसेन : ये तो म्युनिसिपल एरिया में है। पंचायत एरिया के लिए निवेदन किया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : दस हजार से नीचे की आबादी में नहीं खोल सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ये आपके आदेश में या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऐसे आदेश हैं कि दस हज़ार से नीचे की आबादी में नहीं दी जावें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की इस प्रकार की हिदायत है कि जिस इलाके में गेहूं पैदा नहीं होता है वहां सस्ते अनाज की दूकानें न खोली जायं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं खोली जांय. ऐसे आदेश तो नहीं है लेकिन जहां तक बीकानेर डिवीज़न का ताल्लुक है वहां के मार्केट की डिमान्ड और सप्लाई पर चलता है। जहां पर धान की कमी है, वहां नागौर में जहां धान ज्यादा है वहां से चला जायगा। चूरू डिस्ट्रिक्ट में धान की बहुतायत है वहां से आ सकता है। इस तरह से काम चल सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : धान खुद चला जाता है या किसी के द्वारा लाया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : धान पर कोई रोक नहीं है, बाजरा और अन्य धान आ सकते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार को पता है कि बीकानेर के एक ज़िले से दूसरे ज़िले में धान आ नहीं सकता, इस प्रकार का प्रतिबन्ध है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले था अब हटा दिया गया है।

श्री भीमसेन : भारत सरकार के आदेश हैं कि दस हजार की आबादी से कम जहां की आबादी हो, वहां दूकानें न खोली जायं। उसके अनुसार नापासर, कोलायत जहां की

(श्री भीमसेन)

आबादी दो हजार ही है वहां आपने कैसे दूकानें खोली ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप लोगों से ज्यादा दबाव आने के कारण।

श्री भीमसेन : तो हमारा तो यह भी अनुरोध है कि जहां अनाज पैदा नहीं हुआ है और जहां की अर्जियां आपके पास आयी हैं वहां भी खोल दी जांय।

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे आप ज्यादा परसू नहीं कीजिये नहीं तो यही दिक्कत सारे राजस्थान के लिये आने वाली है।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा दबाव आप पर किनका पड़ता है वह बता दीजिये ताकि दूसरे माननीय सदस्य भी अपने अपने इलाकों में दूकानें खुलवाने के लिये उस दबाव का प्रयोग कर सकें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीकानेर ज़िले की कुछ डिफरेंट पोजीशन थी। एक तो पिछले दो सालों से वहां अकाल पड़ा था, वहां की अनाज की हालत ज्यादा खराब है, इसलिये थोड़ी सरकार ने उसको विशेष रियायत दी है।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : वहां की विशेष परिस्थिति का खयाल रखते हुए उन इलाकों के अन्दर जहां की पंचायतों ने अर्ज़ियां दी हैं वहां भी इस प्रकार की सस्ते अनाज की दूकानें खोल दी जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आजकल हालत अच्छी है।

श्री गिरधारीलाल : जहां से दर्ख्वास्तें आयी हैं, उनमें से एक भी जगह पर आपने दूकानें नहीं खोली है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां से दर्ख्वास्तें आयी उनके भी नाम बता दिये और जहां दूकानें खोली गई वह भी बता दी है।

श्री गिरधारीलाल : उन पंचायतों के नाम आपने नहीं बताये जिन्होंने दर्ख्वास्तें दी और वहां दूकानें नहीं खोली गई। क्या उनमें से एक भी जगह दूकान नहीं खोली गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं खोली।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

आयुर्वेदिक औषधालय पाली का प्रथम श्रेणी में परिवर्तन

६ ८८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) पाली शहर में स्थित आयुर्वेदिक औषधालय को प्रथम श्रेणी में कब तक परिवर्तित कर दिया जायगा ?

(२) उपरोक्त औषधालय में प्रतिदिन कितने बीमार आते हैं ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (१) अभी सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है। अग्रिम वर्ष स्थान आदि की सारी व्यवस्था एवं विभागीय बचत को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर विचार कर सकेगी।

(२) २००।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : प्रथम श्रेणी में अस्पताल के बदलने के क्या नियम हैं ? क्या इसको डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने रिकमन्ड किया है ?

श्री भीखाभाई : प्रथम श्रेणी के लिये खास तो कोई नियम नहीं हैं। अभी जो मौजूदा औषधालय हैं, उसमें जैसे जैसे साधन उपलब्ध होंगे, 'ए' श्रेणी में बदला जा सकता है। मरीजों की कितनी संख्या है, उनके रहने की किस प्रकार की व्यवस्था, मकान आदि की कैसी सुविधा है, ये सारी स्थितियां हैं जिनके कारण इस औषधालय के 'ए' श्रेणी में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकरलाल : आपके कहने के मुताबिक खास कोई नियम नहीं हैं, केवल परिस्थितियों और मरीजों की संख्या है। सरकार ने क्या कोई डेफीनेट नियम नहीं बनायें हैं क्या जिनके पूरे होने पर ही ए-श्रेणी का अस्पताल हो सकता है, या केवल मरीजों की संख्या और मकान आदि पर ही निर्भर करता है ?

श्री भीखाभाई : एक तो मैंने अर्ज कर दिया कि साधन की उपलब्धिता, मरीजों की संख्या, वहां की जनसंख्या, मकान की सुविधा आदि आदि ऐसी सुविधायें हैं, जिनके कारण 'ए' श्रेणी में परिवर्तित हो सकता है। आपके यहां जो औषधालय खुला हुआ है वह 'बी' श्रेणी का है। मैं जब पाली आया था उस समय में माननीय सदस्य जो पाली से आये हैं उनके साथ उस आतुरालय का निरीक्षण किया था और उनसे मकान आदि के सहयोग के लिये कहा गया था लेकिन वह सहयोग वहां से नहीं मिला।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : जहां पर आपने कहे जो साधन उपलब्ध होते हैं तो क्या सरकार वहां 'ए' श्रेणी का अस्पताल खोलने के लिये तैयार है ?

श्री भीखाभाई : 'ए' श्रेणी के अस्पताल की बात हो रही है। इसके अलावा जब तक डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी इस बात की सिफारिश नहीं करती तब तक औषधालय खोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार ने ज़िला स्तर पर कमेटियां बना रखी हैं, उन सिफारिशों के आधार पर सरकार प्राथमिकता तय करती है, वहीं पर खोला जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि पाली के इस औषधालय को 'ए' श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाय ?

श्री भीखाभाई : डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने जरूर सिफारिश की होगी। लेकिन 'ए' श्रेणी के लिये मैंने आपको नियम बता दिये। जो क्राइटेरिया है उसको वह सेटिस्फाई नहीं करते इसलिये वहां पर 'ए' श्रेणी का औषधालय नहीं खोला गया।

श्री शंकरलाल : जितनी मांगे थीं वे सब सेटिस्फाई कर दी हैं, बिल्डिंग हैं और भी साधन मौजूद हैं फिर न खोलने का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : यह बात सही नहीं है। माननीय सदस्य के सामने मेरा जहां तक ख्याल है इस औषधालय का निरीक्षण किया था वहां पर जो कमियां बतायी गई वह पूरी नहीं हुई है।

Page No.23

श्री मूलचन्द डागा : वह क्या कमी है जिसके कारण आप उसको प्रथम श्रेणी का नहीं कर सकते ?

श्री भीखाभाई : आतुरालय की जो व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं, स्थान उसके लिये पर्याप्त नहीं, वहां के जिलाधीश को यह कहा था कि आप मिल कर इस बारे में कोई दूसरा स्थान बतलाइये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आप माननीय उप मन्त्री महोदय को आदेश दें कि वे हिन्दी में बोलें, तामिल में बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : वहां के आयुर्वेदिक औषधालय के लिये जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी शायद दूसरी जगहों पर नहीं होगी ।

श्री भीखाभाई : वह कौन सी ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप आतुरालय में रोगी संख्या को प्राथमिकता देते हैं या जमीन और जगह को ?

श्री भीखाभाई : 'ए' श्रेणी के लिए आतुरालय के लिए स्थान होना चाहिए, यह प्राथमिक आवश्यकता है ।

डॉ० बहादुरसिंह : आप रोगी संख्या को प्राथमिकता देते हैं या अन्य साधनों को ?

श्री भीखाभाई : सभी चीजों को मिला कर ।

डॉ० बहादुरसिंह : तो रोगी संख्या को प्राथमिकता नहीं देते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने एक चीज के लिए नहीं टोटल....

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : We should have got a mice-training also. As a matter of fact I have not been able to follow what he is speaking and what not . . .

एक माननीय सदस्य : मद्रासी बोली हो गई है ।

श्री भीखाभाई : I look like that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Wear a 'Temad' alse.

प्रश्न संख्या ६८६

श्री अध्यक्ष : श्री मोती बाबा चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री गज्जा पटेल ।

तहसील पंचायत सिकराय का चुनाव

६६०. **श्री गज्जा पटेल** (दौसा-सु.) : क्या स्वायत्त शासन-मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) तहसील सिकराय में वर्तमान पंचायतों को कार्य करते कितना समय हो चुका है ?

(ब) क्या यह सही है कि वर्तमान पंचायतों के द्वारा ही तहसील पंचायत का चुनाव हुआ था ?

(स) क्या यह भी सही है कि दुबारा

(श्री गज्जा पटेल)

पंचायतों का चुनाव हुए बिना ही तहसील पंचायत का चुनाव २८ मार्च, १६५६ को कराया जा रहा है ?

(द) यदि हां तो क्यों ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण)

(अ) चार वर्ष।

(ब) जी हां।

(स) जी नहीं, निर्वाचन के लिये अवधि निश्चित अवश्य की गई है।

(द) निर्वाचन स्थगित कर दिए गये हैं, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

सिरोही जिले में लकड़ी के पर्मिट

६६१. **श्री दलपतसिंह** (आबू), (श्री मोहब्बतसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या मंत्री, वन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जलाने की लकड़ी की एक गाड़ी का पर्मिट देने का अधिकार फोरेस्ट ऑफिसर सिरोही को है इस कारण जिले के हर नागरिक को पर्मिट लेने सिरोही जाना पड़ता है ?

(ख) क्या यह सही है कि जो पहले चार आना गाड़ी पर टैक्स था वह अब ५) रुपया हो गया है ?

(ग) क्या सरकार ने पर्मिट की लकड़ी लाने वाली गाड़ी के साथ कुल्हाड़ी न ले जाने का आदेश दे रक्खा है ? यदि हां, तो क्यों ?

मंत्री वन विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): (क) जी नहीं, फोरेस्टर, नाकेदार, हैडगार्ड को है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। जिससे हरे पेड़ न काट सकें।

श्री मोहब्बतसिंह : जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्मिट काटने का अधिकार जो डी० एफ० ओ० को है वह रेन्ज ऑफिसर को दे दिया जाये क्योंकि सब जनता को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आना पड़ता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रॉयल्टी के पर्मिट बन्द कर दिये गये हैं, सिर्फ डी० एफ० ओ० को पॉवर रक्खे हैं, ईंट पकाने का जो काम करते हैं, उन लोगों को पांच रुपया एक गाड़ी पर लेकर कुछ रॉयल्टी के पर्मिट देते हैं और वह पॉवर डी० एफ० ओ० को होता है।

श्री मोहब्बतसिंह : वही पॉवर रेन्ज ऑफिसर को दिये जाते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में जाने आने का खर्चा पड़ता है वह बच सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मोस्टली सिरोही में बसते हैं।

Page No.25

धौलपुर राज्य के औषधालयों में बेड्स की व्यवस्था

६६२. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर स्थित राज्यकीय औषधालय में रोगियों की दैनिक उपस्थिति कितनी रहती है ?

(ख) क्या उक्त औषधालय में बेड्स की भी व्यवस्था है यदि हां, तो कितने की, यदि नहीं तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त औषधालय की वृद्धि हेतु यूनानी विभाग का शहर के किसी अन्य भवन में भेजने की कोई योजना है ?

उपमंत्री, स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) करीब २५० ।

(ख) धौलपुर औषधालय में बेड्स की संख्या नियमित रूप से नहीं है क्योंकि पथ्य व्यवस्था के लिये बजट में कोई राशि स्वीकृत नहीं है।

(ग) अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु अच्छा भवन मिलने पर यूनानी औषधालय अन्य स्थान पर बदला भी जा सकता है।

डॉ० बहादुरसिंह : औषधालय के लिए जगह मौजूद है। रोगी संख्या मौजूद है बजट में प्रोविज़न करने के लिये, तो जनता नहीं आयगी वहां सारे साधन उपलब्ध होने पर भी, आप बेड्स की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : 'ए' श्रेणी के अस्पताल बनाने के लिये आतुरालय की व्यवस्था का प्रावधान है लेकिन जितने फन्ड्स चाहिये वे नहीं हैं इसलिये वित्तीय कठिनाई के कारण यह नहीं हो सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : वित्तीय कठिनाई को दूर करने के लिये आपने कोई नया सुझाव दिया है क्या वित्तमन्त्री महोदय ?

श्री भीखाभाई : इसके लिये प्लानिंग चल रहा है।

डॉ० बहादुरसिंह : आयुर्वेद पर विशेष कृपा करके आप प्रयत्न करें।

श्री भीखाभाई : वह आप भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ।

हिन्डौन महुआ सड़क की मरम्मत

६६३. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन से महुआ जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है ?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त सड़क की मरम्मत के लिये कई बार टेन्डर मांगे गये और वे लेप्स हो गये ? यदि हां, तो कितनी बार और क्यों ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(३) अब सरकार इस सड़क की मरम्मत कब तक करा देगी ।

मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां ।

(२) टेन्डर कई बार आमन्त्रित किये गये । टेन्डर या तो प्राप्त ही नहीं हुए अथवा ऊंची दरों पर प्राप्त हुये ।

(३) कार्य चालू है ।

डॉ० चन्द्रकला : यह काम बिलकुल ठीक हालत में कब तक हो जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २४ मील की सड़क है । चार मील को टार कर रक्खा है । बाकी की रोड का डिपार्टमेन्ट काम कर रहा है । क्रशिंग मशीन वहां लगा रक्खा है । It will take some time.

डॉ० चन्द्रकला : टेन्डर की दिक्कत पहले आई वह आगे तो नही आवेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मामले को ड्राप करके विभागीय तौर से काम चालू कर दिया गया है ।

तहसील जोधपुर में ग्राम खेमा कुंआ में पीने के पानी की व्यवस्था

६६५. **श्री सूरजमल** (फलौदी सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जोधपुर तहसील के ग्राम खेमा के कुंए में पीने के पानी की कमी है व जनता को तीन चार मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव में एक मात्र कुएं के बहुत गहरे होने के फलस्वरूप भूतपूर्व जोधपुर राज्य के समय मशीन द्वारा ग्रामीण जनता को पीने का पानी दिया जाता था ?

(ग) क्या उक्त कुंए पर आज भी मशीन बिगड़ी हुई व बेकार पड़ी है ? यदि हटाली गई तो कब ?

(घ) क्या पुनः सरकार उपरोक्त कुंए पर दूसरी मशीन रखवा कर वहां की ग्रामीण जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

मंत्री कृषि विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । कुंए पर जोधपुर राज्य के समय पवन चक्की लगी हुई थी । यह वहां से लगभग बीस वर्ष पूर्व हटाली गई । तब से चक्की वहां नहीं है ।

(घ) पीने के पानी की कमी न होने से मशीन लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सूरजमल : 'घ' भाग के उत्तर में 'जी नहीं' का जवाब किस आधार पर दिया ?

Page No.27

[redacted]

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पानी की कमी नहीं है। कुंए में पानी बहुत है। धाप के पी रहे हैं।

श्री सूरजमल : कुंए में पानी तो मैं भी मानता हूं इस लिहाज़ से उत्तर राइट है, पर वह गहरा बहुत है, चालीस, पचास हाथ ऊंडा है और जनता गरीब है। आगे भी एक दो जोड़ी बैलों की सिंचाई करने में मर गई और फिर कह रहे हैं कि पानी की कमी नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : पानी की कमी कहां पर हुई। निकालने की लोगों की श्रद्धा की कमी हुई।

श्री सूरजमल : यह तो मैं भी जानता हूं कि पाताल में भी पानी बहुत है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह भी जानते हैं कि यह कोई विशेषता वहां की नहीं है। वहां तो पचास हाथ ही ऊंडा है, पर मारवाड़ में लोग पांच सौ, चार सौ हाथ नीचे से भी पानी निकाल कर पीते हैं। तो यह तो करना पड़ेगा, लोग दो दो ऊंट और तीन तीन बैलों की जोड़ियां रखते हैं, इसके लिये। तो पानी लोगों को निकाल कर पीना पड़ेगा। मशीन लगा कर सभी जगह पानी पिलाना दिक्कत है। आप कहते हैं मैं इस बात को मानता नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सरकार ने कभी विचार किया है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट ने क्या सोच कर मशीन लगाई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे तो एक गांव को चाहे तो बहुत ऊंचा ले जा सकते थे और दूसरे को बहुत नीचा। पर आज राजस्थान गवर्नमेंट उस लाइन पर चल नहीं सकती।

श्री दयाकृष्ण विजय : पानी की मशीन इसलिये लगाई गई थी कि दूसरे साधनों से दिक्कत पड़ती है। क्या इन कारणों पर सरकार ने विचार किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मशीन तो पानी निकालने के लिए लगाई गई थी पर एक जगह तो सरकार खर्चा लगा कर पिलावे और दूसरी जगह कुआं खुदाने में रुपया तकावी के तौर पर भी मुश्किल से दे और श्रमदान के लिये कहे तो सरकार के लिये यह जस्टिफाई हो सकता है, यह जस्टीफाई नहीं था।

श्री सूरजमल : तो क्या यह सही है कि पानी जो लिया जाता था वह बगीचों के काम में लिया जाता था।

श्री नाथूराम मिर्धा : लिया जाता होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उस मशीन का क्या हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मशीन कहीं काम में लगा ली गई, दूसरी जगह।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि वहां बगीचा लगा हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पपीता लगा हुआ है या अनार लगी हुई है इसका मेरे को पता नहीं।

Page No.28

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(प्रश्नकाल में न लिये जाने वाले प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

१२. ५ म० प०

पंच भद्रा सिटी में पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव

एक स्थगन प्रस्ताव श्री अनोपसिंह ने, पंच भद्रा सिटी में पीने के पानी की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्तुत किया है। चूंकि यह मामला एक अत्यन्त सार्वजनिक महत्व का नहीं है इसलिये, मैं उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं देता हूँ। राजस्व मन्त्री स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य सदन में देंगे। वे अपनी टर्न पर अपना एक वक्तव्य दें।

पाली मिल सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष, मेरा भी एक नोटिस था स्थगन प्रस्ताव का पाली मिल के बारे में ।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में विचार किया जा रहा है। जो नोटिस दिया, उसके फैक्ट्स मांगने के लिये सरकार के पास भेजा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर) : स्थगन प्रस्ताव है तो जल्दी देना चाहिये नहीं तो दस दिन बाद में बहस करने से क्या लाभ होगा ?

श्री अध्यक्ष : इतना ज़रुरी होता तो आज ही ले लेते ।

श्री मुरलीधर व्यास : पाली मिल बन्द हो गई और फिर भी कैसे जरुरी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आपने कल ११ बजे नोटिस दिया और आज हम कैसे उम्मीद करें कि सारी स्थिति सामने आ जावे।

श्री मुरलीधर व्यास : ट्रंक से बात करके जवाब दे सकती थी सरकार, सरकार को वैसे सारी जानकारी भी है। स्ट्राइक चल रही है।

श्री अध्यक्ष : जब स्ट्राइक हुई उसी वक्त पूछ लेते।

श्री मुरलीधर व्यास : स्थिति जब भयंकर होती है तभी तो पूछा जाता है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा इस पर अधिक बहस नहीं होगी ?

१२. ६. म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक १६५८ (वापस लेना)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स विधेयक १६५८ को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, इसको वापिस लेने के कुछ कारण नहीं हैं। जो नया बिल १६५६ का है उसमें आप प्रोविज़न कर रहे हैं, फिर इसको वापिस क्यों ले रहे हैं ?

Let us.....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले जो संशोधन बिल लाया गया था उसमें सिर्फ एक ही संशोधन के लिये सुझाव था, लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत हुआ कि एक और संशोधन की भी आवश्यकता है। तब दो अलग-अलग बिल लाने के बनिस्बत पहले वाले को इस दूसरे में इन्कारपोरेट कर लिया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : पहला कौनसा है, और दूसरा कौनसा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह तो जब आगे आवेगा, तब मालूम हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : पहला कौनसा है और दूसरी बार और कौनसा आ रहा है, यह तो मालूम होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) दा साहब को, क्यों फोड़े घोलते हो ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहला जो बिल था उसमें जहां ६० दिन की मियाद थी अपील इत्यादि के लिये, उसमें ९० दिन की अपील का प्रोविज़न था। अब जो नया आने वाला है उसमें यह है कि चार साल की मियाद थी, असेसमेन्ट के लिये, वहां अब पांच साल की मियाद मांगी गई है। इसके लिये अब एक ही बड़ा बिल ले आने वाले हैं। इसलिये पहले वाले को वापिस लेने की इजाज़त दी जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

१२. ९ म० प०

राजस्थान कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ (पुरःस्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५९ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक १९५९ (पुरःस्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

१२. १० म० प०

राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६५६ (विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० ३) बिल १६५६ को विचारार्थ लिया जावे।'

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। मैं माननीय सदस्यों को, इस बहस के बारे में कितना समय दिया गया है, उसके बारे में सूचना देना चाहता हूँ। ४ बजे तक यह बहस चलेगी और उसके बाद में मन्त्री महोदय उसका उत्तर देंगे और इस विधेयक पर मत-दान होगा और उसके पश्चात् एक बिल पर हमें और विचार करना है। मैं आशा करता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो उससे पहले दूसरा विधेयक भी पास हो जाये···

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कौनसा विधेयक ?

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडेप्टेशन) बिल, १६५६.

श्री भैरोंसिंह : इसे तो २८ को ले लिया जाये।

डॉ चन्द्रकला : (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) उसमें संशोधन भी हैं, इसलिए बहस भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से तो छोटा ही बिल है।

श्री भैरोंसिंह : सब पैसों के बिल हैं इसलिए यों जल्दी में पास नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : पैसों के बिल हैं इसलिए तो जल्दी में पास कर दें तो उचित रहे।

श्री भैरोंसिंह : २८ को ले लिया जाये, क्या फर्क पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष : तो २८ तारीख को एक बिल और है और फिर दोनों को ही ले सकते हैं। अगर आपको स्वीकार हो तो २८ को ले सकते हैं। राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन विधेयक, १६५६ को भी २८ तारीख को लेने की व्यवस्था की जा रही है। अगर आप चाहें तो इस बिल को भी उसी दिन ले लिया जाये और इस तरह से २८ तारीख को दोनों ही बिल लिये जा सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : दोनों बिल्स को उस दिन लेने का मतलब है कि यदि २८ तारीख को समाप्त नहीं होते हैं तो आगे के लिए उसकी व्यवस्था रखी जा सकती है। एक ही

(श्री भैरोंसिंह)

दिन में दोनों को रखें और उसी दिन समाप्त नहीं हो सकें तो आगे के दिन के लिए रखा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए तो उस बिल के लिए २८ तारीख का पूरा दिन रखा गया है और यह कोर्ट फीस वाला बिल बहुत छोटा था, इसलिए हम चाहते थे कि इसे आज ही लेकर पारित कर दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : शकल में तो सभी छोटे होते हैं, लेकिन हैं खतरनाक। बाद में फिर ३० तारीख को डिस्कस कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ३० को भी नहीं बैठेगा

श्री भैरोंसिंह : बैठ तो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से कोर्ट फीस वाला तो छोटा सा ही है।

श्री भैरोंसिंह : छोटा है सो तो ठीक है पर यह फाइनेन्शियल बिल है और अगर आज चाहें तो इसको लिया जा सकता है और हो सकता हैं कि सदन इस पर ज्यादा समय तक बहस करें। एट होम की चिन्ता माननीय सदस्य नहीं करें, तो देर तक भी बैठ सकते हैं। आज वित्त मंत्री द्वारा एट होम होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : देखिये दो तीन फाइनेन्शियल बिल हैं और मैं चाहूंगा कि समय पर पास हो जायें और कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का मौका भी मिल जाये। आज चाहें तो आज ले लें।

श्री भैरोंसिंह : ३० को रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : तो क्या सारा बचा हुआ ३० को रखें।

श्री भैरोंसिंह : २८ तारीख को राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन विधेयक आ जायेगा और कोर्ट फीस वाला भी आ जायेगा। अगर कुछ बच रहता है तो ३० को ले लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : और यह आज वाला यानी राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स (संशोधन) विधेयक, १६५६ वाला ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : यह एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (संशोधन) विधेयक अधिक समय नहीं लेगा। इसमें फॉर्मल अमेन्डमेंट्स हैं, ६० से ६० डेज़ का प्रोविज़न करना है It is an undisputed Bill and I don't think the house will take much time on it.

श्री अध्यक्ष : What about Sales Tax Bill ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Similarly regarding Sales Tax bill also बहुत ही फार्मल अमेन्डमेंट्स हैं। इसलिए यह ज़्यादा समय नहीं लेगा। यह और कोर्ट फीस वाला विधेयक ३० तारीख को रखा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : तो एप्रोप्रियेशन बिल पर ४ ॥ बजे तक ही रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने विनियोग विधेयक इस सदन में प्रस्तुत

(श्री भैरोसिंह)

किया है। ज्योंही यह विधेयक पास होगा राजस्थान के ऊपर इस बजट का प्रभाव १ तारीख से चालू हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का बजट प्रस्तुत हो उसके पहले वहां की जनता को कई तरह की आशायें रहती हैं, जिनके ऊपर टैक्स सम्भावित होते हैं उन्हें इस बात की चिंता होती है कि कौन कौन से और किस किस प्रकार के टैक्स हमारे ऊपर आने वाले हैं। जिनकी तनख्वाहें कम होती हैं वे इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं, कितनी और किस महीने से हमारी तनख्वाह बढ़ती है। जहां पर स्कूल, अस्पताल या इसी प्रकार की सहूलियतों के जितने भी काम हैं उन काम वालों को यह चिंता होती है कि बजट के आंकड़ों के अनुसार हमारे क्षेत्र में या हमारे से सम्बन्धित गांवों में इस प्रकार के विकास के कार्य होंगे या नहीं। इस बजट के पास होने के बाद से लेकर विनियोग विधेयक के पास होने तक जिन लोगों के काम बजट के प्रारम्भ में पूरे होंगे इस प्रकार की आशा नहीं होती। वह इस आशा में कुछ समय गुजारते हैं कि कटमोशन्स के समय बजट के ऊपर जो वादविवाद होगा उसके समय कटमोशन्स के उत्तर देते समय सरकार की ओर से यदि किसी प्रकार भूल हुई है तो सरकार उसको पूरा करने का आश्वासन देगी और उस आश्वासन के आधार पर वह एक पूरे वर्ष का समय निकालते हैं। लेकिन यह मैं कहूंगा कि इस बार बजट प्रस्तुत होने के समय से लेकर आज तक इस विधान सभा के अन्दर विधान सभा के माननीय सदस्यों ने सरकार की कमियों और कमजोरियों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से बजट के आंकड़ों में सरकार किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। उसी प्रकार से सरकार अब तक की जो उनकी कमजोरियां और भूल हुई हैं और जो सदन में उनके सामने रखी गई हैं, उन को दुरुस्त करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद से लेकर जब तक नया बजट प्रस्तुत नहीं होगा, राजस्थान के इस प्रकार के अधिकांश लोग फिर उस दिन की प्रतीक्षा करते रहेंगे जिस दिन सरकार स्वयं अपनी भूल को स्वीकार करके उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। लेकिन सरकार किस प्रकार से करती है वह हम भविष्य में देखेंगे। अभी अभी कुछ दिन पहले हमने समाचारपत्रों में एक बात पढ़ी थी कि केरल में कांग्रेस विधायकों को दल के नेता श्री चाट्को ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार से इस बात की मांग की है कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार इस्तीफा दे और इस्तीफे के कुछ कारण भी उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट में दिये हैं। बाकी की जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं उनसे भी सहयोग की इच्छा उन्होंने की है। मेरी इच्छा थी और मैंने भी उनको एक पत्र लिखा है और उस पत्र के द्वारा मैंने उनसे निवेदन किया है कि वह राजस्थान की विधान सभा में बैठकर देखें। राजस्थान की जन-लेखा समिति की रिपोर्ट को पढ़ें, राजस्थान के विधान सभा के माननीय सदस्यों से जो कि सरकार की पोल खोलते हैं उनसे मिलें और यह देखें कि यहां के राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के दलों के साथ सरकार का किस प्रकार का व्यवहार है और इन सब चीजों को देखने के बाद वह स्वयं महसूस कर लेंगे कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार और राजस्थान की डेमोक्रेटिक सरकार इन दोनों में किस प्रकार का अन्तर

(श्री भैरोंसिंह)

है । त्यागपत्र किस को देना चाहिए और इसमें प्राथमिकता किस को देनी चाहिए । यदि इसके प्रकाश में देखें तो केरल सरकार इस बात को स्वीकार जरूर करेगी कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार से किसी भी प्रकार हमारी राजस्थान की सरकार कम नहीं है और इस कारण से यदि केरल सरकार से त्याग पत्र देने की मांग की जाये तो श्री चादू महोदय इस बात की मांग कर सकते हैं कि राजस्थान सरकार भी त्यागपत्र दे । मैं समझता हूं कि जिन कारणों को लेकर उन्होंने त्यागपत्र की मांग की है उसमें कुछ फूड ग्रेन्स की खरीद का मामला है और सरकार ने उस मामले में ढिलाई की बताते हैं और उसके कारण से केरल सरकार को कुछ घाटा हुआ है । मुझे अफसोस है कि जिस घाटे को लेकर वहां की कांग्रेस पार्टी इतनी अहमियत दिखाती है कि जिसके कारण से एक चुनी हुई सरकार को त्यागपत्र देना पड़े । इतना घाटा १ पर्सेंट नहीं बल्कि १०० फीसदी नुकसान राजस्थान की सरकार हर काम में दिखाती आ रही है और वही सरकार और जिस पार्टी के नेता एक तरफ सरकार से त्यागपत्र मांगते हैं उसी पार्टी के सदस्य नित्य प्रतिदिन घाटे के सौदे करते आ रहे हैं, उसकी चिन्ता उन्हें नहीं है । आज यह कहा जाये कि घाटा सरकार को नहीं होता है, मैं आज सब पुरानी बातों को दुहराना नहीं चाहता हूं जिनमें सरकार को काफी घाटे हुए हैं । लेकिन अभी अभी सरकार ने एक बात महसूस की और एक आॅर्डर जारी किया और उसके द्वारा नगरपालिका के द्वारा, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के द्वारा जितनी भी ज़मीन फरोख्त की जाती थी, ज़मीन का जो अलॉटमेंट किया जाता था उसके प्रश्न को लेकर मैंने अनुभव किया कि उसमें गड़बड़ियां होती हैं । अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड को जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है । तो सरकार ने अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड को जो ज़मीन अलॉट करने के अधिकार थे वह छीन लिए । खैर, यह सरकार का दृष्टिकोण उचित था या अनुचित इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि इस प्रकार की जितनी भी बातें होती हैं, जो फरोख्त की जाती हैं चाहे उनमें म्युनिसिपल बोर्ड को या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड को घाटा हो तो वह सरकार को ही घाटा हुआ है। लेकिन यह निश्चित है कि फरोख्त कोई भी करे वह घाटा सरकार को ही होता है। जयपुर के अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के द्वारा जितनी भी ज़मीन फरोख्त की गई है उसकी माननीय वित्त मंत्रीजी जांच कर लें कि जिस तरीके के आदेश जारी किये थे कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ज़मीन को फरोख्त नहीं कर सकता उस आॅर्डर के जारी होने के बाद में, आॅर्डर के अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड में रिसीव कर लेने के बाद में कितनी ज़मीनों के टुकड़ों पर लोगों ने फिज़िकल पज़ेशन कर लिया है । हो सकता है कि बोर्ड की बैठक के अन्दर कोई निर्णय लिया गया हो, लेकिन जब तक कोई निर्णय एग्ज़ीक्युट नहीं किया जाय, उस समय तक सरकार का आदेश प्रभावशाली बन सकता था लेकिन, केवल इसलिए कि वह आदेश प्रभावशाली बनता है, तो जो अनियमितता उन्होंने अपनी कुनबा परस्ती के आधार पर की और जिन लोगों को यह सारी जमीन दी वह नहीं दे सकते थे । जयपुर का प्रभाव आज हम यह कहें कि केवल अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड कर नुकसान हुआ है, समूचे राजस्थान

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

के अन्दर जहां जहां नगरपालिकाओं को मौका मिला है वहां इस तरह के आॅर्डर्स की अवहेलना की है और अपने लोगों को जमीनें दी हैं। तो ऐसा आधार लिया गया । ऐसी दख्र्वास्तों की किसी प्रकार की जांच नहीं की गई और जिन लोगों ने पहले दख्र्वास्तें दी थीं वे बगैर ज़मीन के रह गये हैं और जो बाद वाले थे उनको ज़मीन अलाॅट कर दी गई। पहले वाली दख्र्वास्तों को स्वीकार नहीं किया है और बाद वाली दख्र्वास्तों को स्वीकार किया है। दो सौ ढ़ाई सौ एप्लीकेशन्स में इस प्रकार से नहीं किया गया है। अफसोस है इस बात का कि सरकार एक तरफ तो घाटे की बात करती है। जयपुर का लोग, उदाहरण ले कर जाते हैं और बाकी नगरपालिकाओं में इस प्रकार की गड़बड़ करते हैं।

मैंने जयपुर के अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के एक कार्यकर्ता से बातचीत की तो स्पष्ट रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सेन्ट पर्सेन्ट तो नहीं किन्तु १५ पर्सेन्ट गड़बड़ हुई है। मैंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये तो उन्होंने कहा कि १५ पर्सेन्ट तो नहीं ३५ पर्सेन्ट हो सकती है। ३५ पर्सेन्ट का सवाल नहीं है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन्स पहले दी थी, उनको ज़मीनें नहीं मिली। एक ही डेट में एप्लीकेशन्स लेकर पहले वाली तारीख की बतला दी है। तो वे कहने लगे कि ५० पर्सेन्ट गड़बड़ हो सकती है। मैं आज भी कहता हूं कि अगर वित्त मन्त्री महोदय जांच के लिए तैयार हों तो उन आंकड़ों की दख्र्वास्तों के नम्बर सहित व नाम सहित एक लिस्ट पेश कर सकता हूं, जिस लिस्ट के आधार पर जिन लोगों ने पहले दख्र्वास्तें दी थीं, उन लोगों को ज़मीनें नहीं दी गई और अपने रिश्तेदारों को और प्रभावशाली राजनैतिक कार्यकर्ताओं को ज़मीनें बांटी गई। उन ज़मीनों के बांटने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रुपयों का घाटा उठाना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं मन्जूर कर लूं कि यह मामूली सी बात है, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड से इस प्रकार की गलती हो जाय कि साधारण तौर से अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड अपने क्षेत्र की ज़मीन इस तरह से दे दें तो यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन एग्रीकल्चरल लैण्ड को अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड दूसरे को देता है। राजस्थान के अन्दर यहां एक बोन फैक्ट्री है। उस बोन फैक्ट्री को ज़मीन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए दी गई है। दो आदमियों के नाम ज़मीन है। एक आदमी का नाम लक्खूराम है। उसको वह ज़मीन मिली हुई थी। मैंने एक प्रश्न पूछा था और इस बात का जिक्र भी आया था कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड एग्रीकल्चर लैण्ड देना चाहता है, उसको डिस्पोज़ आॅफ करना चाहता है, उसको रुकवाया जाय। लेकिन अफसोस इस बात का है कि किसी कारण से उसका उत्तर मुझको समय पर नहीं मिल सका और उसका फायदा यह निकाला गया कि क्वेश्चन देने के बाद भी वह एग्रीकल्चरल लैण्ड जो अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की नहीं थी मैं यह कह सकता हूं कि राजनैतिक प्रभाव के कारण से, वह एग्रीकल्चर लैण्ड आबादी के अन्दर कन्वर्ट की गई है और जब कन्वर्ट करने की बात की है, वह ज़मीन अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के द्वारा लक्खूराम को अलाॅट कर दी गई। एग्रीकल्चरल लैण्ड को देने का सवाल है पहले कानून साफ था कि आबादी लैण्ड को बिना गवर्नमेंट की सेन्क्शन के

(श्री भैरोंसिंह)

कन्वर्ट नहीं किया जाय । सरकार को वह पसन्द नहीं आया, तो सरकार ने यह कहा कि जिस ज़माने के अन्दर बोन फैक्ट्री लगी उस ज़माने के भूतपूर्व जयपुर के प्रधान मंत्री श्री वी. टी कृष्णामाचारी के समय इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चरल लैण्ड को कन्वर्ट करने के लिए यह रोक लगाई गई थी। उन रूल्स को मैंने आज देखा है और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि उन रूल्स के अन्दर भी इस तरह से ज़मीन अलॉट करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वह ज़मीन दूसरे को अलॉट कर दी गई । यदि रूल्स के अन्तर्गत भी कोई इस प्रकार की कार्यवाही करना चाहें, तो उसमें सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है । अर्बन इम्प्रवमेंट बोर्ड कहीं भी पिक्चर में नहीं आता है । लेकिन न अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने इस बात की चिन्ता की और न सरकार ने सूचना देने के बाद में इस बात की चिन्ता की कि वह एग्रीकल्चरल लैण्ड जो आज दूसरे काम में आ रही है उसको रोका जाय । जिन लोगों ने एग्रीकल्चरल लैण्ड जिन कन्डीशन्स पर ली है यदि वे उन कन्डीशन्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनके पास से वह ज़मीन छीनी जाय । मैं कहता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा कहना व्यर्थ जायगा, लेकिन फिर भी कहना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि अगर हमारे वित्त मन्त्री महोदय में इस प्रकार की हिम्मत हो, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली में इस प्रकार की हिम्मत हो तो वे कहें कि राजनैतिक कारणों की चिन्ता नहीं करते हुए, जिन लोगों ने ज़मीनों पर अधिकार कर लिया है, उनके कब्जे से निकलवा लेगें । वे अगर नहीं करते है तो अपने इन्ट्रेस्ट पर चलते हैं । मैं समझता हूं कि यह मेरा कर्तव्य है कि इस प्रकार की बातें सदन में प्रस्तुत करते हुए वित्त मन्त्री महोदय से मांग करूं कि इस प्रकार की अनुचित कार्यवाहियों को रोकने की कोशिश करें ।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक तरफ ज़मीन के मामले में कोटा में देखा जाय तो कोटा में आजकल सैटिलमेंट हो रहा है । उस सैटिलमेंट के अन्दर कोटा में जितने भी छोटे छोटे जागीरदार हैं या ज़मीदार हैं सैटिलमेंट में जिनको पर्चे मिल गये हैं और पर्चों के साथ साथ जिन लोगों को चराई के लिए कुछ ज़मीन रखनी चाहिए, वहां सैटिलमेंट और रेवेन्यू अधिकारी कहते हैं चराई की ज़मीन के लिए कि चराई की ज़मीन ली नहीं जा सकती । उसको ज़मींदार या जागीरदार अपने अधिकार में नहीं रख सकतेहैं । पर्चे काश्तकार को मिल गये, लेकिन वे पर्चे काम नहीं आ सकते । वे ज़मीनें सरकार को सरेन्डर करनी पड़ेगी और सरकार जिसको चाहेगी उसको देगी । कोटा में आज इस प्रकार की बातें हो रही हैं ।

सरकार सीलिंग की चर्चा करती है । अभी अभी सदन के एक माननीय सदस्य गंगानगर जाकर आये हैं । मेरे पास एक पत्र आया था । उस पत्र की जांच करने के लिए उनको भेजा था । उस पत्र में यह था कि गंगानगर में सीलिंग का डर पैदा किया जाकर, लोगों से इस बात की इच्छा की जाती है कि लोग अपने मुरब्बे सरेन्डर करें संगरिया विद्यापीठ को । जोबनेर कृषि कॉलेज का एक ज्वलन्त किस्सा मौजूद है कि उसके केस को खराब करने के लिए उदयपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाता

[redacted]

(श्री भैरोंसिं

है। जोबनेर कॉलेज को किस प्रकार से हैरान किया जाय। उसको हैरान करने के लिए जो ज़्यादा ज़मीन एग्रीकल्चर कॉलेज के पास है उसकी इन्क्वायरी करवाते हैं, इस प्रकार की जांच करवाते हैं, लेकिन संगरिया विद्यापीठ के पास कितने मुरब्बे हैं इस बात के लिए लगे हुए हैं कि सीलिंग हो जाय तो विद्यापीठ के नाम से वे मुरब्बे रहें और उन मुरब्बों का उपयोग तुम कर सकते हों। ऐसी स्थिति में संगरिया विद्यापीठ की तरफ से एक दर्ख्वास्त पेश की गई बिला नाम दर्ख्वास्त पेश की गई और इस बात की इच्छा प्रकट की गई कि आस पास की ज़मीनें इनके नाम से हैं उनको कन्सोलिडेट किया जाय। कन्सोलिडेशन के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर ने आॅर्डर दिये। दरअसल में उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक्चुअल टिनेन्ट्स जो थे उनकी तरफ से कोई दर्ख्वास्त नहीं थी, लेकिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी करके आॅर्डर्स इश्यु कर दिये। आॅर्डर्स इश्यु करने के बाद कन्सोलिडेशन की कार्यवाही चालू हुई, तो वहां के काश्तकारों ने जो कि एक्चुअल टिलर्स थे उन्होंने इस बात की शिकायत की कि जिन लोगों ने दर्ख्वास्तें दी और जो यह कहते हैं कि ज़मीनें कम हैं, वह सब गलत है। एक्चुअल टिलर्स उस ज़मीन को कन्सोलिडेट करना नहीं चाहते। कन्सोलिडेशन से उनका कोई वास्ता नहीं है। उसकी जांच करने के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के पास कागज़ आये और जब कागज़ आये उसके बाद में उन्होंने एक दूसरा तरीका बता दिया। आखिर वे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं जिनके हाथ में सत्ता है। वे सब कुछ कर सकते हैं। एक तरीका बता दिया कि कन्सोलिडेशन से काम नहीं चल रहा है, तो सीलिंग की धमकी दो और मुरब्बे लो। मुरब्बे इस संगरिया विद्यापीठ के अन्दर लिखाये जायं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कह सकता हूं कि परसों तक रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय की टेबिल पर ७ मुरब्बों को परिवर्तित करने की दर्ख्वास्तें पड़ी थीं। वे मुरब्बे आगे संगरिया विद्यापीठ को मिलेंगे उससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही होती है। इस प्रकार से मुरब्बे परिवर्तित किये जाते है।

आज जागीरदारियां खत्म हो गई। मुरब्बे इस प्रकार से अलॉट किये हुए हैं उनमें आज भी जागीरदारी चल रही है। उनमें आज भी चौथा और तीसरा बांटा लिया जाता है। इस चीज़ के मैं प्रमाण दे सकता हूं। सूरतगढ़ का रूसी फार्म है जिसके अन्दर सरकार का प्रबन्ध समझना चाहिए। रूसी फार्म के अन्दर काश्तकार खेती करते हैं। सब से एग्रीमेन्ट इस बात का हुआ है कि चौथा बांटा लिया जायगा। कोई जागीरदार चौथा बांटा लेता है तो आप कहते है कि किसान का शोषण किया जाता है। खातेदार टिनेन्ट से चौथा बांटा लेने की बात करता है, तो कहते हैं कि किसान का शोषण हो रहा है लेकिन सूरतगढ़ के सरकारी फार्म है उसमें एग्रीमेंट किया गया है कि तुमसे चौथा बांटा लिया जायगा। चौथे बांटे से काश्तकार काश्त करता आ रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि काश्तकार को सरकार किसी तरह की राहत दिलायेगी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रकार से लैण्ड का अलॉटमेंट होता है, चाहे एग्रीकल्चर पपर्ज़ के लिए हो, उसमें जिस प्रकार से किया जा रहा है वह वास्तव में बड़ा खराब है। उसमें जांच करने की आवश्यकता है। उस साधारण जांच प्रसंग को लेकर इन दिनों के अन्दर हर पर्पज़ के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है उसकी यदि जांच की जाय तो मैं ऐसा निश्चित् कह सकता हूं कि जांच के कारण से जो नुकसान होगा, अधिकारियों को जो टी० ए० व डी० ए० देना पड़ेगा जितना वह लाख, ५० हज़ार के अन्दर होगा वह ज़मीनों की बिक्री के अन्दर जो गड़बड़ियां हुई हैं, उस बिक्री के प्रश्न को लेकर उससे ज्यादा लाभ सरकार को पहुँच सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, विरोधी दल का एक सदस्य कह रहा है, इस नाते से सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती क्योंकि सरकार का दृष्टिकोण विरोधी दल के प्रति ऐसा हो गया है कि जैसे ये राजस्थान में पैदा ही न हुये हों। चुनावों का प्रश्न आता है तो पहले तो यह कोशिश की जाती है कि विरोधी दल पनपे ही नहीं और यदि वे जीत भी गये तो ऐसी कोशिश की जाती है कि विरोधी दल काम नहीं कर सके, इस तरह का वातावरण तैयार किया जाता है। राजस्थान की नगरपालिकाएं और उनके चुनाव प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। कहीं जनसंघ की जीत होती है तो कहीं साम्यवादी दल की या कहीं प्रजासमाजवादी दल की जीत होती है तो सरकार को अच्छा नहीं लगता। सरकार सोचती है कि ये जीत गये तो क्या हुआ अब दो आदमी ऐसे नोमिनेट करदें जो या तो बैलेन्स करदें या मेजोरिटी को माइनोरिटी में तब्दील करदे या माइनोरिटी को मेजोरिटी में तब्दील करदे और चेयरमैन उनके पक्ष के आदमी को बना दिया जाय इस तरह की वे कार्यवाही करते हैं। मुझे पिछले दिनों का कटु अनुभव है। लोसल में कांग्रेस के ३ व्यक्ति जीते और जन संघ के ५ आदमी जीते। लेकिन सरकार ने दो ऐसे आदमियों को नामज़द किया जो म्युनिसिपेलिटी में नामज़द नहीं किये जाने चाहिये थे। लालसोट में भी इसी तरह की बात हुई। प्रजातंत्र की दुहाई देकर जन संघ और दूसरी पार्टीज़ को चुनौती देनेवाली सरकार अपने खुद के कारनामें की ओर तो देखे। पिछले दिनों परबतसर में चुनाव हुआ था। जिस समय मियाद खत्म हो रही थी उस समय वहां की जनता ने दर्ख्वास्त दी कि चुनाव जल्दी ही कराये जांय लेकिन सरकार ने जनता की बात न मान कर पुराने बोर्ड को तीन महीनों का एक्सटेन्शन दिया। फिर वहां पर चुनाव कराये गये। दो आदमियों को नोमिनेट करने के लिये कलेक्टर ने एस. डी. एम. से पेनल ऑफ नेम्स मांगी। वहां पर चुनाव में ६ आदमी जन संघ के जीते थे और २ आदमी कांग्रेस के जीते थे। एस. डी. एम. ने जन संघ के नेता से एक आदमी का नाम मांगा और एक आदमी का नाम कांग्रेसवालों से मांगा। कांग्रेसवालों ने मधुकान्ता के नाम की सिफारिश की। एस. डी. ओ. ने वे नाम कलेक्टर के पास भेज दिये। सरकार ने ऊपर से लिखा कि मधुकान्ता पिछली बार म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्या थी और पिछली ६ बैठकों में उसने हिस्सा नहीं लिया इसलिये अयोध्यादेवी की सिफारिश की। मैं समझता हूं सदन को सुनकर आश्चर्य होगा कि यह राजस्थान में पहली घटना है जब कि दो बार

(श्री भैरोंसिंह)

अलग अलग नाम प्रकाशित किये गये । एक का तो नाम है सजनी देवी और दूसरे का नाम है भंवरा । एक हरिजन है और दूसरी महिला । सरकार ने दिसम्बर में उनको नामज़द किया और दिसम्बर में ही ऑर्डर्स इश्यु किये तथा नोटिफिकेशन २ फरवरी को राजस्थान गज़ट में प्रकाशित हुआ । इसके बाद कलेक्टर ने इस बात की सूचना दी कि सजनी देवी और भंवरा इन दोनों को मनोनीत किया गया है और २४ फरवरी को चेयरमैन का इलेक्शन होगा, इसका सब को नोटिस दिया और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की । लेकिन दुःख इस बात का है कि इधर कलेक्टर का नोटिस मिलता है, म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन का और उधर ८ तारीख को रविवार था, सरकारी कार्यालय बंद दे, सेक्रेटरी के पास फायल वगैरह नहीं थीं उस तारीख को नोटिफिकेशन इश्यू , करते हैं कि सजनी देवी के स्थान पर मधुकान्ता को और भवंरा के स्थान पर सेडू जिनको कि डिस्क्वालीफाई समझते हैं (शेम शेम की आवाज) उनको नामजद किया जाता है, इसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट में पहुँचे,रिट दायर किया इसका अंतिम फैसला अब होगा । टाउन म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार एक दफा नामजद होने के बाद उनको कोई हटा नहीं सकता इस बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली जा सकती थी । मैं समझता हूं एक को हटाकर दूसरे को नामजद करने का आपको अधिकार नहीं है । आज मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं, मुझे एक किस्सा याद है, लोसल में दो आदमियों को नामजद किया, मैं वहां पर एक घंटा बाद पहुंचा । मैंने मंत्रीजी से कहा कि नामजदगी ठीक नहीं हुई है, जिनकी मेजोरिटी है उनके आदमी को नामजद करना चाहिये, यदि ऐसा नहीं करें तो एक कांग्रेस का लो और दूसरा जन संघ का आदमी लो, तो उन्होंने कहा कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नोटिफिकेशन इश्यु हो गया है, इसलिये लॉ डिपार्टमेन्ट एग्री नहीं करता । लेकिन वही बात जब परबतसर में आई तो नोटिफिकेशन को ही बदल दिया गया । उसके बाद ६ तारीख को ऑर्डर पहुँचता है कलेक्टर का कि मधुकान्ता...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं का नाम ले रहे हैं तो उनके नाम के आगे श्रीमती या सुश्री शब्द जरूर लगाने चाहिये । मैं मानता हूं कि सदन में किसी व्यक्ति का नाम लिया जाय, तो आदरवाचक शब्द उससे पहले लगाना चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सदस्य अब ध्यान रखेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : सुश्री जनार्दनराय नागर ने जो ऐतराज उठाया है

(हंसी)

सुश्री नहीं, श्री जनार्दनराय नागर....

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे माननीय मित्र महिला बनना....

श्री भैरोंसिंह : मुझे आपकी टीकी से मुगालता हो गया । मैं यह निवेदन कर रहा था कि २ तारीख को कलेक्टर एक अलग ऑर्डर इश्यु करते हैं सुश्री मधुकान्ता और श्री सेडू को नामजद किया गया है और

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

अब इस कारण से १४ तारीख को चेयरमैन का चुनाव होगा । १४ तारीख को चेयरमैन का चुनाव होनेवाला है इस प्रकार का नोटिफिकेशन परबतसरवासियों के पास पहुंचता है । परबतसरवासियों की बदकिस्मती से या राजस्थान सरकार की खुशकिस्मती से आचार्य विनोबाभावे का दौरा वहां पर होता है और नेता लोग परबतसर में पहुंचते है उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग नेताओं के पास पंहुचते हैं और उनसे कहते है कि १४ तारीख को अगर चेयरमैन का चुनाव होगा तो हमारी नाक कट जायगी, उनकी नाक तो जनता ने ही चुनाव में काटली उसको वापिस जोड़ने की कोशिश होने लगी नेताओं ने भी सोचा कि नाक कट गई तो रबर की ही सही असली के स्थान पर लगा दी जाय और उनकी इज्जत बरकरार रखी जाय। १४ तारीख को चुनाव होनेवाला था और ८ को विनोबाजी का दौरा हुआ था उस दिन इस बारे में चर्चा हुई थी उस समय यह अफवाह फैली कि १४ तारीख को चुनाव नहीं होगा इस पर गांववालों ने तार दे दिया कि चुनाव होनेवाला है शायद वह नहीं होगा, उसका उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया कि चुनाव होगा उन्होंने कहा नहीं होगा, मंत्री जी परबतसर आये थे उन्होंने एश्योरेन्स दिया था यह बात जब जनता को मालूम हुई तो उन्होंने फिर तार दिया जो इस प्रकार है :

"Rumours afloat in the whole town that your nominee may be immediately transferred or dramatically disappear. Chairman's election and oath administration must be held on 14th. Kindly make other arrangements or come yourself."

यह उन्होंने टेलिग्राम दिया ११ मार्च को कलेक्टर के नाम और एस० डी० एम० से जाकर मिले तो उन्होंने कहा कि १४ तारीख को चुनाव होगा और अध्यक्ष महोदय, सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि १२ तारीख को जयपुर से एस० डी० एम० के पास टेलीफोन आता है कि जयपुर आ जाओ। वे नगरपालिका को ताला लगाकर जयपुर आ जाते है। तब वहां के लोगों ने फिर तार दिया :

"S. D. O. has left. Please arrange for some other officer or come yourself."

लेकिन इस तार के बावजुद भी न तो कलेक्टर साहब आये और न और कोई व्यक्ति आया और १४ तारीख को जो चुनाव होने वाला था वह स्थगित कर दिया गया । नोटिस बोर्ड पर यह लिखने की हिम्मत नहीं हुई कि एस० डी० एम० किस कारण से जयपुर गये हैं और किस कारण से चुनाव नहीं होगा और आगे कौनसी तारीख को चुनाव होगा, यह लिखने की हिम्मत नहीं हुई। जनसंघ वाला चेयरमैन चुन लिया जायगा, यह प्रश्न सरकार के सामने था। ८ महीने का समय हो गया है न तो सदस्य शपथ ग्रहण कर सके हैं और न वहां पर चेयरमैन का चुनाव हो हुआ, आज उसी पार्टी के हाथ में अब भी काम है जिसको जनता ने हराया था। वह म्युनिसिपल बोर्ड, अध्यक्ष महोदय, अब तब करीब पांच हज़ार रुपया खर्च कर चुका है। मैं नहीं कहता कि किन किन चीज़ों में खर्च किया है, उन्होंने गांधी जी की मूर्ति का अनावरण कराया है, मैं इसे दुरुप-

(श्री भैरोंसिंह)

योग नहीं मानता लेकिन अच्छा यह होता कि गांधी जी की मूर्ति का अनावरण चुने हुए नेता द्वारा, चुने हुए दल के द्वारा कराते। यह प्रसंग बहुत ही बुरा है। इस प्रकार की चीज़ों से हर एक को परेशानी होती है। मुकन्दगढ़ में सदस्यों को नामज़द नहीं किया जा रहा है, इसके अलावा मेरी कान्स्टिट्यूएन्सी में, श्री माधोपुर के बारे में मैं निवेदन करूं कि वहां जनसंघ जीत गया और कांग्रेस हार गई, इसके बाद हमारी सरकार को चिन्ता हुई कि नगरपालिका में जनसंघ का बहुमत हो गया तो सरकार ने कहा कि तुम जिन लोगों का नाम लेते हो, वे नामजद नहीं किये जायेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि श्री माधोपुर नगरपालिका में हर महीने चेअरमैन बदलता है, वहां का हर मेम्बर चेअरमैन हो चुका है। वहां पर स्थाई नगरपालिका बने, इसलिए यह कहा गया कि दो भले आदमियों को नामज़द कर दिया जाय। लेकिन यह जानकर अफसोस हुआ कि जब भले आदमियों का नाम लिया गया, तो यह इत्तला मिली कि पी० सी० सी० से पूछा जायगा। उसके बाद पी० सी० सी० के अध्यक्ष ने दो नामों की सिफारिश कर दी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अध्यक्ष को जचा कि वे दो नामों की सिफारिश नहीं करनी है, उन्होंने दो नाम दूसरे भेज दिये। मैंने देखा कि इस सरकार से पाला पड़ा है, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे सरकार को सबक मिले। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मुझे कहना पड़ा जनसंघ के कार्यकर्ताओं को कि सरकार अपने आदमियों को नामज़द करती है, इसलिए चार आने का फार्म भर दो और सफेद टोपी लगा लो। मैं जिन व्यक्तियों को चाहता था, उन्हें कांग्रेस के सदस्य बनवा कर नामज़द करवाया और आज वहां पर जनसंघ का बहुमत है....

श्री ज्वाला प्रसाद (नसीराबाद): मैं कहना चाहता हूं कि ये खुद चार आने के मेम्बर बन जांय, हमें एतराज नहीं, ये इधर आकर बैठ सकते हैं, कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। आपने जो बात बतलाई, उसके लिए शुक्रिया कि आपने ऐसा किया। अब आपको पता चल जायगा कि उनकी कीमत क्या है और जन संघ किस उसूल पर चलता है।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) : चार आने का मेम्बर बन कर कोई आजाय, आप उसे लेने को तैयार है।

श्री जनार्दनराय नागर : हम बिना मोल लेने को तैयार हैं।

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह : आपकी दुकान खुली है, उसमें चोर जाय, डाकू जाय, चार आने का लेबल लगा कर, वह आपके साथ हो सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर : आपका विश्वास करने वाले नहीं है।

(हंसी)

Page No.41

श्री ज्वाला प्रसाद : आपके लिए रास्ता खुला है। आपका रास्ता हमारे लिए नहीं खुला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : आपका रास्ता सब के लिए खुला है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : खैर, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को जलन होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन आदमियों को नामज़द करने की कोशिश की थी। आज वे व्यक्ति धोखा देकर जाते हैं, तो उन्हें अफसोस होता है, स्वाभाविक ही है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि

(हंसी)

श्री ज्वाला प्रसाद : इसका अफसोस उनको हो, जो धोखा देने वाले हैं, हमको धोखा खाने में कोई अफसोस नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जी हां मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसी स्थिति के अन्दर आज कोई यह कहे कि चाहे धोखे से हो, चाहे दूसरे तरीके से हो, लेकिन मुझे उन्हीं सदस्य से एक प्रश्न करना होगा, कि जो बातें इस प्रकार की होती हैं, क्या वे वाजिब हैं ? क्या वे समझते हैं कि प्रजातन्त्र में हमारी प्रजातान्त्रिक सरकार विरोधी दल के साथ इस प्रकार का व्यवहार रखे ? अगर वे ऐसा मानते हैं तो मुझे अफसोस है और मैं यह कह सकता हूँ कि आपका इस प्रकार का व्यवहार है तो फिर चुनाव कौन करायेगा ? क्यों चुनाव कराये जाते हैं ? क्यों नगरपालिका विधेयक बनाने की आवश्यकता को अनुभव करते हैं ? मैं समझता हूँ कि उसके सारे क्लॉजेज़ को हटा कर एक क्लॉज़ पारित करवा दीजिये कि जिन लोगों को सरकार नामज़द करेगी, वे ही म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य होंगे। मैं समझता हूं बहुमत आपके साथ है, आप इस प्रकार का कानून बना सकते है। जब आप इस प्रकार का डेमोक्रेटिक कानून बनाते हैं, प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को बता कर कानून बनाने की चेष्टा करते हैं और उसके साथ साथ प्रजातंत्र के जितने सिद्धान्त हैं, उन पर आचरण नहीं करते हैं, मैं समझता हूँ इस प्रकार की दो तरह बातें नहीं चल सकती। लेकिन चलती हैं क्योंकि आपका बहुमत है। लेकिन जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है, इन सब बातों का अनुभव भी कर रही है और एक दिन आयेगा जब जनता अपने अनुभवों को काम में ले सकेगी। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं का ही प्रश्न नहीं, पंचायतों का भी इसी प्रकार का प्रश्न है। पंचायतों में जब चाहा, तब ही एप्रोच किया, जिस पंचायत के चुनाव स्थगित कराने है, वे स्थगित करा लिये, कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं हैं, कानून है टेलीफोन और नियम हैं तार। अगर जल्दी काम कराना हैं तो टेलीफोन कर दिया और देर से काम कराना है तो टेलीग्राम दे दिया। एक ओर जनता तैयारी करती है कि तहसील के पंच या सरपंच के चुनाव होंगे, जिस समय उसकी तैयारी होती है, लोग तीन तीन महीने से मेहनत करते हैं, कन्वेंसिंग करते हैं, अपने सपोर्टर्स तैयार करते हैं, उसके बाद जब सरकारी पक्ष को इत्तला मिलती है कि हम हारने वाले हैं, तो वे सीधे जयपुर आयेंगे।

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

मुझे माफ करें, नसीराबाद से आने वाले सदस्य, वे लोग यहां आकर नेताओं से मिलते हैं, वे सीधे अधिकारियों के पास जाते हैं, वे मंत्रियों के पास जाते हैं और टेलीफोन कलेक्टर के नाम कराया जाता है, कि वह चुनाव स्थगित करदें।

श्री ज्वालाप्रसाद : With due respect to the Hon'ble member यह सब गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपका फर्ज है।

श्री ज्वालाप्रसाद : आप झूंठ का अपना परिचय करते जाइये और मैं अपना फर्ज अदा करता जा रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अगर झूंठ कह रहा हूँ तो किसी में हिम्मत हो तो वह चुनौती दे।

श्री ज्वाला प्रसाद : ज़बान हिलाने से चुनौती हो जाय, तो मैं चुनौती दे सकता हूँ लेकिन इसके सत्य और असत्य होने का प्रमाण किस प्रकार मिलेगा? आप जिसका नाम ले रहे हैं, वे इस बात से इन्कार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने आपके लिए नहीं कहा है। मैं आपको सम्बोधित करते हुए इसलिए कह रहा हूं कि आप पी० सी० सी० एग्जीक्युटिव सेक्रेटरी हैं और विधान सभा कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। इस दल के सेक्रेटरी होने के नाते कहने की ज़रूरत हुई, वरना मैं इस बात को मावली से आने सदस्य को सम्बोधित करके भी कह सकता था।

(हंसी)

इस सारी स्थिति को लेकर मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि आज चाहे वे इन्कार करें या हां भरें लेकिन इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और पंचायतों के सम्बन्ध में सरकार को निश्चित रूप से नियम बनाने पड़ेंगे। मुझे खुशी है कि सरकार ने तय किया है कि १५०० से २००० तक की आबादी के गांवों में पंचायत बनाई जाय लेकिन वह कब बनाई जाय, इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से तारीख निश्चित कर देनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार को यह करना चाहिए कि जब तक १५०० से २००० के गांवों में पंचायत नहीं बनें उस समय तक तहसील पंचायत के चुनाव, स्थाई चुनाव स्थगित किये जाते हैं। ऐसे आदेश देने चाहिए ताकि सब लोगों को पता हो कि जब नई प्रकार की पंचायतें बनेंगी, उस समय चुनाव होंगे। नहीं तो, जिस समय मर्जी आई, उस समय ऑर्डर दे दिये, जिस समय मर्जी हुई, ऑर्डर कैंसिल कर दिये, इससे लोगों में कटुता बढ़ती है, इससे अपव्यय होता है, चुनाव की तैयारी में लोगों को खर्च करना पड़ता है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। जिस समय काश्तकार रबी अभियान में रबी की फसल बोने में समय दे सकते हैं, उसमें समय न देकर राजनैतिक जाल में फंस कर समय गवां बैठते हैं। इसलिए नम्रता के साथ सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जहां तक खर्चे का प्रश्न आता है, सरकार के सामने एक बार नहीं, अनेक बार इस प्रकार की चीजें रखी गई हैं कि व्यय की जगह अपव्यय होता है

Page No.43

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। अपव्यय के प्रश्न को लेकर सरकार को कहा जाय लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। केवल एक आदत बन गई है, यह आदत बन गई है कि ये झूठी बातें हैं, विरोधी दल के लोग जो यहां कहते हैं, वे झूंठी बातें हैं। मैं उन्हीं सदस्य को प्रमाण सहित, यदि आप चाहें तो जानकारी देना चाहता हूँ कि कल जिस समय आबकारी का प्रश्न आया था, मैंने झालावाड़ के मामले को विधान सभा में प्रस्तुत किया था। माननीय वित्त मन्त्री एक तकाजे में कह गये कि इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई, इस प्रकार का ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन कहा था और आज भी कहता हूं कि जिस प्रकार के आदेश जारी किये गये, उनके पीछे एक रहस्य था, उस आदेश के पीछे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, कोई प्रशासनिक बात नहीं थी, बल्कि मैं यहां तक बता दूँ कि उसके पीछे फायदा पहुंचाने की बात थी। आज कोई कहे कि किस प्रकार हुआ, किस कागज़ के ज़रिये हुआ, किस प्रलोभन के ज़रिये हुआ, मैं समझता हूं कि इसका पता इन्क्वायरी से चल सकता है। इसकी आप इन्क्वायरी करें, माननीय वित्त मन्त्री इन्क्वायरी करे। यह हो सकता है कि आक्षेप स्वयं उन्हीं पर आ जाय, मैं इसकी गारन्टी नहीं लेता हूं। आप इन्क्वायरी करें तो किसी न किसी पर आक्षेप आयेगा। किन्तु ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए रेट्स में परिवर्तन किया गया। एक दिन रेट्स कम दी जाती हैं और दूसरे दिन रेट्स बढ़ाई जाती हैं। क्यों बढ़ाई गई, पहले क्यों कम की गई, बाद में क्यों बढ़ाई गई, यह इन्क्वायरी करने से पता लग सकता है। मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य से कहूँगा कि वे जांच करें और फिर कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वह गलत कह रहा हूँ या सही....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा On a point of order, Sir, कॉन्स्टिट्युशनल चीजों को लेकर एक आदत हो गई है कि कोई सुझाव करके मेरा नाम लेने की आदत हो गई है। मुझे तो क्षमा कीजिये।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं उनकी कठिनाई को महसूस करता हूं कि सेक्रेटरी होने के नाते पहले ही उन पर बहुत जिम्मेदारी है और जांच करने का प्रश्न उनके सामने आ गया तो वे शायद किसी को बचा भी नहीं सकेंगे, इसलिये वे जांच करने से गुरेज करें तो मुझे इसका अफसोस भी नहीं है। जांच चाहे इसकी करें, पूरे हटूंडी बालिका विद्यालय की करें चाहे स्वयं मन्त्रीजी जांच करें। ग्रान्ट इन एड देने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने रूल्स बना रखे हैं कि पहले ऑडिट करवाया जाय, ऑडिट रिपोर्ट देखी जाय, फिर ग्रान्ट इन एड दी जाय। पर वित्त मन्त्रीजी कैसे कहेंगे कि हटूंडी बालिका विद्यालय का ऑडिट नहीं हुआ ऑडिट रिपोर्ट नहीं गई और फिर भी उसको ग्रान्ट इन एड दी गई है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमन्त्री) : स्कूल विभाग की ऑडिट रिपोर्ट जाने पर ही ग्रान्ट-इन-एड मिली है।

श्री भैरोंसिंह : अलग विभाग की नहीं सारे की ऑडिट रिपोर्ट की गई कि नहीं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अलग अलग विभागों को उनकी ऑडिट रिपोर्ट पहुँचने पर ग्रान्ट-इन-एड मिल सकती है । माननीय सदस्य ने पहले कहा था, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी कर ली है ।

श्री भैरोंसिंह : आप तो मोटी सी बात बता दीजिये, ५८-५६ ५७–५८ ५६–५७ और ५५–५६ की ऑडिट रिपोर्ट कब पेश हुई और ग्रान्ट-इन-एड कब मिली । अगर यह गलत निकल जाय तो मैं सदन से उसी समय माफी चाहूँगा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऑडिटेड अकॉउन्ट्स है...

श्री भैरोंसिंह : हैं नहीं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं बता रहा हूं, माननीय सदस्य ने उस दिन भी जिक्र किया था और आज भी जिक्र करना चाहते हैं कि इस साल जो ग्रान्ट-इन-एड मिली है वह बिना ही ऑडिटेड के मिल गई है, ऐसी बात नहीं है । कोई भी ग्रान्ट-इन-एड मिली है वह विधिवत मिली है, कायदे से मिली है, सभी विद्यालयों को जिस कायदे से मिलती है उसी कायदे से मिली है । ५६–६० इससे पहले ५७–५८ का सारी संस्था का ऑडिट नहीं हुआ....

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल–ध्वनि)

यह मैंने पहले भी कहा था, ऑडिटर के पास कागज़ात जा चुके हैं । कुल संस्था के, सारी संस्था के अलग अलग सेकशन्स हैं, बाल मन्दिर हैं, प्राइमरी सेक्शन है, स्कूल सेक्शन, तो अलग अलग सेक्शन्स को सरकार की ओर से ग्रान्ट-इन-एड मिलती है जिस सेक्शन की ऑडिट रिपोर्ट चली जाती है, उस सेक्शन को ग्रान्ट-इन-एड मिल जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि वित्त मन्त्रीजी ने कुछ बातें सही स्वीकार की...

एक माननीय सदस्य : आप माफी मांगिये ।

श्री भैरोंसिंह : माफी तो तभी मागूंगा जब वह यह देंगे कि सब का ऑडिट हो गया, सारी संस्था का ऑडिट हो गया और सारी संस्था की ऑडिट रिपोर्ट पेश होने पर ग्रान्ट-इन-एड दी गई ।....

श्री मदनसिंह : (दांतारामगढ़) दूसरे मिनिस्टर तो हां भी नहीं करते, दा जी हां करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : पर मैं यह कहूँगा कि वित्त मन्त्रीजी को सेक्रेटरी के कागज़ों पर आंख मींच कर दस्तख्त करने की आदत है, कागज़ों के अन्दर गहराई तक जाने की उनकी आदत नहीं रही है । टोटल ऑडिट जिस विभाग का नहीं होता है तब तक ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जा सकती, ग्रान्ट-इन-एड के सवाल के साथ सरकार के पास ऑडिट रिपोर्ट जायगी....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जो, प्रश्न पहले बजट पर बहस करते समय या डिमान्ड्स के सिलसिले में उठा चुके हैं उनको न उठायें और उन्हीं विभागों पर उन्हीं मुद्दों पर बोले जिनकी चर्चा पहले नहीं हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : मैंने केवल रेफ्रेंस दिया है, वह भी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने इस तरह की बात कही इसलिये; खैर।

मैं वित्त मन्त्रीजी से और सदन से कहूँगा कि साधारण नियमों का ग्रान्ट-इन-एड देने में उल्लंघन किया है। भारत सरकार ग्रान्ट-इन-एड देती है भवन, बनाने के लिये, वह व्यय नहीं हो पाती। मैं अब भी कहता हूं इसकी जांच करलें....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अपव्यय में कैसे आता है? आप अपव्यय का उदाहरण दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसको अपव्यय कहें या कानून का उल्लंघन कहें, या सुविचारित घोटाला कहें, तो कोई फर्क नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि इन तीनों को पर्यायवाची स्वीकार कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। खैर।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता पर कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिनके बारे में हमें यहां जिक्र करना पड़ेगा। जनलेखा समिति ने एक बार नहीं अनेकों बार इस बात की सिफारिश की है कि खरीद फरोख्त के मामलों में बड़ा घोटाला होता है इस लिये विभागीय चीजों की खरीद फरोख्त के लिये एक सेंट्रल पर्चेज आॅर्गेनाइजेशन बनाया जाय और उसकी मार्फत खरीद की जाय, किस फर्म से खरीद की जाय। दो साल मुझे देखते हो गये जब कभी यहां प्रश्न पूछा जाता है तो सरकार की तरफ से यही कहा जाता है कि सेंट्रल पर्चेज आॅर्गेनाइजेशन बन रहा है, रूल्स वैगरह बन रहे हैं और अगले वर्ष तक यह काम शुरू हो जायगा पर दो वर्ष का समय इस तरह की बातें कहते कहते बीत गया है, पर वह काम शुरु हो गया हो, उसकी मार्फत खरीद शुरू हो गई हो, ऐसा नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में संभव है कि खरीद फरोख्त में गड़बड़ी हो जाय। मैं राजस्थान के प्रेस विभाग का जिक्र करूंगा, कुछ दिनों पहले खरीद हुई, पैन्सिलें, होल्डर, दवातें और बाकी की और और भी चीजें खरीदी गई थीं। यदि वित्त मंत्रीजी जांच करें तो मेरे पास प्रमाण मौजूद हैं कि उन होल्डरों दवातों, पेन्सिलों और पिन कुशन्स, जिनके कि सेम्पल्स दिये गये थे, उन सेम्पल्स में किस प्रकार परिवर्तन हुआ किस प्रकार १२ रुपये के होल्डर को १८ रुपये में खरीदना पड़ा है। इस प्रकार की बातों के डिटेल में जाने की आवश्यकता। नहीं कोई जांच करना चाहें तो सब कागज मैं मेरे साथ लाया हूं। चीजों की खरीद के अलावा इस विभाग के दूसरे प्रश्न हैं उन देखें तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी सरकार का कोई फाइनेन्शियल कन्ट्रोल इस विभाग पर नहीं है। हमारे प्रेस में रजिस्टर्स के बाइडिंग के लिए मशीन आई हुई है, वह मशीन काम करे या न करे उस मशीन के लिये कम से कम ३० हजार रुपये लोगों को तनख्वाह दी जाती है, हर साल का हिसाब जाता है। इस मशीन पर इतने इतने कर्मचारी काम करते हैं तो सारा बाइंडिंग का काम इस मशीन के द्वार होना चाहिये, वह नहीं होता है। डेढ़ वर्ष पहले हमारे वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट महोदय ने एक फर्म को, जो कोई नई फर्म नहीं, पुरानी फर्म नहीं, उसको रियायत देनी थी इसलिये नई फर्म रातों रात बनाई, नेशनल बाइंडिंग वर्क्स, जिसका जयपुर भर में, कोई बोर्ड नहीं, चांदपोल से घाट दरवाजे तक चले जाइये, किसी गाड़ी में,

Page No.46

(श्री भैरोंसिंह)

पी० सी० सी० की गाड़ी में चले जांय, इस प्रकार का बोर्ड कहीं पर लगा हुआ नहीं मिलेगा, पर फर्म बन गई। फर्म बनते ही हमारी सरकार ने उसके साथ रियायत करना शुरू कर दिया और १५००० का काम दे दिया। ७५ हजार दस्ते, कागजात, पुट्ठे उसको दे दिया। देने का आॅर्डर हुआ तो डाइरेक्टर ने कहा कि आधा काम नेशनल बाइंडिंग वर्क्स को दिया जाय और आधा प्रेस में ही सरकारी स्तर पर कराया जाय। पर इस आज्ञा का उल्लंघन किया गया और यह सारा सामान नेशनल बाइंडिंग्स को दिया गया तथा उन दस्तों का, कागजात का और सारे सामान का आज तक पता नहीं, जिल्द का तो पता ही क्या हो। जिल्द बांधने के लिये जो रजिस्टर्स दिये थे उनका ही पता नहीं। सरकार ने टेन्डर इन्वाइट किये हैं, ये सारी बातें हो सकती है,....

१ म० प०

कहने के लिये सब कुछ हो सकता है, कहने के लिये नियम हो सकते है। लेकिन इसकी जांच नहीं होती तथा इस विभाग की जांच नहीं होती, क्योंकि जिस व्यक्ति ने गलतियें की हैं, जितना प्रेस का सामान दिया है, कौनसा सामान किस तारीख को किस संस्था को दिया है और किसकी ज़मानत पर दिया है, यह रजिस्टर में एन्ट्री नहीं है। मैं समझता हूं कि लाखों रूपयों का लेन देन पड़ा है और अगर कोई पूछे की कहां गया तो पता नहीं कि वह कहां गया और उस सामान की कीमत क्या है ? यह उनकी जानकारी में नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार इस प्रकार के काम करनेवालों को दंड नहीं देती। उनको प्रमोशन देती है। अब तक तो सुपरिन्टेन्डेन्ट थे अब प्रमोशन मिल रहा है और डाइरेक्टर होनेवाले है। अगर सरकार इसी तरह से करती रही तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती हैं कि ईमानदार लोग महसूस करने लगेंगे कि ईमानदारी से काम करने से प्रमोशन नहीं मिल सकता है और आर० ए० एस० और आई०ए०एस० आदि में नाम नहीं आ सकता। यदि किसी ने अपने साथ किये गये गैर इन्साफ के लिये प्रार्थनापत्र दिया तो उसका प्रार्थनापत्र पी० एस० सी० को भेज दिया जाने के बजाय उन लोगों को इस प्रकार की मांग करनेवालों को सजा दी जावेगी। उनको किसी न किसी तरह से परेशान किया जावेगा। जिस स्थान पर वह काम कर रहा है उसको उस स्थान से हटा कर बाहर भेज दिया जावेगा ताकि वह परेशान हो जावे। अध्यक्ष महोदय, यह राज सेवाओं की स्थिति है। जो ईमानदार हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की बातें हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। अगर इस प्रकार की बातें चलती रही तो मैं समझता हूं कि कोई हित प्रान्त का नहीं होने वाला है और जब तक इस प्रकार की बातें होतीं रहेगी मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उनको यहां पर कहता रहूंगा। जब तक सरकार दुरूस्त नहीं होगी तब तक कहता जाऊंगा। इसलिये सरकार का सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है कि सरकार स्वयं अपने हाथ मजबूत रखे और साफ रखे और तभी अधिकारियों को साफ हाथ रखने के लिये कोशिश की जा सकती है और तभी सरकारी अधिकारी भी अपने हाथ साफ रखेंगे।

इसके अलावा विधान सभा में कही गई

(श्री भैरोंसिंह)

बातों में इतनी उदासीनता रहती है कि उसकी कोई चिन्ता नहीं करता। जिस समय विधान सभा में कोई बात कही जाती है तो कहा जाता है कि आप उसको लिख कर दे दें। मैं समझता हूं कि विधान सभा में, किसी सदस्य द्वारा कही गई, बात, लिखने से कम महत्व नहीं रखती। यू० पी० विधान सभा में किसी ने सरकार के एक मंत्री पर आरोप लगाये। यू० पी० के मुख्य मंत्री ने कहा, मैं इसकी जांच करूंगा। आज हम उन पर किसी प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन राजस्थान में अगर हम किसी पर आरोप लगावे तो उनको स्वीकार नहीं करें, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसको सदन स्वयं जानता है। मैं यह वित्तमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, सदन से निवेदन करूंगा कि यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है, यदि सदन के सदस्य कोई बात किसी के बारे में कहे उसको हंस कर मज़ाक में टाल देते है, ऐसा नहीं होना चाहिये। यह सदन की डिगनिटी का सवाल है। फाइनेन्स मिनिस्टर को चाहिये और सरकार को चाहिये कि किसी भी प्रकार के अभियोग सरकार पर लगाये जाते हैं या किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ लगाये जावें तो उनको, अधिकारीयों को शिल्ड नहीं करना चाहिये। सरकार को चाहिये कि जो लोग उन पर अभियोग लगाते हैं उन लोगों को चेतावनी दें कि जो कुछ अभियोग लगाये हैं उनको उन्हें सिद्ध करने होंगे। और उसकी जांच कराई जानी चाहिये।

२ म. प

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और दोषी को सज़ा दी जानी चाहिये। लेकिन राजस्थान में होता क्या है कि उनको सरकार शिल्ड करती है। विधान सभा में जिस समय किसी के प्रति प्रश्न पूछा जाता है तो माननीय मंत्री खड़े होते हैं और जिसका वे कोई जवाब नहीं दे सकते फिर भी जवाब देते हैं कि यह अधिकारी निर्दोष है। यह उनकी ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। यह एक प्रकार की आदत बन गई है तथा इस प्रकार से कहा जाता है। अभी यू. पी. में चार एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियरों के खिलाफ एक्शन लिया गया। अगर यहां पर भी आज जानकारी करना चाहें तो मैं आपको अलवर में होस्पिटल की बात बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एलेक्जेन्डर होस्पिटल अलवर में है। वहां पर पत्थर का काम हो रहा है। इसमें अलवर की रेट दी जाती तो कोई एतराज़ नहीं था। मैं समझता हूं कि जितने भी व्यक्ति पी. डब्ल्यू. डी. की जानकारी रखते हैं वह इसको समझ सकते हैं। अलवर में पत्थर का काम हो रहा है तो अलवर में ही पत्थर की जो रेट हो वही दी जानी चाहीये मगर ऐसा नहीं है। वहां के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर ने अलवर की रेट को नहीं बल्कि कोटा की वर्तमान रेट को भी नहीं दिलाया और कोटा की पुरानी रेटें थी वहां ली जा रही है। मैंने उसको रफली केलकुलेट किया तो उसका फर्क करीब २० हज़ार का आता है। यह सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के ओहदे का आदमी है जो ऐसा करता है। समझ में नहीं आता कि यह २० हज़ार रुपया सरकार के खजाने में जावेगा या इंजीनियर के खुद के खजाने में जायगा। अलवर का पत्थर लग रहा है और कोटा की पुरानी रेट दी जा रही है। इतना ही नहीं इसके अलावा भरतपुर बयाना रोड पर जो काम हो रहा है वहां पर पत्थर पड़ा हुआ है जो कच्चा है उसके लिये यह लिखा गया कि यह कच्चा पत्थर है यह सड़क के काम नहीं आ सकता। उसकी जांच की गई तो

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

पाया गया कि यह कच्चा पत्थर है, सड़क के काम का नहीं। आप उसको लेबोरेटरी में दिखा सकते हैं, वह पत्थर कच्चा है और सड़क के काम का नहीं लेकिन फिर भी एग्ज़ीक्युटिव इंजीनियर ऑर्डर देते हैं कि कच्चा पत्थर काम में लिया जाए। अगर आप इसकी जांच करावेंगे तो सब चीजें सामने आ जावेंगी कि वास्तव में क्या बात है। सदन सबसे बड़ा है इसलिये यहां पर निवेदन करते हैं। जब कहीं से रेस्पोन्स नहीं मिलता तो विधान सभा में आता है। तो अब यह भी लोग अनुभव करने लगे हैं कि विधान सभा में इलजाम लगावेंगे तो क्या होगा। वहां तो हमें बचाने वाले फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बैठे ही हैं वे उनको बचा लेंगे। उनको यहां बचाने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं कि यहां पर विधान सभा में जो बातें कहीं जाती हैं वे महत्व की होती हैं और अगर इस तरह से किसी को बचाने का प्रयास किया गया तो वे यह इम्पोर्टेन्स स्वतः समाप्त हो जावेंगी। इसलिये इन सारी बातों को ले कर मैं माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा अपील करूंगा और सदन से अपील करूंगा कि विधान सभा में कोई आरोप लगाये जावें उसके लिये एक कमेटी बनाई जावें, जो उसकी जल्दी से जल्दी जांच करें। क्योंकि अगर देर होगी तो उसका महत्व मिट जावेगा। आज जो बातें मैंने विधान सभा में कही हैं उन बातों की अगर ५ दिन में जांच करना चाहे तो कर सकते है। उनके पास जब कागज़ पहुंचेगे तो वे उन कागज़ों को किसी भी समय बदल सकते है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक विधान सभा की समिति हो। दो तीन दिनों में ही उसकी जांच हो। वर्ना किसी को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं। आज विधान सभा में कोई बात कह दी जाती है तो सरकार का नोट बन कर उसी अधिकारी के पास जावेगा तथा वही अधिकारी उसका उत्तर दे देता है कि यह बात गलत है। उस अधिकारी के सामने विधान सभा का सदस्य गलत है। इसलिये जब तक कोई जांच नहीं होती तो यह जो परम्परा है कि उसी अधिकारी को लिख दिया जाता है और वह लिख देता है कि यह गलत है, यह परम्परा गलत है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की समिति बनाई जावे जो उनकी जांच करें और अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करे और सदन सुन कर क्या कार्यवाही कर सके उसके लिये नियम बनाये जावे तो हो सकता है कि सरकार के काम में उन्नति होगी और हमारे कहने में तथा हमारे स्टेन्डर्ड में भी उन्नति होगी एवं सभी चीज़ों का सदुपयोग होगा। मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्य इससे सहमत होंगे। मैंने इस एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में कुछ बड़ी बातें सदन के सामने रखी है जिसकी मैं समझता हूं फाइनेन्स मिनिस्टर जांच करेंगे और मैं समझता हूं कि उनको स्वयं को मालूम है। वे मुझे ही ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी करा दें। मैं सदन में उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला हंसने का नहीं है। मेरा निवेदन यह है...

श्री उपाध्यक्ष : निवेदन लम्बा पड़ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : एक दो मिनिट का ही है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह मामला छोटा नहीं है। इस ग्रान्ट इन एड के मामले को लेकर राजस्थान के सारे अधि-

Page No.49

(श्री भैरों सिंह)

कारियों में इसकी चर्चा है कि वित्त मंत्री महोदय जनरल फाइनेन्शियल रूल्स की कम्प्लायेन्स नहीं करते हैं तो फिर छोटे कर्मचारी कैसे करेंगे। वे चाहे जैसे सदन में जवाब दें लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। आज उसकी जांच करायें। आज विरोधी दल कहता है और वित्त मंत्री महोदय कहेंगे कि मैंने कोई गलती नहीं की लेकिन गलती नहीं की है इस दृष्टि से उनके आचरण की जांच करानी चाहिये। यदि गलती हो गई है तब भी मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उनको उनकी कुर्सी पर रखें। उन्होंने गलती नहीं की है तो वे विरोधी पक्ष की इस चुनौती को मंजूर करें। हुन्डी स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट साफ बोल रही है, उनमें नियमों का उल्लंघन हुआ है और वे कहते हैं कि यदि उल्लंघन नहीं हुआ और यह साबित हो जाय तो मैं उनको चुनौती देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरा त्याग पत्र मौखिक स्वीकार कर लिया जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इसकी उनको जांच कराना चाहिये, एक महिने बाद नहीं। आज ही चलें, मोटर में बैठकर और ज्वालाप्रसादजी को साथ ले लें तथा अन्य किसी को भी साथ ले लें....

श्री उपाध्यक्ष : You are not going to concede to the request which Shri Jawala Prasad has made to you.

श्री भैरोंसिंह : वे पार्टी के उच्चाधिकारी हैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हरिदेव जी होते तो मैं कह देता।

ऐसी सारी स्थिति को लेकर, एप्रोप्रियेशन बिल माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है, उन्होंने पेश किया है इसलिए वह पास होगा, लेकिन साथ ही साथ जो कमियां सामने आयी हैं सरकार उन कमियों की ओर ध्यान देगी इस आशा से मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रियेशन बिल नं० ३ हमारे सामने प्रस्तुत है उसका एक प्रकार से स्वागत करते हुए भी मैं कुछ बातें इसी प्रसंग को लेकर कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में भी आयुर्वेद के बारे में सरकार की वही पुरानी नीति जारी है। आयुर्वेद का जहां सवाल आता है वहां राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, और खास कर राजस्थान सरकार के अन्तर्गत एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। जहां तक राजस्थान सरकार का एलोपैथी का विभाग है उस विभाग ने आयुर्वेद विभाग के साथ विरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। आज राजस्थान में वैद्यों, हकीमों और डाक्टरों की स्थिति को लेकर एक सामाजिक समस्या खड़ी होती चली जा रही है, मैं समझता हूं, उसे सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। हमें कहा जाता है, आये दिन सदन में बातें आती हैं कि अमुक ज़िले में डाक्टर नहीं पहुंचा, नर्स नहीं पहुँची, डाक्टरों की तलाशी के लिए बम्बई, कलकत्ता जाना पड़ता है और लंदन भी जाना पड़ेगा, एक तरफ बीकानेर में मैडिकल कॉलेज खोल कर अधिक से अधिक डाक्टर उत्पन्न करना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि देश में हज़ारों वर्षों से जो आयुर्वेद चिकित्सा चली आ रही

Page No.50

(श्री जनार्दनराय नागर)

है उसके प्रति हमारी सरकार की यह उदासीन नीति क्यों है ?

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : डॉक्टर कैसे उत्पन्न होंगे ?

श्री जनार्दनराय नागर : डॉक्टर मिलते नहीं, और मिलते हैं तो मंहगे मिलते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ी हुई जनता की चिकित्सा अर्थाभाव के कारण वे पूरा नहीं कर सकते। आयुर्वेद के विकास के लिए जो ५७ हज़ार रुपया रखा हुआ है वह इस बात का द्योतक है कि सरकार की आयुर्वेद में गहरी निष्ठा नहीं है और इसी-लिए इस प्रकार की बहाने बाजियां सरकार की ओर से की जाती हैं। जहां आयुर्वेद औषधालय बनाने की बात आयगी, तो २५ हज़ार की सरकार ग्रान्ट-इन-एड देगी और वह भी गा गा कर बतायेगी कि आयुर्वेद के लिए इतना रुपया दिया है। लेकिन जहां मेडिकल कॉलेज बनाना है तो उसके लिए सरकार २५, ३० लाख रुपये का भवन बनायेगी। ये सारी बातें इन बातों की सूचक है कि सरकार की आयुर्वेद के प्रति निष्ठा नहीं है। शायद जनमत के दबाव से या पुरानी चीज़ है इसलिए थोड़ा बहुत चलाते रहने की दृष्टि से सरकार ने जग दिखावे के लिए कुछ हज़ार रुपये रख दिये। आयुर्वेद के विकास के लिए जो आयुर्वेद का प्रयोग केन्द्र खुला हुआ, आपको हंसी आयगी उपाध्यक्ष महोदय, ४० हज़ार रुपया रखा है, ४० हज़ार रुपयों में आयुर्वेद एक्सपेरिमेन्ट केन्द्र चला रहे हैं। सरकार कुछ लोगों को या उन लोगों को जो यायुर्वेद के लिए सरकार के पास जाकर रोते हैं उनको कहने के लिए, उनका मज़ाक करने के लिए ऐसा किया जाता है। एक तरफ हम से कहा जाता है, राजस्थान के वैद्यों से कहा जाता है कि अपने साधनों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, आयुर्वेद का प्रचार करो और दूसरी ओर हम देखते हैं कि आयुर्वेद औषधालयों में रोगियों के लिए ठीक प्रकार की खटिया भी नहीं है। उदयपुर में औष-धालय चलता है लेकिन उसके कमरों में जाइये तो आप गाय और भैंस भी बांधने के लिए तैयार नहीं होंगे। आयुर्वेद औषधालय में कहीं वार्ड बनाने के लिए पैसा नहीं। लेकिन एलोपैथी के लिए सब है, कुछ सरकार कहती है कि डॉक्टर नहीं मिलते, महंगे मिलते हैं और लोगों की उनके विरुद्ध बहुत शिकायतें हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि अस्प-तालों के जो डॉक्टर्स हैं उनका जो व्यवहार है वह मानवता के लायक नहीं है। आज भी जो वैद्यों का व्यवहार है वह वही है जो परम्परा से चला आ रहा है और जो रोगियों के साथ सहानुभूति पूर्ण और ममता से भरा हुआ है। आयुर्वेद के लिए हमने जब सरकार से कहा कि ऊंचे स्तर पर आयुर्वेद के विकास के लिए आयुर्वेदिक औषधालय खोलना चाहिये, तो सरकार वह नहीं बना सकी। मंत्रीगण जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टरी दवाइयां लिया करते हैं। उनकी आयुर्वेद के लिए यह मान्यता बन गई प्रतीत होती है कि यहां तो चूरण चटनी मिलती है। सरकार एक कमीशन बैठा कर देखे कि कितने ऐसे रोग हैं जिनको कि एलोपैथी भी ठीक नहीं कर सकती है, उनको आयुर्वेद ने साध्य कर दिया है, जो संभूत रूप से आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से ठीक हुए है। सच तो यह है कि सरकार को अपनी चिकित्सा नीति

(श्री जनार्दनराय नागर)

निर्धारित करने की आवश्यकता है। अन्धा-धुन्ध एलोपैथी पर काफी रुपया खर्च कर रही है सरकार। मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सर्जरी से सम्बन्धित चिकित्सा का जहां तक सवाल है एलोपैथी ज्यादा कारगर है, यह मंजूर करना पड़ेगा। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का भी स्थान है लेकिन इसके लिए सरकार की उदासीनता ही है। कम्पाउन्डर्स, नर्सेज़ की ट्रेनिंग के लिए कोई विशेष सरकारी प्रबन्ध नहीं। ४० हज़ार की लेबोरेटरी खोल दी, २५ हज़ार का मामूली मकान बनाया जाय और फिर कहा जाय कि आयुर्वेद का विकास चालू है। मुझे बड़ा अफसोस है उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार की नीति कोई निर्धारित नहीं है। जहां एलोपैथी पर आप दो करोड़ रुपया का खर्चा करना चाहते हैं, वहां सारे साल के लिए आयुर्वेद के लिए केवल ३०,३५ लाख रुपया ही रखते हैं। मैं शायद यह भी ज्यादा बता रहा हूं। यदि आप आयुर्वेद के वैद्यों, कम्पाउन्डर्स, टीचर्स की ग्रेड देखिये आपको और हमको दया आवेगी, उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के प्रिन्सिपल और कॉलेज के लेक्चरार्स को मामूली तनख्वाहें दी जाती हैं जब कि डॉक्टरों को ऊंचे स्तर का वेतन मिलता है। आदर, सुविधा और प्रतिष्ठा की दृष्टि से एक भेद बरता जा रहा है और यह वैद्यों और डॉक्टरों का सवाल बन गया है। जहां इन्डियन मेडिशन एक्ट के अन्तर्गत वैद्यों को रजिस्टर करने का सवाल है, सरकार के पास कोई निर्णय नहीं है। आज २५,३० हज़ार वैद्यों का सवाल है, लेकिन उनके लिए सरकार कोई निर्णय नहीं करना चाहती। एक ऑर्डर आता है कि इतने रजिस्टर होंगे। वे सरकार की इस अंधी नीति का शिकार होते चले जा रहे हैं। आज डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। हर बात में आप आयुर्वेदिक को पीछे ढकेलने की नीति पर चल रहे हैं। उनको निश्चित प्रोत्साहन देने की नीति नहीं है।

और जहां डाइरेक्टोरेट सार्वजनिक जन स्वास्थ्य खुले आम कॉन्फ्रेन्सेज़ में प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं और जिनका उद्घाटन जिम्मेवार मन्त्री लोग करते हैं, इन कान्फ्रेन्सेज़ में, सेमीनार्स में यह कहा जाता है कि आयुर्वेद बेकरी है, अज्ञान से पूर्ण चिकित्सा पद्धति है इसकी जो संस्थायें चलती है उनको बन्द कर दिया जाय। हमने इस बारे में बार बार सदन में यह मांग की है कि सरकार इस मामले में अपनी नीति क्यों स्पष्ट नहीं करती, लेकिन सरकार चुप है। यदि इसी प्रकार की विवशता है तो मैं सरकार से चाहूंगा कि यह दिखावे के रूप में चालीस पचास लाख रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं उसको भी करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री भीखाभाई (उप स्वास्थ्य मन्त्री) : मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि सेमीनार्स में, कॉन्फ्रेन्सेज़ में, जिनमें मन्त्री लोग भाग लेते हैं उनमें कहा जाता है कि आयुर्वेद बेकार है, यह कहां का इन्स्टान्स दे रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय उप मन्त्री महोदय ने बहुत जल्दी की। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। आज से तीन साल पहले इन्डियन मेडीकल कौन्सिल की बैठक हुई थी उस बैठक के अन्दर आपके राज्य के डाइरेक्टर मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज़ और बड़े बड़े डॉक्टर उपस्थित थे या नहीं

(श्री जनार्दनराय नागर)

और उसका उद्घाटन राज्य के मन्त्री ने किया या नहीं और वहां यह प्रस्ताव पास हुआ या नहीं कि आयुर्वेद की जितनी संस्थायें हैं वे बन्द कर देनी चाहिये, और आयुर्वेद का शिक्षण होना ही नहीं चाहिये क्योंकि यह क्वेकरी है और अवैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली है। माननीय मन्त्री महोदय से पूछना कि चाहूंगा, क्या ये बातें उनकी नाक के नीचे नहीं हुई थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह प्रस्ताव पास होना एक बात है, किसी मन्त्री द्वारा इस प्रकार कहा जाना कि यह क्वेकरी है अवैज्ञानिक है, यह बात दूसरी है। यदि ऐसा किसी के द्वारा कहा गया हो तो आप बतलाइये।

श्री जनार्दनराय नागर : मैंने यह नहीं कहा कि किसी मन्त्री ने यह कहा है, मेरा निवेदन यह है कि जिन कॉन्फ्रेन्स का या सेमीनार का मन्त्री लोग उद्घाटन करते हों और जिस कॉन्फ्रेन्स में जिम्मेवार अधिकारी डाइरेक्टर स्वास्थ्य विभाग जैसे प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हों और वहां इस प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार होना यह मतलब रखता है कि राज्य सरकार की सलाह से यह हुआ होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : भाव यह प्रगट हो रहे थे जैसे किसी मन्त्री ने कहा हो।

श्री जनार्दनराय नागर : जिनका उद्घाटन मन्त्री लोग करते हों और जिस कॉन्फ्रेन्स में मेडिकल विभाग के डाइरेक्टर मौजूद हों सरकारी प्रतिनिधि के रूप में और अपना स्वागत होते हुए इस प्रकार का प्रस्ताव पास होता हो तो उसको क्या समझा जाय। तीन साल हुये जब दा सा (उपाध्यायजी) उदयपुर आये थे उस समय मैंने आयुर्वेद के बारे में उनके सामने बात रखी थी, उनसे कहा था कि इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ है, अब भले ही वे इन्कार करें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ या नहीं यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां मेडिकल विभाग के लोग आयुर्वेद के लिये इस प्रकार के प्रस्ताव पास कर सकते है, वहां आयुर्वेद विभाग भी इस प्रकार का प्रस्ताव पास कर सकता है लेकिन इससे सरकार की नीति पर क्या असर पड़ता है उनका अपना एसोसियेशन है वे जैसा चाहे प्रस्ताव पास कर सकते है।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकारी नीति पर यह असर पड़ता है कि सरकार की जो आयुर्वेद के विकास करने की नीति है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लाखों रुपया इस आयुर्वेद के प्रसार के लिये खर्च करेंगे, किन्तु जहां आपका डाइरेक्टर स्वास्थ्य विभाग सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता है और इस प्रकार के प्रस्ताव को पास होने देते हैं और फिर भी हमारे वित्त मन्त्री महोदय कहते हैं इसका सरकार की नीति पर क्या असर पड़ता है, हैरत है।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : तो क्या विचार स्वतन्त्रता नाम की कोई चीज़ है ही नहीं ?

श्री जनार्दनराय नागर : विचार स्वतन्त्रता की दलील मैं समझता हूँ इस पर अप्रासंगिक दलील है इन्डियन मेडिसिन

Page No.53

(श्री जनार्दनराय नागर)

कौन्सिल एक रिकग्नाइज्ड संस्था है। वहां जो कुछ होता है उसका सरकारी तन्त्र पर असर पड़ता है। इसका अधिवेशन जयपुर में किया गया सरकारी अफसर जो मेडिकल विभाग के डाइरेक्टर हैं वे सरकार की ओर से भेजे गये थे, एक रिप्रेजेन्टेटिव की हालत में ओर वहां इस प्रकार का प्रस्ताव आता है, तो वह सरकार की ओर से आया हो ऐसा ही समझा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष :—The question is whether they can be debarred.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार का डाइरेक्टर वहां जाता है और दूसरे डाक्टर्स वहां जाते हैं तथा वे सरकारी प्रतिनिधि बनकर जाते हैं और फिर उनकी उपस्थिति में इस प्रकार का प्रस्ताव पास होता है तब सरकार पर किसी हद तक ज़िम्मेवारी आती है। आप विचार स्वतन्त्रता कहकर पीछे हट नहीं सकते, मेरी ऐसी मान्यता है। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इसका स्पष्टीकरण किया? जब सरकार का डाइरेक्टर इस प्रकार का प्रस्ताव स्पोन्सर कराने वाला हो, ऐसी हालत में यह कैसे माना जायगा कि मेडिकल डाइरेक्टोरेट की यह नीति नहीं है। उसके अलावा आपने भी अभी तक, आज दिन तक इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। विचार स्वतंत्रता की दुहाई दी जाती है यह गलत स्थिति है और गलत तरीका है विचार करने का। मैं तो मानता हूँ कि सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया।

अब मैं दूसरी बात शिक्षा-योजनाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। राजस्थान के अन्दर बड़ी बड़ी शिक्षा योजनाओं को रक्खा है लेकिन इन बड़ी बड़ी शिक्षा योजनाओं में मार्ग दर्शन की जरूरत है, लेकिन वह विचार और मार्ग दर्शन आज सरकार देने की स्थिति में नहीं है। बड़ी बड़ी योजनायें चालू तो करदी जाती हैं, किन्तु इस विषय में जाकर शिक्षा विभाग में जो अधिकारी काम करते हैं उनके पास इससे सम्बन्धी जानकारी के लिये जाते हैं, तो इस प्रकार के अज्ञान का परिचय मिलता है, उसको देखकर दुःख होता है। पांच पांच, छः छः वर्ष से जिन का प्रयोग किया जाता रहा हो और उन प्रयोगों के बारे में जब जाकर विभाग में पूछते है, तो न तो उनको जानकारी है, और न उन प्रयोगों के बारे में ये सोच ही सकते हैं और न समझ सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने साहित्यिक, सांस्कृतिक और सैक्षणिक मद में न कुछ धन राशि स्वीकृत की है, और सरकार ने इस मामले में काफी धन राशि देने का प्रावधान भी किया है लेकिन जो मार्ग दर्शन चाहिये वह आज देने की स्थिति में नहीं है।

अन्त में जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है। आप जो सारे खर्चे हमसे पास करवाने जा रहे हैं, लेकिन लालफीताशाही को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लालफिते को अपनी गर्दन में बान्धकर बैठूं। आज लालफीते की फांसी पड़ी हुई है सब पर मुझे याद है हमारे वित्त मंत्री महोदय से इस बारे में बातचीत चल रही थी, तो उन्हाने यह वादा किया था कि सन् १६५८ तक हम इस लालफीताशाही को कम कर देंगे। सन् ५८ बीत चुका। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं वह फीता कितना इन्च कम किया गया।

(श्री जनार्दनराय नागर)

मैं समझता हूं जितना इंच लालफीता कम था उसमें दस इंच की ज्यादा ही वृद्धि हुई होगी। वित्त मंत्री महोदय मेरी ओर देख रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं, ललफीते की फांसी सदन के हर सदस्य के गले पड़ी हुई है कैंची अगर आपके जेब में नहीं है, तो उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा वह कैंची आप निकाल कर दें ताकि लालफीता शाही की जो फांसी लगी हुई है उसको काट सकें ....

श्री उपाध्यक्ष : आसन की ओर से कोई कैंची नहीं चला करती है।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे पास तो कैंची नहीं है, किस को जाकर कहूं जो लालफीता शाही की फांसी हमारी गर्दन पर लगी हुई है वह किससे काटें। दिल्ली से मंगालू लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं। आज आपका महकमा खास एक महासागर बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय बिना कागज़ के पीछे फिर एक कागज़ भी नहीं हिलता। सरकारी तन्त्रकी यह कसौटी रही है कि हर कागज के पीछे पांच दिन खराब करने पड़ते हैं। आपको यह ज्ञात है कि कितने हज़ार रुपया कागज़ों के निकलवाने में आने जाने में खर्च होता है। हमारे जैसे लोगों को भी कागज़ों के पीछे फिरना पड़ता है तो साधारण व्यक्ति को कितनी कठिनाई होती होगी, यह उपाध्यक्ष महोदय, आप महसूस करते हैं न मालूम कितनी बार और कहां २ से टेलिफोन करते हैं। वित्त मंत्री महोदय के वित्त सचिव जैसे सहानुभूति रखने वाले...

श्री उपाध्यक्ष : Rightly you are pleading a cause.

श्री जनार्दनराय नागर : वित्त मंत्री महोदय मेरी इस बात पर दाद देंगे, जब हम परेशान होकर उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे कागज़ नहीं निकलते हैं। तो वे वित्त सचिव को कहते हैं और उनको ख्याल करना पड़ता है कि अमुक अफसर की टेबल पर कागज़ अटका हुआ है। वित्त सचिव खुद जाकर निकलवाते हैं। यही हाल तमाम सचिवों का है। आज हमारे मन्त्रीजी के पास कितने लोग जाते हैं, इस सदन के लोग जाते हैं, इस सदन के कि हमारे अमुक कागज़ कितने महीनों से पड़े हुये हैं और उन पर निर्णय नहीं होता। सबसे बड़ी चिन्ता की बात यही है। समय पर जिम्मेदार अधिकारी आवश्यक और उचित कार्यवाही और निर्णय न कर सकें, यह शोचनीय बात है। कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं ढेबर भाई। उन्होंने बार बार अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इस भारतीय जन-समाज के विकास की योजनाओं को सफल बनाना है, तो यह लालफीता शाही खतम करनी होगी। अगर मेरी बातों का असर वित्त मन्त्री पर न हो तो ढेबर भाई की बात का असर तो होगा ही।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य की बातों का असर नहीं होता, यह कैसे उन्होंने अनुमान लगाया ?

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : अगर होता तो, मैं समझता हूं, बहुत सी बातें बिना कहे ही हो जाती।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे नोट्स में गोते लगा रही हैं।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : हम तो जनता के काम करने के गर्जी हैं। उस गरज के मारे बैठे हैं। रात दिन उनके ज़मीन के खेत के और दूसरे दूसरे काम काज लेकर विकास के कागज लेकर जाते हैं पर यह लालफीता बढ़ता ही जाता है। इसके लिये जो भी अनुष्ठान आप बतावें हम उसे करने को तैयार हैं। वाकई हम परेशान और जलील हैं इसके मारे। लालफीते का ही कोई विज्ञान हो गया हो, तो बात दूसरी है। शायद यह लालफीते का भी कोई विज्ञान है। दो दो कमेटियां बिठाकर आपने इस लालफीते को कम करना चाहा, पर उन कमेटियों का क्या हुआ ? हमें एक कवि की कविता याद आती है जिसमें यह कहा गया है कि टेबुल पर तास के पत्ते पड़े हुए हैं और मैं यों ही दफ्तरों में चक्कर काटता फिरता हूं। यह हमारे हजारेश्वर महादेव के मन्दिर के समान है।

श्री उपाध्याय : यह कविता की भावना है।

श्री जनार्दनराय नागर : आपको महकमा खास का चक्कर लगाने का दुर्भाग्य नहीं मिला, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो आपको भी पता होता···

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble member not to drag the Chair in to discussions.

श्री जनार्दनराय नागर : I am sorry मैं कह रहा था यह हठ योग हो गया है कागज निकलवाना। इसलिए मेरी विनती है कि आप इस लालफीतेशाही को कम करिये। आप कम करने को तैयार हैं या नही ? लालफीते की फांसी प्रत्येक माननीय सदस्य की गर्दन में पड़ी है इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे कहीं से भी कैंची लाकर इस फीते को काटें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिप्रसाद, यह क्या मुश्किल है, दस मिनिट में दस जगहें बदल रहे हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत के बारे में मुझे कहना है। संस्कृत के बारे में सरकार ने कमेटी मुकर्रर की, लेकिन आज उस की सिफारिशों के अनुकूल पूरा काम सरकार की ओर से नहीं हुआ। सेक्रेटेरियेट में संस्कृत का सारा काम काज डील करने वाला एक क्लर्क है। इसके सामने संस्कृत के डाइरेक्टर को आकर बैठना पड़ता है और वह क्लर्क जैसी सलाह देता है वही बात चलती है। स्टाफ के बारे में रिपोर्ट दी गई पर वह आज भी उस क्लर्क की दराज़ में रक्खी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : Can you mention the name of the clerk. ?

श्री जनार्दनराय नागर : मैं इस में विश्वास नहीं रखता। सब जानते हैं कि वह क्लर्क कौन है। वह आज भी वहीं मौजूद है। २० वर्षों से उस पं० सूरजनारायण को अपने किसी रिश्तेदार के मोह में बैठा रक्खा है। यह शिक्षा सचिव जानते हैं, शिक्षा मंत्री

(श्री जनार्दनराय नागर)

भी जानते हैं, पर वहां न मालूम कौनसी ताकत है उस आदमी के पास जो सारे के सारे कागजात संस्कृत के लेकर बैठा है और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। इस बात से मेरी बात का वजन मालूम होगा । ३५० संस्कृत अध्यापकों की जगहें खाली हैं, पर भरी नहीं गई हैं आज तक फिर संस्कृत विभाग में आज भी ३०) रुपए वेतन पाने वाले अध्यापक हैं। संस्कृत के बारें में भी वैसा ही सवाल आ पड़ा है जैसा आयुर्वेद के बारे में बताया गया है ।तो आज उन संस्कृत के लोगों के स्टाफ के क्लिसेशन के बारे में, वेतन स्तर के बारे में सरकार ने जो निर्णय लिये उन सिफारिशों को लागू करते समय एक बात और लगाई गई, कि जिन्होंने आचार्य के साथ अंग्रेजी में ग्रेजुऐशन किया होगा उन्हें ही आचार्य, अंग्रेजी के प्रोफेसर या ग्रेजुएट के समान स्तर पर गिना जावेगा। आज जिनके पास अंग्रेजी की डिग्री होगी, उन्हीं को एम. ए. बी. ए. के बराबर माना जावेगा। यह है स्थिति आज हमारी अंग्रेजी परस्ती की। जिसने सर्वोच्च डिग्री संस्कृत की ली है उसको अंग्रेजी की सर्वोच्च डिग्री के बराबर मानने को तैयार नहीं है। यह है हमारी आज की सरकार की स्थिति ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संस्कृत की सर्वोच्च डिग्री को अंग्रेजी की सर्वोच्च डिग्री के बराबर बराबर मानने को तैयार हैं ? वे शर्त अंग्रेजी की लगाते हैं, इसे आप हटाने को तैयार हैं ? हमारे वित्त मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन दें, कि कमेटी की सिफारिशों को आपने वाकई में कितना कार्यान्वित किया है । जवाब इस सदन में लम्बा चौड़ा दिया गया पर बाद में जांच की तो कहना चाहता हूं बहुत सी बातें जो सरकार को करनी चाहिए थीं, ग्रेड के बारे में, क्लिसेशन के बारे में, समान अवसर देने के बारे में, नही की गई, आज भी ये मामले बीच में पड़े हुये हैं और वह क्लर्क महोदय, बहुत से कागजात अपनी दराज में रख कर बैठे है। इसकी उनको जानकारी नहीं है । मैं समझता हूं मन्त्री महोदय ने अब भी इस प्रकार की जानकारी कर ली होगी। यदि सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ले तो सैंकड़ों अध्यापकों को लाभ हो। सरकार ने ५०) रुपये कम से कम किया है अध्यापकों का। इस महत्वपूर्ण निर्णय का लाभ गरीब संस्कृत के अध्यापकों को भी मिलना चाहिये, जिन पर सदियों से अन्याय और अत्याचार होता आया है, उनको समाज में रोजी और रोटी मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में काफी साहित्यिक संस्थाएं हैं, जिन्होंने हिन्दी की काफी सेवा की है और सामाजिक, साहित्यिक और राजनैतिक जागृति इस प्रदेश में फैलाने में काफी योग दिया है जो कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम करती आ रही है। सरकार की जिम्मेदारी है वह कि उनकी आर्थिक सहायता करे, और उनको जिन्दा रक्खे। कोटा की भारतेन्दु समिति, भरतपुर की हिन्दी साहित्य समिति, इस श्रेणी में है। पर अफसोस है सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। इन संस्थाओं की आज आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। साहित्यिक अकादमी तैयार थी, इनको मदद करने को पर इसके बजट में भी प्राव-धान नहीं मन्जूर किया सरकार ने और जब तक ऐसा प्रावधान नही कर सकते तब तक तो अफसोस ही कर सकते हैं जाहिर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने वाली इन

Page No.57

(श्री जनार्दनराय नागर)

साहित्यिक संस्थाओं को निश्चत रूप से सरकार को आर्थिक सहायता देनी चाहिये । इन संस्थाओं ने उन दिनों में कार्य किया है जब कि हिन्दी का प्रचार करना भी राष्ट्रीय महत्व का काम माना जाता था । हमारे वित्त मंत्री महोदय स्वयं परम साहित्यिक व्यक्ति हैं, वे जानते हैं इन दिनों संस्थाओं को, पर (वित्त मंत्रीश्री हरिभाऊ उपाध्याय, अपने स्थान से उठ कर जाने लगे) अफसोस है इतनी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है और सम्बन्धित मन्त्री महोदय रुष्ट होकर चले जा रहे हैं ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : भोजन नहीं किया है ।

श्री जनार्दनराय नागर : भोजन तो मैंने भी नहीं किया है उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री उनकी हालत जानते हैं । सरकार ने अगर ठीक तरह से मदद नहीं की तो इनके पुनर्विकास का मामला नहीं सम्भल सकता है । अंत में, मुझे पता नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं । मुझे तो इतना ही मालूम होता है । कि यह सारे अनुदान जो हम से चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं । क्योंकि मैं मानता हूं और बजट के समय भी मैंने कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति को जो हमारे विकास के दरवाजे खोलने वाला बजट है लेकिन इस बजट को कार्यान्वित करने के तौर तरीके आपके पुराने हैं, और उनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । हम हैं जन तंत्रीय सरकार । मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के खर्च करने के तरीके बदलने चाहिएं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को नम्रता के साथ एक प्रकार से चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके विकास का जो दौर है, आपके विकास के जो आइटम्स हैं उनमें समय पर ठीक तरह से पैसा खर्च नहीं किया जाता । यदि आपने लालफीते को कम नहीं किया और यह जो आपका कागजों का दौर दौरा है, नीचे से लेकर बद्री-केदारनाथ से कागज़ चलते हैं और अपना कौतुक दिखाते फिरते हैं उनको कम नहीं किया गया या, उसको समाप्त नहीं किया तो उपाध्यक्ष महोदय हमारे सम्मुख बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं । उनको कम करने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि यदि इन दोनों बातों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जो कुछ हम विकास के कार्यों पर खर्च करते हैं उसका काफी हिस्सा हर वर्ष लेप्स होता चला जायेगा । क्या हमारे वित्त मंत्री यह बताने के लिए तैयार हैं कि कुल मिला कर हर वर्ष में कितना रुपया लेप्स हो गया और लेप्स हो गया तो क्यों हो गया,यह बताने के लिये तैयार हैं कि कितने मदों में सेंक्शन टाइम में नहीं हो सकी, और कितने मदों की सेंक्शन मार्च के महीने में हुई, और कितनी मदों के मामले सरकार के विचाराधीन हैं । माननीय उपाध्यक्ष, मुझे विचाराधीन शब्द से बहुत एतराज है, सरकार के संबंध में । सरकार किसी भी मामले के लिये कहती है कि विचाराधीन है, और उस विचाराधीन की कोई अवधि नहीं है । विचाराधीन में दो वर्ष भी मामला ले सकता है, पांच वर्ष भी ले सकता है और अधिक समय भी ले सकता है । एक बार इस विचाराधीन शब्द के लिये हमारे प्रधान मंत्री ने इस प्रकार के भाव प्रकट किये थे, कि जो सरकार जवाब देती है कि विचाराधीन है तो यह मानना

(श्री जनार्दनराय नागर)

चाहिए कि सरकार उस पर कोई विचार नहीं कर सकती। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि "विचाराधीन" जो शब्द है इसके अंतराल में उपाध्यक्ष महोदय, लालफीता बैठा है। हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में विचार करके योजनायें बनाई, लेकिन रोज़मर्रा के जो निरीक्षण करने की नीति सरकार की होनी चाहिए वह नहीं है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) मैं समझता हूँ कि उसके लिए माननीय वित्त मंत्री क्या ध्यान देने जा रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने आठ आने लालफीता कम कर दिया है, या नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमारे वित्तमंत्री महोदय ने सोलह आने में से आठ आने भी लालफीता को काट दिया है तो हम उनके पैर धोकर चरणामृत ले लेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : सदन से बाहर।

श्री जनार्दनराय नागर : सदन के बाहर नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर। मैं समझता हूं कि सरकारी दफ्तरों के जो लोग चक्कर काटते हैं और जो उनको चिल्लाते देखा जाता है, इन सब चीज़ों को पैदा करने का कारण यह लाल फीता ही है। क्या बात है क्यों नहीं यह लालफीता कम कर दिया जाता? क्यों नहीं यह काट दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : लालफीते पर यह पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री जनार्दनराय नागर : पुनरावृत्ति का सवाल नहीं है। एक चाइनी विज्ञापन था उसमें यह लिखा था कि सूया और हथौड़ा लगा हुआ था जो इसका सूचक था कि इतना गहरा मस्तिष्क में जाना चाहिए। बार बार उस फीते की बात इसलिए आ रही है कि सरकार यह अनुभव करे कि उसको कम करना है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी तो कसौटी नेक है। आप अगले वर्ष बजट लायें, और वापिस एप्रोप्रियेशन बिल रखें तो उस समय आप कह दें कि लालफीता बिल्कुल नहीं रहा। यह नहीं है कि मैं शिष्टता का हामी नहीं हूं, सवाल यह है कि आप कागजातों को कितना धक्का देते हैं। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपकी रीति अच्छी है, हमारी योजनायें अच्छी हैं, जहां तक व्यूज का सवाल है वह अच्छे हैं लेकिन आपने एक ऐसी गाड़ी बनाई है, एक ऐसा वायुयान बनाया है जिसमें पंखा ही नहीं है, और जब पंखा ही नहीं है तो वह उड़ेगा कैसे? मैं समझता हूँ कि लाल फीते को जितना कम कर सकें उतना ही हमें हमारी योजनाओं को पूरा करने में और राजस्थान को आगे ले जाने में मदद मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं इस विनियोग विधेयकपर अपने विचार प्रकट करूं, अपने पूर्व वक्ता महोदय को इसलिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण मसले को हल करने की चेष्टा की है। यद्यपि उन्होंने एक साधारण दृष्टि से ही भरतपुर की एक मेंहती साहित्यिक संस्था का नाम लिया है, जिस पर शिक्षा विभाग का बहुत

Page No.59

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बड़ा कुठाराघात होता रहा है। उसके बारे में कुछ विस्तार से कहूं, इसलिये मैं खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि देश के स्वतंत्र होने के बाद हमारे शासन के समक्ष सबसे बड़ा सवाल अपने राष्ट्र के उत्थान का है। यदि स्वतन्त्र होने के बाद भी केवल हम शासन संकट को पहले की भांति ही चलाते रहें तो इसमें कोई विशेष प्रशंसा और सराहना की बात नहीं है। देखना यह है कि कोई शासन किस प्रकार से अपने आपको सिद्ध करता है, कि वह स्वतंत्र देश के अनुरूप है और जो देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह उसकी कहां तक पूर्ति करता है। आज की नहीं हमारे देश की हमेशा से एक बहुत बड़ी मांग रही है कि हमारे देश का यदि उत्थान हो सकता है तो उसके दो ही सबसे बड़े साधन हैं, और वह है एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। यदि हमारे देश में शिक्षा का ठीक तरह से प्रचार होता है, प्रसार होता है, विस्तार होता है तो हमारे देश की उन्नति हो सकती है। यदि हमारे देश के लोगों का, युवकों का, बालकों का सब का स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम समझेंगे कि हम अपने राष्ट्र को आगे की ओर ले जा रहे हैं और यदि इन दोनों की ओर ध्यान नहीं देंगे और केवल हम प्रचार मात्र ही करते हैं, केवल हम कुछ पुस्तक, पुस्तिकायें ही निकालते हैं, और कुछ आंकड़े ही प्रस्तुत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं ....

(१.४८ म० पू०)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : There is no quorum.

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू कर दूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए तो विशेष वक्त मुकर्रर किया जायेगा।

(अनेक माननीय सदस्यों के सदन के प्रांगण में प्रवेश के पश्चात्)

हां, आरम्भ कीजिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है वह यह कि हमारे देश में शिक्षा का और सत्-शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो। दूसरे यह कि हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो। आज जो हमारे सामने आयव्ययक है इसमें हम देखते हैं और इस बात की प्रशंसा भी की जा सकती है, कि हमारी राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम शिक्षा के लिए रखी है, और इससे काफी शिक्षा का विस्तार भी होगा। इसको भी मैं मानता हूँ लेकिन वह शिक्षा का विस्तार ठीक दिशा की ओर होगा उससे हमारे युवकों को, हमारे बच्चों को वह भावना पैदा होगी जिसकी कि स्वतंत्र देश में आवश्यकता है। इसमें कुछ संदेह है। मैं तो यह मानता हूँ कि आज यद्यपि बोतल बदल गई है, लेकिन शराब अभी तक वही अंग्रेजों के ही समय की भरी चली जा रही है। आज भी देश को स्वतंत्र हुए दस बारह वर्ष हुए हैं लेकिन शिक्षा में जिस क्रांतिकारी आमूलचूल-परिवर्तन की

Page No.60

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आवश्यकता थी, वह अभी तक नहीं हो पाई है। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं के भाषणों को महा महिम राष्ट्रपति से लेकर राज्यों के शिक्षा मन्त्री के, और दूसरों के भाषणों को जो सभी इस बात को अनुभव करते हैं, और इस बात पर अधिक से अधिक जोर देते हैं कि हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली दूषित है, और अभी तक वही क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली है। आज भी देश में जैसे सभ्य नागरिक होने चाहिए, युवक होने चाहिए और देश की सेवा करने वाले वीरों की आवश्यकता है, वह होने चाहिए वह हमारी आज की शिक्षा के माध्यम से पूरा नहीं हो रहा है।

लेकिन इस सब के होते हुए भी आज शिक्षा हमारी वही है। केवल इतना कर दिया है कि २ वर्ष के लिए ३ वर्ष कर दिये। थोड़ा सा इधर उधर का परिवर्तन कर दिया है, लेकिन परीक्षा की जो प्रणाली है, बच्चों को जिस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, जितनी पुस्तकों का बोझ उन पर रखा जाता है, जिस वातावरण में, शहरों के अन्दर जिस दूषित वातावरण में, उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उससे उनका मानसिक विकास उस प्रकार का हो जिसकी आवश्यकता है मुझे संदेह है कि इस शिक्षा से कुछ नहीं होगा। शिक्षा का मामला बड़ा लम्बा चौड़ा है, उसका विस्तार से कहना कठिन है। लेकिन कम से कम एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में यदि हमें सच्ची शिक्षा का प्रसार करना है, उस शिक्षा का नहीं जिसके प्रति एक बार मैकाले ने कहा जिस वक्त उसके सामने यह प्रश्न था कि इस देश में आंग्ल भाषा का प्रचार हो यह इस देश की भाषाओं का जिसमें संस्कृत और अरेबिक भाषा को भी ले सकते हैं, जिनके लिये मैकाले बड़ी हिकारत और हेय दृष्टि रखता था। वह मैकाले के शब्द आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं।

"A single shelf of a good European Library is worth the whole the Arabian and Indian literature put ogether."

उसने कहा था कि पाश्चात्य देशों या योरोपियन देशों की एक अच्छी लायब्रेरी की एक अलमीरा के अन्दर जितनी पुस्तकें आती है, उनका कहीं ज्यादा वज़न होगा, और हिन्दी, अरबी और संस्कृत की पुस्तकों के ढेर के ढेर लगा दिये जायं तो भी उसकी बराबरी में वे कुछ नहीं होगीं। यह उस समय जो चुनौती मैकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को दी थी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दी थी, मैं तो कहता हूँ कि शायद आज तक उस चुनौती का उत्तर हमारी ओर से नहीं मिल हैं जब कि हम देखते हैं कि निरन्तर इंगलिश भाषा की आज भी कई नेता नाम धारी ऐसे, हैं जो कि वकालत करते हैं। मैं कहता हूं कि वे कर सकते हैं। किस कारण से कर सकते हैं ? किन्हीं स्वार्थों से कर सकते हैं, लेकिन सारे ढांचे में मैं यह देखता हूं कि जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है वह अंग्रेजी भाषा में अधिक से अधिक हो रहा है। और हमारे देश की देववाणी जिसके लिए मैं कहूं कि जिसने हमारे देश को संस्कृति दी है यानी जो संस्कृत भाषा है उसकी और राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार की अभी तक उपेक्षा बनी हुई है। सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में नवजागरण हो रहा है। उस जागरण के प्रतीक स्वरूप संस्कृत की हिमायत हो रही है।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आज इस बात को खुद हमारे प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू एक बार नहीं अनेक बार कह चुके हैं कि हमारे देश की कोई शिक्षा हो सकती है, जो कि हमारी एकता को कायम रखे, हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर सकें, तो केवल संस्कृत भाषा है। दूसरी ओर, मुझे तो जहां तक पता है, क्या पार्लियामेंट क्या राज्यसभा में संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए प्रयत्न किया जाय, इसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन हम अपने यहां क्या देखते हैं, मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय बतलायेंगे, कि हम संस्कृत भाषा पर कितना व्यय करते हैं। मुझे एक दिन प्रश्नोतर के समय माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बतलाया कि कोई संस्कृत भवन बना रहे हैं। मैंने पूछा भी कि संस्कृत भवन पर लागत क्या होगी, तो बतलाया गया कि २०,०००) रु० होगी। मैंने तो उस समय यह कहा था कि वह संस्कृत भवन नहीं, संस्कृत कुटी हो सकती है। २० हज़ार में संस्कृत भवन तैयार हो यह एक उपेक्षा की तरह की चीज़ है। आज भी संस्कृत की ओर हमारी राज्य सरकार का उतना ध्यान नहीं है। जिस जयपुर में हम बैठे हुए हैं, वह संस्कृत शिक्षा का बड़ा केन्द्र रहा है। मुझे पता है कि पुरानी जितनी रियासतें रही हैं, एक-आध को छोडकर अधिक से अधिक वहां पर संस्कृत की उन्नति होती रही है। लेकिन जब सारी रियासतों को मिलाकर एक राजस्थान हो जाता है, तो संस्कृत शिक्षा का जितना प्रचार और प्रसार होना चाहिए उतना नहीं होता। मैं यह मानता हूँ कि जब तक संस्कृत का प्रचार नहीं होगा, हमारे देश की उन्नति नहीं होगी। अंग्रेजी भाषा से भौतिक उन्नति हम कर सकते हैं, विज्ञान की चोटी पर पहुँच सकते हैं बड़ी बड़ी रेल बना सकते हैं, मोटर और कल कारखाने चला सकते हैं लेकिन आध्यात्मिक विकास जो कि हमारे देशवासियों की विरासत रही है अपने पूर्वजों से वह कोई प्राप्त नहीं हो सकती है, अंग्रेजी भाषा के द्वारा। इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रचार किया जाय। बड़ी नम्रतापूर्वक मैं चाहूँगा कि अब भी हम कुछ कर सकते हों, आज भी कुछ न कुछ तवज्जह हो और यदि हमारे वित मन्त्री ही नहीं, हमारी राज्य सरकार भी इसकी अहमियत और महत्व को स्वीकार करती हो तो अगले वर्ष में अब की बार जो कुछ प्रावधान रखा है संस्कृत शिक्षा के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए कहा है, जैसे शिक्षकों के वेतन के स्तर के बारे में उसको भी देखें। अंग्रेजी कालेज के प्राध्यापक को देखा जाय, वहां के मुख्याध्यापक को देखा जाय, प्रिन्सीपल के वेतन को देखा जाय, वह संस्कृत के प्राध्यापक या मुख्य अध्यापक को बहुत कम मिलता है। यही नहीं हिन्दी के प्राध्यापक जिसको कि हम राष्ट्रभाषा स्वीकार कर चुके हैं, और जिसको दैनिक काम में लेने के लिए मैं समझता हूँ राज्य सरकार का शीघ्र ही निर्णय होने वाला है, उस हिन्दी की ओर भी अभी तक उतना ध्यान नहीं गया है जो कि आगे संस्कृत के लिए एक सीढ़ी का काम दे सकती है तो मैं यह चाहता हूं कि हिन्दी के अधिक से अधिक प्रचार के लिए और संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए अधिक से अधिक प्रावधान हमारे बजट में रखा जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी तो मुझे स्वास्थ्य के संबन्ध में अपने विचार प्रकट करने हैं।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हमारे बजट में कहा गया है कि इतने चिकित्सालय खोल दिये, आतुरालय खोल दिये। वे एलोपैथिक हैं। वे बढ़ा दिये हैं। आयुर्वेदिक के लिए कुछ किया है या नहीं। मैं समझता हूँ कि अच्छा तो यही है। कि देश के स्वास्थ को बढ़ाने के लिए एलोपैथिक की आवश्यकता हैं, लेकिन धीरे धीरे जहां और चीजेंशनैः शनैः कर रहे हैं। शराब को शनैः शनैः दूर कर सकते हैं, उसी प्रकार से शनैः शनैः जल्दी से एलोपैथिकके स्थान पर देश की जलवायु के अनुकूल आयुर्वेदिक प्रणाली हैं उसका अधिक से अधिक प्रयोग हो। जिस प्रकार से रोगियों के लिए एलोपेथिक प्रणाली पर क्लिनिक वगैरह हैं, मैं समझता हूं ऐसे ही आयुर्वेदिक के भी बन सकते हैं। आयुर्वेद के जो वैद्य हैं, वह इस बात का दावा करते हैं कि हमारे लिए भी सरकार उतना रुपया दे, उसी प्रकार से साधन प्रस्तुत करें, तो वे भी सब प्रकार की चीजें ला सकते हैं। कई एक सेनेटोरियम, जिन जिन चीजों की ज़रुरत है हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार का ध्यान नहीं है। दवा देने के अतिरिक्त सब से बड़ी चीज़ है वह है, "Prevention is leatter than Coure;"

क्योर की आवश्यकता नहीं है। प्रिवेन्शन की है आवश्यकता हमारे देश के लोगों को। हमारे लोगों का आहार पौष्टिक हो। दुर्भाग्य से अनाज खाने को जो मिल रहा है, वह पौष्टिक नहीं है, और सब से बड़ी चीज़ तो यह है कि आज हमारे देश के लिए शुद्ध दूध और घी जिनसे भीम और अर्जुन जैसे हुए, जिन से राणा प्रताप जैसे हुए, जिन से शिवाजी जैसे हुए, जितने भी महापुरुस हैं वह शुद्ध दूध और घी के कारण हुए हैं। आज शुद्ध दूध और घी दिनां दिन अभाव। डाल्डा के लिए कह सकते हैं कि उसको रोक नहीं सकते है। मैं कहता हूं कि रोक सकते एक दूसरे प्रयत्न से ...

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर मु.) : माननीय उपाध्यक्ष, समय जरा किजयर हो जाय....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर !

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : जरूरत इस बात की है कि हमारे लिए शुद्ध दूध और घी का प्रबन्ध हो। मैंने आज नहीं, दो एक बार सुना है कि इतनी कुक्कुटशाला, भैंसाशाला खोली हैं, इस तरह का नहीं कहा कि गोसंवर्धन गो सदन खोले हैं। यह सौभाग्य का विषय है, कि हमारे कृषि मंत्री की कृपा से कल एक पुस्तिका यहां पर मिली है, "पशुपालन विभाग, राजस्थान का संक्षिप्त विवरण। इसको मैंने बहुत उत्सुकता से पढ़ा और पढ़ कर खुशी हुई। इसमें दिखाया है कि विकास कार्य ऐसे रखे हैं और उसमें यहां तक बतलाया है कि जोधपुर में इस तरह का केन्द्र खोल दिया गया है। वह केन्द्र पूर्ति करेगा लगभग १०० पीपे एग मार्क घी का। मार्क भी लगाने को "एग" मिला। मैं समझता हूँ कि घी में एग का क्या था ? गौ मार्क ही दे देते। उस पर भी एग मार्क जिसके कारण मेरे जैसे आदमी को भी शायद लेने में कुछ शक पैदा हो, लेकिन आज वे कहते हैं...

२. अ० प०

श्री नाथूराम मिर्धा :'एग' का मतलब अंडे से नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो फिर क्या मतलब है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : 'एग' मार्का घी आज भी सारे हिन्दुस्तान में चलता है ।

श्रीजुगलकिशोर चतुर्वेदी : 'एग' का शब्दार्थ क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह 'एग' 'डबल जी' एग नहीं है यह ट्रेड मार्का है। इसलिए आप इसको अंडा नहीं समझें। एग मार्का घी बहुत मशहूर है। प्योरिटी के लिये माना जाता है, इसके नम्बर लगे हुए हैं, अपने यहां भी लेबोरेटरी शुरू करके प्योर घी देने का सवाल है। अपने यहां के भी नम्बर हैं।

श्री महेन्द्रसिंह (अजमेर पूर्व): On a point of information, Sir. Will the Hon'ble Minister enlighten us whether the mark is given by a Department of the Government. Is it a sign of approval by a particular department ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक लेबोरेटरी बनाई गई है जो इस विभाग की तहत काम करेगी ।

श्री महेन्द्रसिंह : वह किस महकमे की तहत काम करेगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एनिमल हसबेन्डरी विभाग की तहत काम करेगी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इससे भी मेरे संदेह की निवृत्ति नहीं हुई है क्योंकि पहले से ऐसा चल रहा है । सारे हिन्दुस्तान में चल रहा है इसलिये चलाना है; लेकिन, खैर शुद्ध घी मिलता है तो मैं इसका स्वागत करता हूं । इसमें इस प्रकार कहा गया है कि एक केन्द्र जयपुर में भी चालू करने का आयोजन है और जब इस आगामी वर्ष का बजट स्वीकृत हो जायगा तब इसको चालू किया जायगा । मैं समझता हूं, आज बजट स्वीकार होगा और कल से देखेंगे कि शुद्ध घी की व्यवस्था होती है या नहीं। शुद्ध घी के लिये तो इसमें प्रावधान है, लेकिन शुद्ध दूध के लिए क्या प्रावधान है...

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें लिखा है डेरी बन रही है ।

श्रीजुगलकिशोर चतुर्वेदी : डेरी बन रही है, यह खुशी की बात है । मैं एक चीज़ और खास बता दूँ, जिसकी ओर पूर्व वक्ता ने भी संकेत किया था । भरतपुर हिन्दी साहित्य समिति शायद राजस्थान की ही नहीं, बल्कि देश की बड़ी संस्था है। यह सन् १९१२ में स्थापित हुई थी जिसको स्वर्गीय मदनमोहनजी मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री मैथिलिशरण गुप्त, इनको स्वर्गीय नहीं समझा जावे, और आज के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री ढेबर भाई और दूसरे नेताओं के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं । उसमें जो पुस्तकालय है उसमें कितनी ही हस्तलिखित पुस्तकें है और कितनी ही अप्राप्य पुस्तकें हैं । उसको भरतपुर राज्य

Page No.64

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के ज़माने से अब तक निरन्तर राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती रही है, और राजस्थान सरकार ने भी ३ साल पहले तक सहायता दी है लेकिन तीन साल से निरंतर उस सहायता में कमी होती जा रही है। प्रश्नोत्तर काल में मंत्री महोदय ने बताया कि जो पूरी सहायता दी गई है उसको भी वापिस लेने की बात हो सकती है। एक ओर तो हमारी सरकार शिक्षा के प्रसार की बात करती है, और दूसरी ओर शिक्षा प्रसार में सहायता देने वाली संस्था को, या किसी व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है उसमें कमी की जा रही है। इस तरह की संस्था को जो सहायता दी जाती है उसमें कमी नहीं की जा सकती जब तक कि वह कानून का उलंघन न करे। बतलाया गया कि यह संस्था जो बजट बनाती है उसमें से कुछ चीज़ों को मान्य करते हैं और कुछ को अमान्य कर देते हैं। राज्य सरकार के अधिकारी उसमें से कमी कर देते है। वे जो नई पुस्तकें मंगाते है, पानी का इन्तजाम करती है, जिल्द बंधवाते हैं अखबार मंगाते है, या कर्मचारी रखते हैं तो वे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अमान्य हैं, तो आखिर वह पुस्तकालय क्या हुआ, वाचनालय क्या हुआ? इसने उत्तमोत्तम पुस्तकों का संग्रह किया है, शिक्षा के उत्थान में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, साहित्य के उत्थान में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, हज़ारों लोगों को इसने लाभ पहुंचाया है, भरतपुर में जन जागरण का साधन भी यही हिन्दी साहित्य समिति रही है फिर भी राज्य सरकार अपनी ओर से जो सहायता दे रही है उसमें कमी की जा रही है। मैंने जब पूछा कि इन पुस्तकालयों के लिये क्या कोई नियम हैं तो कहा कि केवल शिक्षण संस्थाओं मिडिल स्कूलों, हाई स्कूलों और कॉलेजों के लिये जो नियम हैं वे ही नियम इन स्वतंत्र साहित्य संस्थाओं वाचनालयों और पुस्तकालयों पर लागू होते हैं। वे शिक्षण संस्थाएं हैं और ये साहित्यिक संस्थाएं हैं, इनका निजी महत्व है। राज्य सरकार को कितने ही पत्र इस सम्बन्ध में लिखे गये, मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्रीजी को इस संस्था की ओर से पत्र लिखा लेकिन आज तक एक का भी उत्तर नहीं मिला। डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर आदि को भी पत्र लिखे लेकिन किसी का भी उत्तर नहीं मिलता। हमने लिखा कि हमारी त्रुटि बताई जाय लेकिन उत्तर नहीं मिला जब यह अनुदान पेश हुए तो मैंने आवश्यक समझा कि राज्य सरकार का ध्यान इस बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था की ओर दिलाऊं और आशा करूं कि यदि कहीं नियम में त्रुटि हो तो उसको सुधार लिया जाय। ऐसे कोई नियम नहीं हो सकते जिनके द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं को सहायता मिलती हो उसको कम कर सकें। यदि नियमों में परिवर्तन करने की ज़रूरत हो, तो उनमें परिवर्तन करें। आज तो उत्तरोत्तर सहायता बढ़ाने की ज़रूरत है न कि कम करने की। अधिक से अधिक सहायता दें, इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल सदन

Page No.65

(श्री मुरलीधर व्यास)

के समक्ष विचारार्थ है, इसके सम्बन्ध में मैं भी कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। यों तो सामान्य बजट, अनुदान और उसके साथ साथ मांगों के समय कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन कुछ ऐसे विषय रहे जिन पर बिल्कुल चर्चा नहीं की जा सकी, और खासकर यहां तक समझता हूं कि कुछ ऐसे विभाग जिनका सामान्य जनता से बहुत सम्बन्ध है, उन विभागों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाये, फिर भी मैं समझता हूं कुछ ऐसी बातें रह गई हैं उनके बारे में कुछ बातें अपनी ओर से रखूं।

जहां तक खर्चे का सवाल है मैं तो समझता हूं यह साधारण सिद्धान्त भी पब्लिक फाइनेन्स का होना चाहिये, इसमें सबसे बड़ा सिद्धान्त यह होना चाहिये कि जनता के धन का एक पैसा भी हम जन कल्याण के लिये अधिक से अधिक जनता के लिये किस प्रकार से समय का उपयोग करते हुए खर्च कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस सिद्धान्त का पालन किया जाय तो जितना धन हम खर्च करते हैं उसका बहुत कुछ लाभ मिल सकता है और यह सबसे बड़ा सिद्धान्त है इसको ताक में यदि रखते हैं, तो इससे अहित होगा यह मानना चाहिये। यह योजना का युग है, इसमें समय निश्चित रहता है और योजना रहती है और खर्च करने का तरीका रहता है, यदि इसका पालन हम हर स्थान पर नहीं कर पाते हैं, तो मैं समझता हूं चाहे कितने ही पैसे बड़ी से बड़ी योजना पर खर्च करें उससे लाभ आम लोगों को नहीं मिलता। राजस्थान बनने के बाद हमने करोड़ों रुपये खर्च किये। राजस्थान बनने के समय हम ज्यादा कर्जदार नहीं थे लेकिन रुपये इतने खर्च करने के बाद और सैकड़ों करोड़ के कर्जदार होने के बाद भी यदि आम जनता की समस्या हल नहीं होती है तो हमें गहराई में जाना चाहिए और देखना चाहिये कि क्या कारण है। मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण यह है कि जनता के धन का अधिक से अधिक लाभ हो इस दृष्टिकोण से जहां खर्च करने का सवाल है उसमें जनता का अधिक से अधिक सहयोग ले सकते हैं। जनता की प्रेरणा प्राप्त करके काम किया जाय तो लाभ हो सकता है लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज यह देखते हैं कि जब इस बात का सवाल लाया जाता है, मैं एक सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूँ और वह यह है कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा जो धन खास खास महकमों के जरिये जहां कहीं खर्च होता है उसका परिचय हमें जनता को देना चाहिये और उनको बताना चाहिये कि यह खर्चा हम इस इस काम के लिये कर रहे हैं, तुम आओ और देखोऔर इसमें कहीं त्रुटियां हों तो बताओ। यदि इस प्रकार से काम किया जाय तो बहुत कुछ हो सकता है और उपयोग हो सकता है, यह सबसे बड़ी बात सरकार को माननी है।

अगर इस बात को नहीं मानते मैं कहता हूं कि आप जितना जन कल्याण के कार्यों के लिए खर्च रखते हैं, उसमें से २५ पर्सेन्ट जो खर्च होता है, वह भ्रष्टाचार में, बुराई में और दुरुपयोग में जाता है, उसका आम जनता को लाभ नहीं मिलता। जहां पर आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसमें से १-४ भाग१-४ में कहता हूँ लेकिन इससे भी ज्यादा, ५० प्रतिशत धन का दुरुपयोग हो जाता है, परन्तु उसका पता नहीं लगता। इसका कारण यह है कि सरकारी पक्ष को इसे सिद्धान्तिक रूप से मान्य कर

Page No.66

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेना चाहिए, कि हमारा एक पैसा भी खर्च होता है, तो उसमें हम हर आदमी का सहयोग लेंगे, इस प्रकार की एक नीति बना लेनी चाहिए। मैं देखता उल्टा हूँ, मैं देखता हूं कि सरकार किसी स्थान पर कोई पैसा खर्च करती है, तो उसमें उसकी यह नीति रहती है कि हम ऐसी कमेटी बनायें, जिसके अन्दर कुछ हमारे आदमी हों, उन आदमियों में भी यहां तक दृष्टिकोण रहता है हमारे पक्ष का आदमी हो, वह सरकारी पक्ष का आदमी न हो, एक दल का नहीं हो,,यह देखा जाता है कि इस दल में से कौनसा आदमी हमारा अपना आदमी है, जिसके ज़रिये से खर्च करवाते हैं और दूसरे आदमियों को नहीं आने देते हैं। इससे धन का दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार होता है। अगर आपको भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और उसके साथ साथ जनता के एक एक पैसे और एक एक कौड़ी का उपयोग करना है तो यह नीति अपनानी पड़ेगी मैंने गई दफा भी इस बात को कहा, तो मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को कहा कि कमेटी में लेने की नीति नहीं है। कोई नीति है या नहीं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हर एक मामले में नीति होनी चाहिए। आप एक भी पैसा तकावी देने में खर्च करते हैं, बीज़ बांटने में खर्च करते हैं, तो आपको वहां के आदमियों का सहयोग लेना होगा, और गांव के लोगों को यह बताना होगा कि यह पैसा इस तरह से मिला है, इस पैसे को इस काम में खर्च करना चाहते हैं, तुम्हारी राय है या नहीं इस खर्चे में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि पैसे का सदुपयोग हो सकता है। विरोधी पक्ष के लिए मैं देखता हूं कि जान बूझ कर विरोधी पक्ष को अलग रखने की कोशिश की जाती है। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जब ट्रान्सपोर्ट के अन्दर कमेटियां बनती है, रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटी हर जगह पर बनी तो उसमें यह दृष्टिकोण रखा गया, कि किस आदमी को किस प्रकार लाभ देना है, ऐसे आदमी को रख दें ताकि हमारा काम चले आज भ्रष्टाचार क्यों होता है, इसका कारण यही है कि सरकार का खुद का दृष्टिकोण है, हमारे मंत्रीगण महसूस करते हैं कि अपने आदमियों को लाभ पहुँचाना है, अगर फलां आदमी को कमेटी में डाल देंगे तो उसे इतना लाभ मिल जायगा, उसकी ज़िन्दगी चल जायगी। आप लोगों की जिन्दगी को चलाने के लिए, दल के व्यक्तियों की ज़िन्दगी की परवरिश करने के लिए, जनता के धन का दुरुपयोग करें, और उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका दें, तो मैं खुले रूप में कहूंगा कि इस भ्रष्टाचार के लिए मंत्रीगण ज़िम्मेदार हैं, इस भ्रष्टाचार के लिए सरकार ज़िम्मेदार है। तालियां। यह बिल्कुल निश्चित बात है। आप देखिये कि बीकानेर डिवीज़न के अन्दर रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटी बनी, उसके अन्दर एक सदस्य को बीकानेर क्षेत्र से रखा। तारीफ की बात यह कि आप उस सदस्य के लिए अगर कहें कि वह बहुत ईमानदार है, आप थोड़े बहुत सतर्क हैं तो मैं कहता हूँ कि इस सदन के अन्दर जिस व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिसके खिलाफ जल बोर्ड में गबन करने का आरोप है, उस व्यक्ति को उस कमेटी में लिया है। ऐसे लोगों को कमेटी में रखते हैं तो वे वहां धन का दुरुपयोग करते हैं। इसी प्रकार मैं आपको उदाहरण दूँ कि बीकानेर से नोखा बस सर्विस चलती थी, ३८, ४० गाड़ियां चलती थी....

(श्री मुरलीधर व्यास)

(दर्शक दीर्घा से बाधा उपस्थित होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर ! गैलेरी में क्या हो रहा है ? Sergeat at arms ?

(विराम)

Yes continue.

श्री मुरलीधर व्यास : इसी नोखा रूट में सरकार ने नोखा से सुजानगढ़ के पर्मिट दिये हैं, २० गाड़ियों को। उन लोगों ने उस कमेटी को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की, इसलिए उनकी सिफारिश की। इस बात के लिए एक लाख रुपया दिया गया, और नोखा रूट पर नई गाड़ियां चलने लगी। इससे उसी रूट पर जो नोखा तक गाड़ियां चलती थी, उनको नुकसान होने लगा। उन्होंने देखा कि नुकसान होने लग गया है, सरकार ने नई गाड़ियों को पर्मिट कैसे दे दिये। उसके बाद उन्होंने शिकायत की, इसकी रिट की और सरकारी अधिकारियों के पास पहुँचे और स्टे आर्डर कराने की कोशिश की। मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्टे ऑर्डर कराने में भी ३८, ४० गाड़ियों को १ लाख रुपया देना पड़ा। आप कहेंगे, कहां देना पड़ा, किसे देना पड़ा, मैं इतना कह सकता हूं कि उन लोगों ने आपस में रुपया जमा किया, एक के पास से दो दो हज़ार रुपया जमा करके, जिसके पास ज्यादा गाड़ियां थीं और जो ज्यादा रुपया लगा सकता था, उससे ज्यादा जमा कराया और उस पैसे को कहां दिया, किस को दिया, इसको प्रमाणित करना कठिन है लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह काम हुआ और उनको स्टे आर्डर मिल गया। जिन लोगों ने नोखा से आगे के लिए पर्मिट नहीं लिये, उन पुराने वाले व्यक्तियों को जब नुकसान होने लगा तो इन्होंने कार्यवाही की और इस तरह गाड़ियां फिर रोकी गई। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी कमेटियों के अन्दर सरकारी पक्ष के साथ साथ विरोधी पक्ष के लोग उन बुराइयों को देखने के लिए बैठते हैं तो मैं कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार उनमें नहीं हो सकता क्योंकि वे सतर्क रहेंगे, जगरुक रहेंगे कि किस किस प्रकार की कौनसी सिफारिश पर काम दिया जायगा। तारीफ़ यह कि ऐसे आदमी को उस कमेटी के अन्दर सदस्य रखा....

श्री नाथूराम मिर्धा : विरोधी पक्ष वालों पर ईमानदारी की छाप लगी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं छाप बता दूँ....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके वहां जाते ही ईमानदारी आ जायगी ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहने का हक है, उसको आप नहीं रोक सकते....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका हक है तो मेरा भी हक है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : The Hon'ble Minister probably admits that they are not honest.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !! Yes.

श्री अर्जुनदास : Shall we take it as an admission from the Hon'ble Minister, Sir ?

Page No.68

श्री उपाध्यक्ष: Order ! order please!!

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का दृष्टिकोण यह है कि इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ आम चुनाव में खड़ा हुआ, उसने कांग्रेसी उम्मीदवार कानसिंह को हराने की कोशिश की उसे कांग्रेस से निकाल दिया और यहां पर विधान सभा में जिस पर आरोप हों, जिसने जल बोर्ड में घोटाला किया हो, अगर ऐसे व्यक्ति को, जिसे कांग्रेस से निकाल दिया हो लेकिन व्यक्तिगत पक्ष से वह जुड़ा हुआ है, उसको किसी प्रकार रोजी देने के लिए, उसके ज़रिये भ्रष्टाचार कराने के लिए, उसे कमेटी का सदस्य बनाते हैं, जो इस दृष्टिकोण से सदस्य बनाया गया है, उसके लिए मैं एक बार नहीं, सौ बार कहूंगा कि यह तरीका गलत है....

श्री नाथूराम मिर्धा : कहने को कहते हैं, आपके लिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप एक पैसे के लिए भी उदाहरण पेश करेंगे तो मैं त्याग पत्र देने के लिए तैयार हूं, नहीं तो आप त्याग पत्र दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका एक पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ तो आपको त्याग-पत्र देना पड़ेगा।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं कह सकता हूं...

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका एक पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ तो आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I would request the Hon'ble member to address the Chair.

श्री अर्जुनदास : On a Point of information, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : No information please.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे लिए कहा है, मेरे बारे में कहा गया है कि आप भ्रष्टाचार करते हैं। वह मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सदन के मेम्बर नहीं हैं, जो आ. टी. ए. के मेम्बर हैं उनके लिए आप कहते हैं कि वे भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, तो मैं कहता हूं कि कहने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपके पास में क्या सबूत है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि वे भ्रष्टाचारी हैं। कहने के लिए आपको भ्रष्टाचारी कह सकते हैं, आपके लिए भी भ्रष्टाचारी कह सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : एक तो नीति सरकार की होनी चाहिए कि किस को सदस्य बनाया जाय। फिर जिसके लिए विधान सभा में जल बोर्ड में घोटाले का आरोप है, ऐसे व्यक्ति को, जो इस प्रकार नीति के खिलाफ काम करता है, उसको सदस्य बनाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आरोप जांच के बाद झूठा साबित हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble Minister, he has a chance and opportunity to reply.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह सकता हूं कि मंत्री महोदय इन ३८–४० गाड़ियों के पीछे सी. आई. डी. लगायें, उनकी बहियों में दो–दो हज़ार रुपया स्टे ऑर्डर्स कराने के लिए लिखा गया या नहीं। मैं कह सकता हूं, आखिर पैसा लगा है। मैं खुद कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं है। आपको इन्क्वायरी करनी चाहिए। और अगर इस प्रकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो दीजिये। मेरा मकसद है कि आपको सही मायने में भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, गांवों में तकावी वितरण के काम को करना है, बीज वितरण के काम को करना है। तो आप इस प्रकार के लोगों को लेना चाहे तो वह काम नहीं होगा। वे रहेंगे तो भ्रष्टाचार की निगरानी करेंगे, ख्याल करेंगे और इस तरह हमारे धन का सदुपयोग होगा। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि बीकानेर में अर्बन इम्प्रूवमेंट कमेटी बनी, सरकार द्वारा साधारण नियम बना रखे हैं कि सिटी का जो एम.एल.ए. है उसको उसमें लिया जाय। राजस्थान में हर जगह लिया जाता है, पर बीकानेर में नहीं। कांग्रेस में जिनके पिताजी रात दिन जमीनें बेचने का काम करते हैं, उनको इस कमेटी में लेते हैं तो मैं कहताहूँ कि वहां यह धन्धा चलता है। इन चीजों को यदि आपको रोकना है, तो जिस तरह के आपके नियम बने हुए हैं उनके माफिक आदमियों को रखना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी कमेटी में जाऊं पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष के लोगों को इस तरह की कमेटियों में रखेंगे तो जो पैसे का दुरुपयोग होता है, उसको बचाने में वे लोग सहयोग देंगे। इस लिये मैंने यह बात यहां पर रखी। आखिर यदि आपको धन का सदुपयोग करना है तो, यह नीति अख्तियार करनी होगी।

जो भी धन खर्च करते हैं तो उसको अच्छी तरह खर्च करने के साथ साथ खर्च के समय का और उपयुक्तता का भी ख्याल करना पड़ेगा, और ठीक समय पर किस प्रकार से काम हो सकता है, इसके लिये सतर्क और जागरूक रहना पड़ेगा। अगर जागरूक और सतर्क नहीं रहेंगे तो जो खर्च करने का सही दृष्टिकोण है, जो मकसद है वह पूरा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रूरल एरिया में हाउसिंग स्कीम के लिए २५००० रुपया खर्च करने को दिया गया कि हाउसिंग स्कीम के लिये २५,००० खर्च करना है।

२.२.प०म०

(श्री मनोहर कोठारी, सभापति, पदासीन)

जो आपको अर्बन इम्प्रूवमेंट में विकास के लिये हाउसिंग स्कीम के लिये इतनी बड़ी धन राशी दी गई थी, वह सब की सब आपने खर्च कर दी पर रूरल एरिया में हाउसिंग के लिये आपको एक छोटी सी धन राशी २५००० रु० की दी गई, उसको इतने साल हुए आप खर्च नहीं कर सके तो इससे आपकी नीति स्पष्ट होती है, कि आप कहां तक गांवों के लिये, गांवों के विकास के लिये, गांवों की भलाई के लिये, जागरूक हैं। मोडल मकान गांवों में बनाने चाहिये। प्लानिंग कमिशन की शिफारिश थी कि लोग स्वावलम्बन के तरीके से मकान बनायें, इसलिये यह रकम दी थी, उसमे से एक पैसा भी आप खर्च नहीं कर सके, तो इससे आपकी नीति और पॉलिसी साफ जाहिर होती है। आपको इसका ख्याल रखना चाहिये या तो इसका

(श्री मुरलीधर व्यास)

मतलब यह कि गांवों में लोग सेल्फ हेल्प करने को तैयार नहीं है, या सरकार ने कुछ नहीं किया। २५,००० रु० की एक छोटी सी रकम को सरकार खर्च नहीं कर सकती तो यह सरकार की बड़ी भारी कमजोरी है। सदन में माननीय सदस्य समय समय पर प्रश्न पूछते हैं कि शहरों के लिये विकास के लिये, हाउसिंग स्कीम के लिये, इतना रुपया खर्च करते हैं और गांवों में क्या करते हैं। फिर यह पच्चीस हजार रुपया भी सरकार खर्च नहीं कर पाई? यह सरकार की बड़ी भारी कमजोरी है।

सरकार २३ प्रतिशत कोआॅपरेटिव सोसायटीज़ में खर्च कर सकी है। सही तरीके से जन सम्पर्क स्थापित कर के जहां काम करने का सवाल है, वहां सरकार इतना ही खर्च कर पाती है। तो यह आपकी कमजोरी है।

मैंने एक प्रश्न किया था कि स्लम क्लीयेरेंस के लिये रुपया रखा है वह कितना खर्च किया तो कहा गया कि कुछ नहीं। स्लम क्लीयेरेंस के लिए ८७००० रुपया रखा गया है, उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाये हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज कहीं कचरा नहीं है? आज जगह जगह स्मल पड़ा हुआ है। बीकानेर में पहले कहीं भी कचरा फेंक देते थे, पर अब बस्तियां बस गई है। वहां स्लम है, उसको दूर फिंकवाने के लिये आपने क्या किया? ८७०००) रु० इसके लिये पड़ा है और आप खर्च नहीं कर सकें तो क्या कहना चाहिए। जनता के हित के लिये जो रुपया रखा गया है, उसको आप खर्च नहीं करें तो यह साफ बताता है कि आप इस ओर कितने सतर्क और जागरूक हैं।

गंगानगर में स्वीकृत योजनानुसार १६५६ में बिजली आ जाना चाहिये थी पर ५६ में भी अभी तक बिजली नहीं आई है। आप जवाब में कहोगे कि फोरेन एक्सचेन्ज की कठिनाई के कारण सामान नहीं मिला तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब पंजाब को मिल गया, दूसरों को मिल गया, तो आपको क्यों नहीं मिला। तो जिस खर्चे का लाभ आम जनता को मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता आप सोते रहते हैं, पंजाब वाले जागते रहते हैं, वहां वे कर लेते हैं और आप सोते ही रह जाते है आपको कुछ नहीं मिलता। साढ़े सात करोड़ रुपया आप खर्च नहीं कर पाये, इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। सरकार को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिये, और समय पर किस तरह अपने कार्य को पूरा कर सकती है इस चीज को निगाह में रख कर कार्य करना चाहिये। अगर सरकार इस तरह से कार्य को करती है तो वह अच्छी सरकार है। पर जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है मैं तो यही कहूंगा कि वह अपने काम ही के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति अवहेलना प्रकट करने वाली सरकार है और इतनी ढ़ीली है कि इस प्रकार की सरकार का जनतन्त्र में कुर्सी पर बैठने का कोई उपयोग नहीं। क्योंकि आप जनता के हित के लिये जो करोड़ों रुपया रखा गया उसको उपयोग में नहीं ला पाये।

पब्लिसिटी के लिये जो रुपया दिया जाता हैं उसका तो आप ८० पर्सेंट खर्च कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा फोटो छापो, हमारी योजनाओं के बारे में लिखो ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हमने इस इस तरह की योजनाएं बनाई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार योजनाओं को बताने मात्र से

(श्री मुरलीधर व्यास)

कोई फर्क नहीं पड़ता।

मुझे यहां तक पता चला है कि रबी अभियान के लिये बीज मगांने का सवाल था, तो जहां ८५-६० प्रतिशत प्योरिटी का बीज बांटना चाहिये था, वहां ६० प्योरिटी का बीज बांटा गया। तो इस तरह इस बीज में भी लोगों में पैसा कमाने की मनोवृत्ति आ जाती है। कितनी शर्मनाक बात है यह......

श्री नाथूराम मिर्धा : वह किसी प्राइ-वेट आदमी से खरीदा ही नहीं गया, पंजाब गर्वनमेंट के पास से आया है। मैंने कितनी ही बार कह दिया है फिर भी बिना फैक्ट्स के कहने का माननीय सदस्य का क्या मतलब है?

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा कहना है कि कहीं से भी आया हो। उत्पादन के लिये जो बीज देना चाहते हैं, वह इतना खराब आता है तो इसके लिये कोई जिम्मेदार है, उसको सजा मिलनी चाहिये। इसे एक बार या दो बार का नहीं सौ बार कहा जा सकता है। ऐसे मामलों में भी आप सतर्क, जागरूक नहीं होते, ६० पर्सेंट का था उसको भी बोने के लिये दे दिया। आपको ज़्यादा पर्सेंट का मंगा कर बोने के लिये देना चाहिये था।

परन्तु उस ज़िम्मेदारी को हमने हमेशा टाला है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बात की तरफ जो सरकार को ध्यान देना चाहिए था वह उत्पादन को बढ़ाने में, उसको बढ़ाने में हम कहां तक कामयाब हुए हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। आपने कपड़े और शक्कर के मामलों में क्या किया है। मुख्य मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि हमने सीमेन्ट आदि में बहुत कुछ किया है। मैं यह कहूंगा कि आपने शक्कर और कपड़े के बारे में कोशिश की है, लेकिन यहां पर हम नाकामयाब हुए हैं। जो आपकी योज-नायें दूसरी पंचवर्षीय योजना में कामयाब होनी चाहिये नहीं हुई है। आपकी क्या योजना थी। आपकी यह योजना थी कि आप लोगों को काम देंगे। बेकारी की समस्या को हल करेंगे, और उत्पादन में वृद्धि करेंगे। मगर हम देख रहे हैं कि उत्पादन के मामलों में हम उसी स्थिति में हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग के विकास के बारे में बहुत सी बातें कहीं मगर उसमें भी कोई उन्नति नहीं की। आप कह सकते हैं कि हमने उद्योग में कुछ पैसा दिया है। मगर आप देखेंगे कि आज मेवाड़, कोटा और किशनगढ़ की मिलें बन्द पड़ी हैं और भी कई स्थानों की मिलें बन्द पड़ी हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आखिर इसके लिये ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार सरकार है। सरकार को काफी जागरूक होना चाहिये। आज मेवाड़ की टैक्सटाइल मिल बन्द पड़ी है। कानूनन कोई मिल मालिक जब उसका मामला ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाता है तो बन्द नहीं कर सकता। मगर होता यह है कि मिल पहले बन्द हो जाते हैं और मामला बाद में रेफर होता है। जिस समय मिल मालिक मिल को बन्द करता है, तो सरकार का यह काम होता है कि मिल मालिक को घर से बुलाए और मिल को खुलवाए जिससे कि मज़दूरों को लाभ हो सके। लेकिन मैं यह कहूंगा ५५, ५६, में १२, १२ लाख रुपये सरकार से लिये और सरकार के कर्जे से चलावेंगे मगर फिर भी वे मनमाने ढंग से चलायेंगे। मगर फिर भी सरकार जागरूक नहीं होती। इसी तरह पाली में भी तीसरी पाली बन्द कर दी गई है। इतना ही नहीं एवार्ड कर दिये जाते हैं लेकिन उनका भी

(श्री मुरलीधर व्यास)

पालन नहीं होता। मैं यह कहूंगा कि सरकार की यह जो नीति है वह मज़दूरों को दबाने की नीति है। सरकार को मज़दूरों की भलाई के सम्बन्ध में नीति रखनी चाहिये, और अगर कोई मालिक और मज़दूरों में आपस में झगड़े हों और मालिक गैर कानून कार्यवाही करता है तो सरकार को चाहिये कि जल्दी कार्यवाही करे। मगर होता यह है कि मालिक तो कोई भी गलती करे, उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, और मज़दूर अपनी जायज़ बात के लिये भी लड़े तो आप उनको जेलों में बन्द कर देते हैं। जामसर में क्या था। हमने मांग की कि मज़दूरों का वेतन इतना होता है। यह उनकी जायज़ बात थी। एक मजदूर को मालिक एक रुपया टन दे और ८ या ८ रुपये सरकार से ले और मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दे। वहां पर सरकार के ५०० पुलिस के कर्मचारी पहुंचते हैं और वहां पर मज़दूरों पर लाठियें चलाते हैं। और शांत आन्दोलन को नाकामयाब करने की कोशिश की मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि आप इसके लिये एक कमेटी बनावें, और इसकी जांच करावें कि वहां पर पुलिस क्यों पहुंची वहां पर कौनसी हिंसा हो रही थी। एक फन्डामेन्टल चीज थी। सहकारिता पर काम चलना चाहिये। इस बात को लेकर आन्दोलन हुआ था। वे लोग यह चाहते थे कि उनको बोनस मिलना चाहिये और वेतन की दरें बढ़नी चाहिये। यह उनके बुनियादी मामलों को लेकर लड़ते थे। उसको आपने पुलिस को लेकर कुचला। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आनेवाला जमाना आपकी इस नीति और विचारों को कुचल कर रहेगा। अगर आपको प्रोडक्शन बढाना है तो जब तक हिंसा न हो तब तक किसी प्रकार का कदम नहीं उटाना चाहिये। जो गैर कानूनी काम करते थे उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। आप मेवाड़ टैक्स्टाइल के मालिक को एरेस्ट नहीं करते लेकिन जामसर के मजदूरों को बन्द कर देते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि जो इश्यु उनका है ट्रिब्यूनल के सेक्शन १०।३ के अन्दर मिल को चालू करने के लिये आदेश दे दिये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके लिये मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो इसके संबन्ध में जानकारी करता रहा मगर मुझे यही मालूम हुआ कि अब तक कोई पता नहीं। आज सबेरे की ही बात है। अब आपने जवाब दिया है।

श्री सभापति :माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, कि अभी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी समय लें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा यही निवेदन है कि सरकार की नीति यही होनी चाहिये कि जहां हिंसा हो या आपस में मारपीट हो वहां पर पुलिस को भेजना उचित होगा। मगर जिस समय मजदूर लोग अपने हकों के लिये लड़ते हैं और वहां पर सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है तो वहां पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ता वहां पर उल्टा नुकसान होता है। यह सरकार की नीति होनी चाहिये

Page No.73

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है और अब भी कहना चाहता हूं कि रोयल्टी ८० लाख रूपये की होती है। इस रोयल्टी के पीछे कितना नुकसान करते हैं। हमारे दूसरे लोग लीज पर लेनेवाले है दो वर्षों...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर): On a Point of order. Sir, I would like to draw your attention to Rule 172 (4) which says, "(4) The debate on an Appropriatian Bill shall be restricted to matters of public importance or a administrative poliey implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under consideration." ये माइन्स वाले तय हो चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यहां पर सरकार की नीति क्या होनी चाहिये, उसके संबन्ध में बात कह रहा हूं। उस पर कोई बहस की चीज नहीं हैं। उसको सरकार खुद अपने कब्जे में लेकर चलावे तो मैं समझता हूं कि लाभ हो सकता है। यह दृष्टिकोण मैंने पहले भी रखा है

श्री सभापति : जिन डिमान्डस पर बहस हो चुकी है उनके बारे में न कह कर किन्ही दूसरी बातों पर कहें तो उचित होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने इस पर कोई बहस नहीं की है।

श्री सभापति : आप जल्दी ही समाप्त कर दें। दो मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री मुरलीधर व्यास : तो सभापति महोदय, मेरा सुझाव है "(१) कि हर कमेटी में चाहे वह किसी प्रकार की कमेटी हो उसमें विरोधी दल के सदस्यों को अवश्य लें।" इससे भ्रष्टाचार बहुत हद तक रूकेगा और धन का जो दुरूपयोग होता है, वह बहुत हद तक रूकेगा और जनतन्त्र में सरकार का जो दृष्टिकोण है वह यही है कि विरोधी पक्ष का दृष्टिकोण एकसा नहीं होता है विरोधी पक्ष के लोगों का यहां तक कार्य नहीं है, कि वे विरोध ही करें। अगर उनका कार्य सक्रिय राष्ट्र के विकास के लिये है तो सरकार को उनका सहयोग लेना चाहिये। जो बजट में इतना रूपया खर्च करते हैं अगर सारे राज्य के लिये खर्च होता है, उसमें सब का सहयोग लेकर ही खर्च किया जाता है, और उनका दुरूपयोग कहां होता है, उसकी जानकारी का भी उनको मौका देते हैं। तो उस समय पर पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिये। लेकिन जब समय निकल जाए उसके बाद कहते हैं कि ऐसा आगे कर लेंगे तो उसको अच्छी सरकार नहीं कह सकते, और यह कोई अच्छी सरकार की बात नहीं है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और तीसरा जो सुझाव लेबर के सम्बन्ध में रखा है प्रोडक्शन पोइन्ट ओफ व्यू से नीति निर्धारित करनी चाहिए। जहां हिंसा होती है तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए लेकिन जो गैर कानून काम करते हैं, उसमें चाहे मज़दूर हो या मालिक हो, कोई भी हो दोनों के साथ सरकार को एक पक्ष रखना चाहिए।

श्री बी० के० चौधरी (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले यह

(श्री पी० के० चौधरी)

बताने की कोशिश की थी कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जो रिशिट्स हैं उसमें ओवर एस्टीमेशन है। उस टाइम यह भी इशारा किया था कि जो एक्सपेन्डीचर है उसमें अन्डर एस्टीमेशन है। मैं सबसे पहले यह बताने की कोशिश करूंगा कि एक्सपेन्डीचर में एक करोड़ की कमी बता कर बजट को सरप्लस बताया गया है। बाहर कम बताते हुए सरप्लस बताया गया है। मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा कि लैंड रेवेन्यू का बजट है उसमें सर्वे एन्ड रिसेटलमेन्ट में प्रोबेबल सेविंग्स है, हर एक सब हैडिंग के साथ प्रोबेबल सेविंग्स है। ये प्रोबेबल सेविंग्स २० पर्सेन्ट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : २० पर्सेन्ट सेविंग्स कहां है ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं आपको बताऊंगा। सब हैड्स में बताया गया। लैंड रेवेन्यू ४॥ लाख का बताया, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट चार्जेज़ में २ लाख हैं, इसी तरह से १४ हज़ार की लैंड रेवेन्यू में प्रोबेबल सेविंग्स बतायी है। इसी तरह से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोबेबल सेविंग्स बतायी है। जहां एक्सपेन्डीचर बताने की बात है, वहां १५ हज़ार बता दिया। इसी तरह से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में ९ लाख और ७ लाख प्रोबेबल इकोनोमी का है; कुल मिला कर १६ लाख पुलिस का बताया। एज्युकेशन में प्रोबेबल सेविंग्स ३६ लाख ८८ हज़ार बताया, मडिकल में ३ लाख ८८ हजार, मिस्लेनियस में २॥ लाख और कम्युनिटी डवेलपमेंट में १० लाख, कुल मिला कर एक करोड़ की प्रोबेबल सेविंग्स इस बजट में बतायी गई है। मैं मानता हूँ कि यह बजटिंग की बेसिक डिस्ओनेस्टी है। आर्टिफिशियल पिक्चर रखी जाती है। रेवेन्यू एस्टीमेट्स से फिगर दिये। ३९ करोड़ का बजट है उसमें १ करोड़ की प्रोबेबल सेविंग्स होती है। एक चीज़ है मैं उसमें बताता हूँ कि जो एक्सपेन्डीचर के एस्टीमेंट्स है वे एक्यूरेट नहीं हैं, या तो अन्दाज से बता दिया या ठीक बताया, लेकिन बजट को सरप्लस बताने के लिए एक करोड़ का सेविंग्स किया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां जहां ६०, ७० हज़ार की प्रोबेबल सेविंग्स बतायी गई हैं, वे फीगर्स मैंने इन्क्लुड नहीं किये हैं, केवल जो एक लाख से ऊपर के फीगर्स थे उनको इन्क्ल्यूड किया है। जैसा मैंने बताया कि रेवेन्यू रिशिट्स थीं वो ओवर एस्टीमेटेड थी और एक्सपेन्डीचर में अन्डर एस्टीमेशन रहा है। एक्चुअल बताने के बाद भी प्रोबेबल सेविंग्स बताते हैं। एज्युकेशन जो एक्सपेन्डिंग डिपार्टमेंट है उसमें सेविंग्स कैसे हो सकती है, जब कि हमारे सामने दलीलें आती हैं कि स्कूल नहीं खुल पाते, फन्ड्स उनके हैं, There are certain Plan expenditures.

प्लॉन्ड एक्सपेन्डीचर में प्रोबेबल सेविंग्स आती हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता।

एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कान्सोलिडेटेड फन्ड्स हैं उसमें जो पैसा इन्क्लुड करते हैं वह भी बजट में बताना पड़ता है और जो विड्रो करते हैं वह भी बजट में बताना पड़ता है। अब जो मेडिकल

(श्री पी० के० चौधरी)

ग्रान्ट है ३८, उसमें एक रिकवरी का आइटम है। एम्प्लोयज़ स्टेट इन्श्योरेन्स फन्ड्स से ६, १४०००) रुपया उसमें से रिकवर करेंगे, लेकिन जहां तक रिशिट्स का सवाल है १५ हजार रिशिट्स में हैं। यह ६,१४,०००) जिसको कन्सोलिडेटेड फन्ड्स से स्पेन्ड कर रहे हैं लेकिन ६,१४,०००) का कन्सोलिडेटेड फन्ड में रिसीट नहीं है । मैं समझता हूं उसको विड्रो करेंगे तो विड्रो ठीक रहेगा लेकिन १५ हज़ार की रिसीट बताकर ६ लाख १४ हज़ार रहेगा तो गलत रहेगा, यह कान्स्टिट्यु-शनल पोइन्ट है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Under which Article.

श्री पी० के० चौधरी : आर्टिकल २६६। जब गवर्नर्स एड्रेस पर बहस हो रही रही थी तो उस वक्त मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब में यह कहा था, कि बहुत से लोगों ने ओफिसर्स को क्रिटिसाइज़ किया था, समालोचना की थी कि यहां पर काफी करप्शन है। उन्होंने जो शब्द कहे थे मैंने उनको नोट कर रखे हैं :

"Don't criticise the officers for corruption, Think over it."

आपको क्रिटिसाइज़ करने से पहले सोच लेना चाहिये और वाइड क्रिटिसिज्म उन का नहीं होना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमन्त्री) : मैंने चार्जेज के लिए कहा था।

श्री पी० के० चौधरी : मैं चीफ मिनिस्टर के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं। उन्होंने कहा था कि जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वैसा नहीं किया जाना चाहिये। सारे के सारे ऑफिसर्स गलत हों और वाइडली क्रिटिसाइज़ करते हों, ऐसी बात नहीं है। इसमें मैंने सोचा कि ओफिसर्स करप्ट हैं या नहीं और हो तो वज़ह क्या है ? सभापति महोदय, सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि करप्सन है उसके लिए शायद हमारे ओफिसर्स ज़िम्मेदार नहीं हैं। करप्शन के कई तरीके हैं। मैं जिसे करप्शन की बात करता हूं उसको मामूली ढंग का करप्शन नहीं कहता बल्कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव करप्सन नाम देता हूं। शासन में करप्शन होना दूसरे करप्शन से अलग है, वह तो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है, सभापति महोदय, उसकी कई किस्में हैं, तरीके हैं, एक करप्शन होता है लोबीज़ के ज़रीये, एक करप्सन होता है इन्फ्लेन्शियल ग्रुप्स के ज़रिये और एक करप्शन होता है इन्फेलेन्शियल ओफिसर्स के जरिये। हर एक एक की मिसालें देकर बताता हूं। लोबी करप्शन का क्या मतलब होता है, सभापति महोदय, जो पोलिटिशियन्स हैं, जो वेस्टेड इन्टरेस्ट्स हैं, एम.एल.एज. हैं, Any powerful group in the society.

वे एम. एल. एज. को इन्फ्लुएन्स करते हैं, जो वे खुद इन्टरेस्ड होते हैं, तो कोई चीज़ करवाना चाहते हैं, तो मिनिस्टर डिफाई नहीं कर सकता, उनको खुश करने के लिये जो चाहे कर देता है। इससे ओफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं ले पाते। वे देखते हैं कि फलाने ग्रुप का मिनिस्टर इन्टरेस्टेड है इसलिये उसको नाराज नहीं कर सकता। तो ऑफिसर्स का डिसीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव

(श्री पी० के० चौधरी)

डिसीज़न नहीं होता है। लोबीज़ का मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं। मिसाल की तौर पर सीलिंग का सवाल ही ले लीजिये, सीलिंग के सवाल पर पावरफुल लाबिज़ में विचार हो रहा है पार्टी के अन्दर हो रहा है, पावर लोबिज़ के अन्दर जो है उससे पता चलता है; आप आगे जाकर देखेंगे कि सीलिंग का जो बिल है वह लम्बा होगा इसको देर तक रोका जायगा और उसमें कई प्रकार की तब्दीलियां होगीं। इस प्रकार लोबिज़ में जो इस प्रकार की बातें चल रही हैं उससे मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल भी इन्फलुएन्स्ड होते हैं। अफसोस इस बात का होता है सीलिंग को इम्पलीमेन्ट करने के लिये डिसीजन बायस रहेगा।

दूसरा, एक प्रकार से लोबीज़ जब तैयार होती है तो उसका असर एक दम हो जाता है, जैसे ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उसमें एक पावरफुल ग्रूप है, वे लोबिज़ क्रिएट करते है। एम० एल० एज़, के मिनिस्टर्स इन्फलुएन्स्ड होते हैं खास कोन्स्टीट्यूएन्सी के मेम्बर को मिनिस्टर्स नाराज़ नहीं कर सकते; वैसी हालत में जो डिसीज़न होता है वह बायस्ड डिसीज़न होता है। ऑफिसर्स उनके रुख को देखते हुए कि यह मिनिस्टर फलाने ग्रूप के फलां आदमी को पर्मिट दिलवाना चाहता है एक दफा उसको पर्मिट दे दिया जाता है, तो दुबारा बगैर मिनिस्टर से पूछे हुए भी पर्मिट दे दिया जाता है। जो मिनिस्टर की कान में बात करता है, जैसे एक बादशाह की जान एक आदमी ने बचायी थी, उस पर उस आदमी ने बादशाह से कहा, मुझे आप जब दरबार में बैठे हुए हों तो सिर्फ एक मिनिट कान में बात कहने की इजाज़त दे दी जाय। बादशाह राज़ी हो गया। उसके मुताबिक जब कभी राज दरबार होता था तो वह आदमी बादशाह के कान में मुंह देता था लेकिन कहता कुछ नहीं था, उसका असर क्या हुआ कि बादशाह के अन्य ऑफिसर्स वगैरह थे उनके दिमाग में यह बैठ गया कि यह आदमी बादशाह के मुंह लगा हुआ है, उनका कोन्फीडेन्स लिये हुए है तो जो भी काम वह करवाना चाहता था किसी ऑफिसर से वह करवा लेता था। तो ये लोबीज़ जो क्रिएट होती हैं, इस प्रकार से क्रिएट होती हैं कि जो मिनिस्टर से इन्फलुएन्स्ड होते हैं जिनके फेवर में एक दफा डिसीज़न दे देते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि वह आदमी ऑफिसर्स से मन चाहा काम करवा लेता है क्योंकि मिनिस्टर को डिस्प्लीज़ नहीं कर सकते। यह मैंने इसलिये बताया कि ऑफिसर्स में जो करप्शन आता है वह इस तरह से आता है।

तीसरी बात है, कुछ एम० एल० एज़ ऐसे होते हैं उनका एक प्रकार का इन्फलुएन्स होता है। वे एक विशेष व्यक्ति के तौर पर गिने जाते हैं, उनके लिये एक्शन नहीं लिया जाता, मिनिस्टर की इतनी हिम्मत नहीं कि उस एम० एल० ए० को डिस्प्लीज़ कर सके। ऑफिर्सस में जो करप्शन आता हैं उसमें ज़्यादातर करप्शन इस ढंग का होता है। इस तरह से जो करप्शन ऑफिसर्स में आता है उसको हमें रोकना चाहिये। इस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन है उसे हमें रोकना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के लिये ज़िम्मेवार विदाउट एनी कन्सीडरेशन केबीनेट ज़िम्मेदार है, यह मेरी निश्चित राय है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपका यह कन्टेन्शन है कि एम० एल० एज़ भ्रष्टाचारी है ?

श्री पी० के० चौधरी : It is a fact, my dear friend.

श्री जनार्दनराय नागर : क्या आपका यह कहना है कि कैंटेगेरेली वे भी भ्रष्टाचार के अन्दर शरीक हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : आप बैठ जाइये । माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात नहीं समझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि सीलिंग जो हम लागू करना चाहते हैं, वह क्या लम्बा नहीं होगा ?

श्री जनार्दनराय नागर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उससे क्या यह ध्वनि नहीं निकलती है कि एम० एल० एज़० भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शरीक हैं ?

श्री सभापति : आपके कहने का यह मतलब नहीं था । जहां तक मैं समझ सका हूं माननीय सदस्य का यह कहना है कि लोबी के ज़रिये सरकारी ऑफिसर या मिनिस्टर्स इन्फ्लुएन्स्ड होते हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : सार्वजनिक हित के लिये सही तौर से इन्फ्लुएन्स किया जाय तो मैं समझता हूँ उसको इन्फ्लुएन्स नहीं नहीं कहा जा सकता ।

श्री पी० के० चौधरी : जो मतलब आप निकलना चाहें निकाल लीजिये । मैंने जो कुछ कहा है वह लिखा हुआ है....

श्री जनार्दनराय नागर : Sir it is very objectionable when he says that the Members influence the Mintsters in lobbies. It means that.....

श्री पी० के० चौधरी : मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन होता है, उसकी मिसाल मैंने दी है । सभापति महोदय पावरफुल आफिसर्स जो इन्फ्लुएन्स्ड होते हैं उसकी एक दो मिसालें रखूंगा । फलौदी तहसील में बापी मलार में साल्ट वेन्स है....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा समय और दीजिये....I will hardly take 5 minutes. The other Hon'ble Member has taken 35 minutes. I have not taken even 20 minutes.

सभापति महोदय, बापी मलार में साल्ट की वेन्स हैं फलौदी तहसील में । वहां पर लगभग १०२ प्लाट का अलॉटमेन्ट हुआ है, और एक एक प्लाट में पांच हज़ार से छः हज़ार तक की इनकम होती है । उन प्लाट के अलॉटमेन्ट के कुछ ऐसे पट्टे पकड़े गये जो फर्जी मालूम होते हैं । १०२ प्लाट के अलॉटमेन्ट की हमारे अलॉटमेन्ट रजिस्टर में एन्ट्री है । बाकी के प्लाट्स की एन्ट्री अलॉटमेन्ट रजिस्टर में नहीं है, फिर भी उनको पट्टे दे दिये गये हैं । ऐसे भी प्लॉट्स हैं जिनका पहला अलॉटमेन्ट ३१-१२-५२ को होता है । ऐसे १६ आदमियों के अलॉटमेन्ट लेटर्स पकड़े गये हैं : एन्टी करप्शन विभाग द्वारा जब इन्क्वायरी हुई, उसमें १६ आदमी भी पकड़े गये, उनमें से एक है गुलाबकंवर, सम्पतराम की पत्नी है ।

Page No.78

(श्री पी० के० चौधरी)

इनकी तरफ से यह अलॉटमेन्ट २१-२-५२ को होता है लेकिन इनके हसबेन्ड की जो एफीडेविट है उसके हिसाब से उनकी एप्लीकेशन है ५७ के दिसम्बर की। उनका यह कहना है कि इससे पहले मुझे और मेरे फेमिली मेम्बर्स को किसी को साल्ट के प्लाट का अलॉटमेन्ट नहीं हुआ। जो लोग यह क्लेम करते हैं कि साल्ट बनवाने का पर्मिट दिया जाय, जिनको प्लाट का अलॉटमेन्ट हो चुका है उसमें एक प्रकार की शर्त है कि अगर ६ महिने के अन्दर अन्दर सॉल्ट का मेन्युफेक्चर शुरू नहीं करते हैं तो वह अलॉटमेन्ट केन्सिल हो जायगा। १०२ आदमी हैं जिनका अलॉटमेन्ट बताया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा उनको अलॉटमेन्ट नहीं हुआ, फिर भी उनके नाम अलॉटमेन्ट है और वह भी सन् १९५२ के दिसम्बर से छः साल पहले का अलॉटमेन्ट लेटर है। इस बारे में इन्क्वायरी हुई उससे यह साबित हुआ कि यह अलॉटमेन्ट लेटर गोविन्दनारायण नाम के एक तहसीलदार थे १९५२ में जो फलौदी तहसील में तहसीलदार थे। उन्होंने ५२ की डेट देकर उनको अलॉटमेन्ट किया है। यह जो साल्ट के प्लाट्स हैं उनका सेटलमेन्ट नहीं होता है, लेकिन रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट से इनके नाम से प्लाट्स सेटल हो गये हैं। साल्ट प्लाट्स कभी सेटल नहीं होते हैं, इनका सेटलमेन्ट होना यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन की मिसाल है। दूसरी मिसाल

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट ....। दूसरी मिसाल है, पशु प्रजनन के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री महोदय ने बहुत सी बातें कहीं हैं। मैं इस बारे में भेड़ों का उदाहरण देता हूँ। हम नस्ल भेड़ की किस प्रकार पैदा करते हैं? सन् १९५६ में इस डिपार्टमेन्ट, द्वारा यह बताया गया था कि १०० भेड़े स्मालपौक्स से मर गई है। ऐसा बताने पर इन्क्वायरी हुई। उससे ऐसा पता चला कि उन १०० में से ६० भेड़े बेच दी गई और उनकी जगह बाजार से सस्ती भाव की शीप खरीद कर ली गई। इसकी इन्क्वायरी हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
इसकी सम्बन्धित मिसाल बताना चाहता हूं। इस डिपार्टमेन्ट का हैड है उसके साथ उसकी रिश्तेदारी है या कोई जान पहचान है इस लिये उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। सभापति महोदय, शीप नम्बर ७२२ की डैथ सर्टिफिकेट की फोटो स्टेट कापी मेरे पास है। उसको १३-४-५६ को दूसरा डैथ सर्टिफिकेट और मिला। रीनम्बर हुआ ७६५ और वह अलाइव है।

दूसरा किस्सा है शीप नम्बर ४८०।

श्री जनार्दनराय नागर : यह शिप की बात कह रहे हैं या शीप की? शिप मीन्स जहाज।

३ म० प०

श्री पी० के० चौधरी : जहाज नहीं भेड़ से मेरा मतलब है। भेड़ की बात कर रहा हूं। तो इस ७२२ नम्बर की शीप के दो डैथ सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। एक उसकी डैथ बताता है १०-७-५६ को और दूसरा बताता है ८-६-५६ को। अब इसमें हुआ क्या? १०० शीप उस नस्ल की बेच दी गई, उनको रिप्लेस किया। जब पकड़ने में आये तो कह दिया कि उनमें से कुछ शीप स्माल पौक्स में मर गई पर इसको छिपाने के लिये बाज़ार से

(श्री पी० के० चौधरी)

भेड़ खरीद कर रिप्लेस कर दिया। सारी की सारी डुप्लीकेट हैं। एक बार जुलाई में मरी और फिर सितम्बर में मरी। इसकी इन्क्वायरी भी हुई, रिपोर्ट भी पेश हुई। जिस शीप का मरना बताया गया, वह फिर जिन्दा हो गई, पर वह नहीं है, दूसरी है रिप्लेस की गई, उसे बेच दिया गया। इस पर सभापति महोदय, मैं पिछले दो सेशन से सवाल भी बराबर पेश कर रहा हूं। पर जवाब नहीं दिया जाता। हमेशा टालम टोल किया जाता है। तो यह है एक मिसाल एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन की।

श्री सभापति : आप अपनी बहस समाप्त कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : एक मिनिट।

दूसरी मिसाल मैं पेश करूंगा कि गोल्ड स्मगलिंग कैसे होता है ? इसमें भी ऐसा ही मामला चल रहा है। इसमें जुलाई ५८ से सितम्बर, ५८ तक १।। करोड़ रुपये का गोल्ड स्मगल किया।

श्री सभापति : पुलिस की डिमान्ड पर कट मोशन था, इस पर उस समय बहस हो चुकी है। इस पर अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के तरीकों की मिसाल पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति : इस पर मिनिस्टर इन्चार्ज जवाब दे चुके हैं, इस समय इस बारे में सदन का समय लेना ज्यादा उचित नहीं होगा। इसलिये आप अपना वक्तव्य समाप्त कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : सेल्स टैक्स की मिसाल लीजिये। १३६ गोल्ड स्मगलर्स के हिसाब के कागज पकड़े गये।

श्री सभापति : यह एक्साइज में आ गया है।

माननीय सदस्य, आप अपना वक्तव्य समाप्त कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय....

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

श्री पी० के० चौधरी : I am finishing it. Let me close it.

श्री सभापति : You have finished it. You hava already taken your seat.

श्री पी० के० चौधरी : सभापति महोदय, आपको यह ख्याल रहे, मैं बहस नहीं कर रहा हूं, केवल एग्जाम्पल दे रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कैसा होता है। और मैं समझता हूं इलस्ट्रेशन देकर ग्रान्ट क्रिटिसाइज करना और बात है और एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन का इन्स्टान्सेज देकर कहना और बात है।

श्री सभापति : इस पर काफी समय ले लिया गया है। और कई को बोलना है, अवसर फिर नहीं मिलेगा उनको।

Page No.80

श्री पी० के० चौधरी : इसलिये फिर में अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : अब टाइम कोई मुकर्रर कर देंगे ? माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : ४ मिनिट्स। यह डिबेट चार बजे समाप्त हो जावेगी। कई लोग बोलने वाले हैं इससे चार मिनिट से अधिक कोई न ले। आपके लिये ५ मिनिट

श्री अर्जुनदास : कई लोग खड़े हुए हैं और चार मिनिट कम रहेंगे, पांच मिनिट कर दें।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल,बाज़ार जयपुर): सभापति महोदय, १० मिनिट। पांच मिनिट देकर भी सबको टाइम नहीं दे सकेंगे। इसलिये १० मिनिट।

श्री सभापति : मैं व्यवस्था दे चुका हूँ कि केवल पांच मिनिट आपके लिये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग संख्या ३ विधेयक, १९५९ सदन में विचारार्थ पेश है। मैं भी बहुत संक्षेप में इसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आगामी वर्ष का जो बजट सामने आया है, इसके सम्बन्ध में जन साधारण की आशा, आकांक्षा, भावना, सभी इस सदन में सामान्य वाद विवाद और अनुदानों की मांग की बहस के दौरान में प्रकट की जा चुकी हैं। अब सरकार का कर्त्तव्य होगा कि जो राशि आज सदन उसके लिये स्वीकार करता है, आगामी वर्ष में खर्च करने के लिये, उसको वह अपने कल्याणकारी राज्य या समाजवादी समाज व्यवस्था के अपने महान लक्ष्य को सामने रखते हुए खर्च करे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : दो मिनिट हो गये।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहूँगी।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपको साहब, कौन सा हस्तक्षेप हो रहा है ?

डॉ० चन्द्रकला : अब यह सरकार का कर्त्तव्य है और सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह किस तरह से स्वीकृत धन राशि का उपयोग करती है।

सबसे पहली बात तो अपनी सरकार को निवेदन करना चाहूंगी, कि पिछले बजट में जिस तरह से रकम लैप्स होती चली आई है, और बहुत से काम जो जनहित के हैं वे समाप्त नहीं हो सके तो मैं आशा करती हूँ, कि सरकार इस साल कम से कम ऐसा नही होने देगी। सब रकम का पूरा पूरा और वाजिब उपयोग करेगी।

इस बजट को हम एक अभिनन्दनीय बजट केवल इसलिये कह सकते हैं, कि टैक्स के नाम पर केवल एक टैक्स है, और वह मोटर यात्रा पर है। सभापति महोदय, मैं करों का विरोध नहीं करती हूँ क्योंकि यदि हम प्रान्त का विकास करने के लिये जो विभिन्न कार्यक्रम बनाते हैं उनको पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता होती है और वह हम करों के रूप में प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह देखना पड़ेगा कि इसका उपयोग जनता की

(डॉ० चन्द्रकला)

आशा के अनुकूल होता है या नहीं। तो कम से कम हमारी सरकार जिन लोगों से यह मोटर कर लेना चाहती है उनकी सुविधाओं का अवश्य ध्यान रखेगी और यह ध्यान रखेगी कि सवारियों ओवर लोड (over lovd) न चलें और इससे जो दूसरे मुसाफिरों को कष्ट होता है, वह न हो।

इसके साथ ही साथ मैं जयपुर शहर के लिये आवश्यक निवेदन करना चाहूँगी। अभी अखबार में पढ़ा कि जयपुर शहर में हत्याओं का बहुत सिलसिला चल पड़ा है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह जिक्र पुलिस की डिमान्ड में आ चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : पुलिस की डिमान्ड के बाद की की चर्चा करूंगी, पहले की नहीं करूंगी।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): There should be one Rule for all the Members.

डॉ० चन्द्रकला : आज कल की घटना है, इसलिये इसमें कवर नहीं होती है।

श्री सभापति : सवाल यह है कि जिन मुद्दों पर बहस की जा चुकी हो, उसके संबंध में विचार व्यक्त किये जावेंगे तो बेकार समय जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला : मैं पुलिस की डिमान्ड के ऊपर बहस करना नहीं चाहूँगी।

श्री सभापति : जिस घटना की बात है, उसके सम्बन्ध में नोटिस दिया है, जानकारी सरकार से चाही जा रही है। सरकार जवाब देगी इसलिये आप इसे अभी रेफर न करें।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, जयपुर शहर की इन बातों को छोड़कर मैं शान्ति व्यवस्था की बात करती हूँ, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जयपुर शहर में रोज आये दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता, जब सड़क दुर्घटना की बात न सुनने में आती हो। यहां की यातायात व्यवस्था इस प्रकार निशाजनज है कि समझ में नहीं आता राजस्थान सरकार की राजधानी का यह शहर, होम मिनिस्टर का निवासस्थान और ऐसी घोर अव्यवस्था। एक मोटर स्टेन्ड अजमेरी दरवाजा, और चांदपोल दरवाजा बाहर हैं, उनकी क्या हालत बनी हुई है और जयपुर शहर की इन चौड़ी चौड़ी सडकों को, जिन पर टूरिस्ट जाते हैं उनको छोड़ दो, तों बाकी की एक भी सड़क ऐसी नहीं है, जिसमें बड़े बड़े गड़े न हों, जिन पर चलें तो झूला झूलने का आनन्द न मिले। इसके साथ ही मैं जरा सा ध्यान जयपुर शहर में बढ़ती हुई गुंडागर्दी की ओर दिलाना चाहती थी लेकिन सहापति महोदय,

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यह तो बात कोई न्याय की नहीं है कि हम लोगों को केवल पांच-पाच मिनिट ही बोलने का टाइम दिया जाये।

श्री सभापति : क्योंकि गवर्नमेन्ट अपनी ओर से जवाब देगी। जितने माननीय सदस्य बोले हैं उनकी बातों का भी जवाब देना है।

(विराम)

Page No.82

श्री अर्जुनदास ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पूर्व) : सभापति महोदय, यह एप्रोप्रियेशन बिल देखकर और यह भी देखकर कि गवर्नमेन्ट यह सारा पैसा खर्च कर रही है, तो मेरे ख्याल में तो यह एप्रोप्रियेशन बिल नहीं है, इसको तो हम मिस-एप्रोप्रियेशन कहें तो ज्यादा उचित ही होगा । जिस तरीके से गवर्नमेन्ट चल रही है उस तरीके से मैं एक बात कह दूं कि इस सदन में कई बार हम उदाहरण दे कर कोई बात कहते है, कि इस विभाग में यह बात हुई, यह बात हुई, परन्तु हमारे माननीय मंत्री महोदय जो कि काफी होशियार पोलीटिशियन हैं उनके लिए उसका तो तरीका एक ही हो गया है कि जवाब जितने गोलमाल तरीके से दे सकते हैं, वह दें, और जो बात उनके ऊपर असर डालती हो उसका तो वह जवाब ही नहीं देते हैं । ऐसा मानकर चलते हैं कि इस सदन में उनकी चर्चा ही नहीं हुई । गवर्नर्स महोदय के भाषण के समय में एक मैंने उदाहरण दिया था, कि अजमेर शहर में एक हैड कान्सटेबल मल्लूसिंह और कान्सटेबल नत्थूलाल शराब पीकर आम जनता में जाते हैं, तथा उन्होंने सड़क पर चलते हुए लोगों की पिटाई की....

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह पुलिस डिमाण्ड पर काफी बहस की जा चुकी है और मैं समझता हूं कि वह विषय पर ही बोलेंगे ।

श्री अर्जुनदास : मेरे उदाहरण का जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया, और न उसके लिए उन्होंने कार्य किया । इसलिये मैं माननीय मंत्री को याद दिला रहा था । दस महीने हो गए मैंने इस हाउस में चर्चा की लेकिन हमारे माननीय मंत्री महोदय ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, आज तक । जैसे हमने कोई बात ही नहीं कही । इन सारी बातों का परिणाम यही होता है कि हमारे कर्मचारियों का हौंसला और भी बढ़ता जाता है, और वह यही समझते हैं कि हमारे लिए मंत्रीजी बैठे हैं, और जो कुछ भी हम करेंगे उसके लिए वह हमारी रक्षा जरूर करेंगे । मेरे ख्याल में मैं अगर यह कहूं कि सत्ताधारी आदमी खुद कर्मचारियों से काम लेकर उनसे गैर कानून कार्यवाही कराते हैं तो यह गलत नहीं होगा । उसका उदाहरण देकर सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा और वह यह है कि १७ सितम्बर, १९५८ को अजमेर शहर में म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन का चुनाव होने को था और उनके लिए दो दल थे । एक दल में १५ सदस्य थे और दूसरे दल में १६ सदस्य थे । १६ सदस्य वाले सब थे । तो १६ तारीख को क्या होता है कि हम लोग पुष्कर में थे और दूसरे दल ने सोचा कि हमारे वाले दल में से किसी न किसी सदस्य को जबरन बन्द कर दिया जाये । शाम को हम देखते हैं कि श्री लक्ष्मणदास को उन्होंने पिस्तौल दिखा कर एक मकान में बंद कर दिया । मैं उसकी रिपोर्ट पुलिस में करने गया और यह कागनीजीबल आफेन्स है, ऐसा मैंने कहा और सब-इन्स-पेक्टर ने मुझसे रिपोर्ट लेने से इन्कार कर दिया । आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस को रिपोर्ट जो १६ तारीख को दी उन्होंने रिपोर्ट लेने से इन्कार कर दिया । जब ऐसा जिम्मेदार आदमी कागनीजेबिल आफेन्स की रिपोर्ट करता है, तो उससे रिपोर्ट नहीं ली

(श्री अर्जनदास)

जाती है। मैं भी डरकर खड़ा हो गया। मैं जानता हूं कि अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति रिपोर्ट करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है लेकिन मुझ से रिपोर्ट लेने से इन्कार कर दिया गया। मैंने उसको लिखित रूप में एक अर्जी दे दी। जिस व्यक्ति के खिलाफ मैंने अर्जी दी थी उसको कोतवाली पर बुला लिया, और जब बुलाने के लिए कान्सटेबल गया तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रस पार्टी का एक सत्ताधारी आदमी जो कि खुद सदन का मेम्बर भी है, वह भी साथ में आ गया और कहने लगा कि अगर हो सके तो रिपोर्ट मत लेना.......

श्री भानसिंह (बयाना) : Who is the Hon'ble Member, so that the may have a chance to controvert it.

श्री अर्जनदास : I am bound to name him and I can certainly say that it was the Hon'ble Member from Nassirabad who had come over to the Kotwali and asked the Kotwali not to take down the report.

नतीजा क्या हुआ कि रिपोर्ट नहीं ली। आज तक रिपोर्ट नहीं ली गई।

श्री मदनसिंह : आप कैसे कह सकते हैं। He is not here at this time.

श्री अर्जनदास : No, he is still in these premises. I dare say that this is correct- Lachhmandas was detained by two persons on a point of pistoal and the Kotwal refused to take down the report. I think a person who refuses to take down the report is himself committing an offence and I expect that the Government will take suitabl e sction against the Kotwal. And if the Government does not give me a suitable reply on this, then I think the Government itself is a party to this.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल १६५६ है उस पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। मैं भी अपने विचार इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अन्दर जहां ग्रान्ट ग्रान्ट पैसा हर साल बजट के अन्दर हम लोगों पर टैक्स लगा कर, लोगों से वसूल करते हैं उस पैसे के जहां तक खर्च करने का संबंध है वर्तमान सरकार किसी प्रकार की सावधानी नहीं बरतती है। जहां तक मेरा ख्याल है आज भी हम देखते हैं कि करोड़ दो करोड़ रुपया जो कि इस बजट के अन्दर रखा जाता है, हर साल उसमें से बहुत सा पैसा लैप्स हो जाता है, और उसके बाद में सरकार या तो किसी डाइरेक्टर को उससे संबंधित बताती है, उसको दोष देती है, या किसी साधारण क्लर्क को या किसी दूसरे आदमी को दोषी ठहराती है। मैं समझता हूं कि माननीय सभापती महोदय जनतंत्र के अन्दर इस प्रकार की जो परिपाटी है यह उचित नहीं है। इस प्रकार कि जो परिपाटी है जो आज दिन अव्यवस्था फैली हुई है, जो कर्मचारी लोग काम करने वाले हैं, वह अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। इस प्रकार की जो मौजूदा व्यवस्था है इससे जो अव्यवस्था आज दिन फैली हुई है वह दूर नहीं हो सकती।

Page No.84

(श्री गिरधारीलाल)

इसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे ताकि जो गड़बड़ होती है, जो पैसा लैप्स होता है, और जो पैसा उचित तरीके से खर्च नहीं होता है, उनको ठीक तरह से खर्च कर सकें इसके लिये आपको पूरे के पूरे डिपार्टमेन्ट को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा।

मेरा दूसरा सुझाव माननीय सभापति महोदय, यह है कि हमारो सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना के लिए एक अपनी नीति की घोषणा की है, और आवड़ी सम्मेलन के बाद जो कार्यवाही रही है वह ऐसा लगता है कि क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं। कि हमने समाजवाद की घोषणा की उसके बाद में जनता का जीवनस्तर इतनी हद तक बढ़ायां है। मैं समझता हूं कि माननीय सभापति महोदय जो सन् ४७ के अन्दर किसानों की और मजदूरों की हालत थी, और जो उनका जीवनस्तर था आज दिन वैसा का वैसा है। पहली पंचवर्षीय योजना खत्म की और दूसरी खत्म होने जा रही है, लेकिन फिर भी आज दिन किसानों और मजदूरों की वही हालत है। बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है आज १ लाख ६० हजार आदमी बेकार हैं। आपने एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज किस लिए खोल रखे हैं लेकिन आप चन्द आदमियों को उससे आप काम पर लगा सकते हैं बाकी सारे के सारे आदमी बेकार रहते हैं।..........

आज तक पढ़े लिखे बेकारों की संख्या क्या है ? माननीय सभापति महोदय, पहले भी मैंने सदन में कई बार कहा था कि सरकार यह बताये कि कितने ग्रेजुएट, कितने मेट्रीक्यूलेट और कितने अनपढ़ बेकार आदमी आपके राज्य के अन्दर हैं, लेकिन सरकार के पास उचित तरीके के आकड़े नहीं मिलते हैं। जो अगर मिलते हैं वह विश्वसनीय नहीं हैं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जहां गांवों में ज्यादा लोग रहते हैं। गांवों में खेतीहर मज़दूर कितने बेकार हैं ? उनको आप रोटी दिलाने के लिए, काम धन्धा दिलाने के लिए, क्या कुछ करते हैं ? इसके विषय में मंत्री महोदय, बतायें।

दूसरी बात सीलिंग के विषय में दो शब्द कहना चाहता हूँ। सीलिंग आपका इस सेशन में आया और सीलिंग कमेटी के सामने है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया। आपके जो इस बजट के अन्दर किसी प्रकार का मुआवजा नहीं है, उस मुआवजे के नहीं रखने से नतीजा लगा सकते हैं, कि राजस्थान सरकार सीलिंग नहीं लगाना चाहती है, उसे नहीं करना चाहती है....

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति महोदय, जब कि बिल सिलेक्ट कमेटो के सामने है और प्रोवीजन इस बात का कि मुआवज़ा क्या हो, वह हाउस में डिसकस हो सकता है क्या ?

श्री गिरधारीलाल : उसका जिक्र तो कर सकता हूँ। सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया था तब प्रावधान रखा था, कि इस सेशन में वह बिल लायेंगे, लेकिन अब तक नहीं लाया गया है....

श्री सभापति : अभी तो सेशन चल

Page No.85

(श्री सभापति)

रहा है । समाप्त नहीं हुआ है, आयेगा वह इस सेशन में ।

श्री गिरधारीलाल : बहुत अच्छा साहब ।

इस प्रकार से मेरा सुझाव भी है कि मितव्ययता के सम्बन्ध में आज बड़ी बड़ी योजना बनती है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बड़ी बड़ी स्कीमें बनती हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारे प्रशासन का ढांचा है वह ढांचा खराब है । प्रशासन के इस ढांचे में अनाप शनाप खर्चा होता है । राजस्थान की गरीब जनता का पैसा, वह पैसा जो लोगों से टेक्सों के द्वारा वसूल करते हैं, वह अनाप शनाप खर्च करते हैं । मैं सोचता हूं कि उस खर्चे में कमी होनी चाहिए । जब पिछले साल सामान्य प्रशासन के हैड में २० लाख, मुझे संख्या ठीक तौर से याद नहीं है, की मितव्ययिता की संख्या रखी थी, लेकिन उसके बाद में ज्यादा रकम खर्च हुई । इस साल भी पहले की चीज़ों को दोहराया है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस साल भी धड़ाधड़ आई. ए. एस. और आर. ए. एस. आफिसर बनाये जा रहे हैं । कम खर्च के प्रश्न पर विचार नहीं किया है । मैं समझता हूं कि इस परिपाटी को जो आज दिन तक है उसको खत्म करना चाहिए । माननीय वित्त मंत्री महोदय इस प्रकार की परिपाटी को जब तक खत्म नहीं करेंगें, अनाप शनाप जो प्रशासन के ढांचे में खर्च हो रहा है, इसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक मैं सोचता हूँ कि जनता के साथ न्याय नहीं करेंगें ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो एक पॉइन्ट और हैं ।

इसी प्रकार औद्योगिक विकास के बारे में भी दो शब्द....

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो चुका है । मैं समझता हूं कि आपने एक मिनिट ज्यादा ले लिया है ।

श्री गिरधारीलाल : मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दो मिनिट का मुझे और समय दिया जाय । मैं एक ऐसी चीज़ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसकी ओर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिलाया है ।

जहां तक औद्योगिक विकास का प्रश्न है, उस उद्योग के लिए हमारी राज्य सरकार किस तरह से उदासीन है । एक तरफ वह आंकड़े पेश करती है कि यह औद्योगिक विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर आपका कपड़ा उद्योग है वह काफी संकट में है । आपने देखा होगा कि भीलवाड़े की मिल बन्द पड़ी है । विजयनगर, पाली और किशनगढ़ की मिलें इस प्रकार से बन्द पड़ी हैं । उनमें सरकार का पैसा लगा हुआ है । उनमें सरकार के शेयर्स हैं । वे आज बन्द हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री गिरधारीलाल)

इस प्रकार से उद्योग के बारे में आज हमारी सरकार की उदासीन वृत्ति है ...

श्री सभापति : The Hon'ble Member will please resume his seat

श्री मदनसिंह : (दांता रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप फर्मा चुके हैं कि आज एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर केवल ५ ही मिनिट में अपने विचार रख सकता हूँ, इसलिये यह बड़ा मुश्किल है कि ५ मिनिट में सब चीज़ें कह दी जायं। इसलिए हमारी राजस्थानी में कविता भी एक भाषा की है, जिसके द्वारा मैं सरकार को ५ मिनिट के बजाय एक मिनिट में ही अर्ज कर देना चाहता हूं कि आज लाखों करोड़ों की सम्पत्ति जनता ने जो आपके हाथों में दे रखी है, वह किस तरह से खर्च की जानी चाहिए उसके लिए एक राजस्थानी की कविता है, उससे मैं समझता हूं सारा मंत्री मंडल समझ जायगा । वह यह है। एक कविता मैं कहता हूं :

"नदी नीर अरु मूर्ख धन, हर कोई हर लेत,
बलिहारी नृप कूप की गुण बिनु बूंद न देत।

कविता का अर्थ यह है कि नदी का पानी कोई भी पी लेता है, और मूर्ख के पास धन होता है तो कोई भी चाट कर खा जाता है, लेकिन एक कूप ही है जो कि अक्लमन्द को और अच्छी तरह से रुपया खर्च करने वाले को अच्छे ढंग से पानी को बरतता है उसको इजाजत देता है, और जो मेहनत से पानी निकाल सकता है उसको। इसी तरह मैं समझता हूं कि सदन विचार करे कि यह जो जनता का धन है वह किन के हाथों में है? नदी या दूसरे दूसरे जो मैंने नाम लिये हैं उनके हाथों में है या कुए के हाथ में है । मैं यह शिक्षा देता हूं सरकार को कि कम से कम पब्लिक का धन खर्च करते समय....

श्री सभापति : आप कुए में डालना चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह : इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम जहां धन का खर्च होता है, चूंकि वह जनता का धन है, इसलिये आपको कूप की तरह से बहुत गहरे ढंग से विचार करके धन को खर्च करना चाहिये ।

मेरे पास अभी एक केस आया है, कि महाराजा कालेज बोर्डिंग के अन्दर एक एनुअल फन्क्शन हुआ था। उसके ऊपर यह तय हुआ था कि साढ़े चार रुपये हर एक स्टूडेन्ट पर रख कर फन्क्शन किया जाय। उसके बजाय ८,८ रुपये लिये गये और वह भी इसलिये कि जिस तरह नूरजहां ने कबूतर उड़ाये थे, तो वहां भी २३, २३ के फन्क्शन के अन्दर कबूतर उड़ाये गये थे। यह बताता है कि किधर धन जा रहा है। ज्यादा नहीं कह कर यहीं कविता काफी हैं, इस सरकार के लिए। आज तक जो धन खर्च किया है जैसा कि पहले कविता की है उसके मुआफिक धन खर्च हुआ है उससे न मुझे संतोष आयेगा ठीक ढंग से खर्च करने का, और न जनता को। आपका राज्य है । सरकार की मर्जी होगी जैसा कुछ करेगी। माननीय सदस्य बोलें तो बोलें। पास होगा वही, क्योंकि आपकी मेजोरिटी बनेगी। हम तो अपने एक कर्तव्य

(श्री मदनसिंह)

के नाते आपसे कहते हैं। चाहे तो सोचें चाहे न सोचे सरकार की मर्जी है। मगर इतना जरूर है कि जनता को संतोष नहीं है, आज तक जितना खर्चा हुआ है उससे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, आज भी सारे कोर्ट्स में सिविल केसेज बहुत कम हो चुके हैं, उस समय में हमारा फर्ज हो जाता है, कि हम जुडीशियरी और जो एक्जीक्यूटिव है साइड है, उसका सेपरेशन कर देना चाहिये, और ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने दो दिन पहले कट मोशन्स बहुत मूव किए हैं, और इस संबंध में काफी बहस हो चुकी है। कई माननीय सदस्य जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग अलग करने के बारे में बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह मेरे नोटिस में नहीं था। गलती से अर्ज कर दिया। आजकल अस्पतालों के अन्दर जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। अस्पतालों में २५०) रुपए से कम पाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका मुफ्त इलाज करते हैं। उनको औषधियों के लिये पैसा मिलता है, कीमत भी मिलती है जो बाजार से खरीदते हैं उसके लिये, लेकिन जनता में और भी लोग रहते हैं जिनकी आमदनी २५०) रुपए से कम है उसके लिये सरकार का क्या उत्तर है ? यह विषमता क्यों है ? एक तरफ राजस्थान के नागरिकों की हालत गई गुजरी है। जो २५०) रुपए से कम प्राप्त करते हैं उनके लिए सरकार का क्या उत्तर है ? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मामूली से मामूली औषधियों और दवाइयों को उनको बाज़ार से लाना पड़ता है। दूसरी और अपने कर्मचारियों को जो २५०) रुपए से कम पाते हैं, मेरा एतराज नहीं है, मैं चाहता हूं कि उनको जरूरत की चीजें मिले, लेकिन जो गरीब और भी समाज में है जिनकी आमदनी कम है उनको भी दवा मुफ्त में मिलनी चाहिये। यही नहीं औषधियों के लिये, छोटी से छोटी दवाइयों के लिये बाहर जाना पड़ता है, और खरीदना पड़ता है। इस तरह के अस्पताल जो अस्पताल सेवा के केन्द्र होने चाहिए वहां मरीजों के साथ यह हालत है कि मरीजों को एक छोटी सी दवा के लिये बाहर जाना पड़ता है तब चिकित्सा होती है।

दूसरी बात उद्घाटन की है। आज से एक दफा पहले भी मैंने कहा था कि उद्घाटन को कम कर देना चाहिए, तो कम से कम २, ४, ५ लाख की बचत होगी। उद्घाटन के अन्दर क्या होता है, कि कई ऑफिसर्स लोग, सारे आस पास के ऑफिसर लोग हैं उद्घाटन में चले आते हैं। कोर्टों में काम नहीं होता है, और कोर्टों में यह होता है वहां की पेशियां जो होती हैं वे बदल दी जाती हैं। इससे बड़ा नुकसान होता है। तो मैं यह अपील करूंगा कि या तो उद्घाटन रविवार (सन्डे) को किये जांय या ऐसे टाइम पर किये जांय ताकि ऑफिसर अपने कोर्ट छोड़ कर नहीं आवें और समय की पाबन्दी रखें।

तीसरी बात मेरे दिमाग में यह थी कि जितने मुकदमें आजकल होते हैं उनमें से ८० प्रतिशत किसानों के होते हैं और सारे रेवेन्यू केसेज होते हैं, और इनको तय करने में

(श्री मूलचन्द डागा)

अधिक समय लगता है बनिस्बत क्रिमिनल केसेज को तय करने के क्योंकि उनके लिये गवर्नमेंट से समय निर्धारित किया है। लेकिन रेवेन्यू केसेज १६५४ के भी आज तक पेन्डिंग हैं और इससे भी पुराने हैं क्योंकि रेवेन्यू केसेज को तय करने में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत शान्ति से और धीरे से काम होता है। कारण यह है कि एस. डी. ओज की मल्टी-फेरियस ड्यूटीज होती है। पहले वे क्रिमिनल की ओर ध्यान देते हैं, और फिर दूसरे काम करते हैं इससे काश्तकारों को लोस होता है इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि रेवेन्यू केसेज की ओर भी ध्यान दिया जाय, जितने केसेज़ हैं उनके लिये ज्यादा ध्यान दिया जाय ताकि मुकदमों का फैसला हो सके नहीं तो काश्तकारों को बहुत नुकसान होगा।

चौथी बात "यह है कि आपका क्लेक्टोरेट का इन्स्पेक्शन किस तरह का होता है, मिनिस्टर्स की विजिट सरप्राइज विजिट होनी होनी चाहिए और उनको वहां जाकर देखना चाहिये कि सारे कर्मचारी किस तरह से काम करते हैं, उनका क्या काम है, ऑर्डरशीट क्या है, कैसा वर्क उन्होंने किया है। कहीं क्लेक्टर्स को केस वर्क से अलग कर दिया है इसकी वजह से जो जरूरी ला दी है उससे भी वे अनभिज्ञ रहते हैं और कई ऐसे ओर्डर्स पास कर देते हैं जो शर्म की बात हो जाती है। बड़े बड़े क्लेक्टर्स भी ठीक ओर्डर पास नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरप्राइज़ विजिट होनी चाहिये और हर एक के पास केस वर्क होना चाहिए। मैं ५ मिनिट में जितनी बातें कह सकता था उतनी मैंने कह दीं।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : सभापति महोदय, आज जब एप्रोप्रियेशन बिल इस सदन में प्रस्तुत हुआ है तो उस सम्बन्ध में एक दो बातों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना अत्यन्त आवश्यक है। वैसे समय बहुत कम है इसलिये मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड (एन्टी करेपशन बोर्ड) के सम्बन्ध में उसके गठन के विषय में जो सरकार की नीति है, उस पर दो शब्द निवेदन करूंगा। सभापति महोदय जो····

एक माननीय सदस्य : Anti Corruptton Board...

श्री सभापति : Yes, you carry on please.

श्री रामेश्वरदयाल : Policy of the Government in framing the Anti Corruption Board. एन्टीकरेप्शन बोर्ड का जो मौजूदा स्वरूप है उसके बारे में यदि यह कहा जाय कि यह एक प्रकार से सरकारी बोर्ड है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके जो सदस्य हैं वे सरकार के पक्ष के हैं और इससे आज आम जनता को इसके अन्दर कोई विश्वास और कोई आस्था पैदा नहीं हो सकती आज हमारे प्रान्त में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। भ्रष्टाचार करने के साथ भ्रष्टाचार करने के नये नये तरीकों का भी आविष्कार हुआ है और भ्रष्टाचार करने के जो तरीके हैं वे ये हैं कि रिश्वत दी जाती है, दिल्ली में, बम्बई में और दूसरी जगहों पर, तो आज जब इस प्रकार के बोर्ड का गठन किया जाता है जिसके हाथ में भ्रष्टाचार को खत्म करने की पूरी ताकत होती है

(श्री रामेश्वरदयाल)

तो प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार का बोर्ड भ्रष्टाचार को हमारे प्रान्त से खत्म कर सकता है या नहीं ? जो गजेटेड ओफिसर्स के भ्रष्टाचार के मामले आते हैं उनमें बिना बोर्ड की स्वीकृति के उनका चलाना नहीं हो सकता, यह बोर्ड इनको स्क्रूटेनाइज करता है जिस प्रकार की व्यवस्था है हमारे मन्त्रीगण जिस वातावरण में रहते हैं उसको देखते हुए यह स्वाभाविक बात है, इसमें दो मत नहीं हो सकते कि वे अपने अधिकारियों की जो रात दिन उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनसाथ सफर करते हैं उनके मामले में कुछ रियायत करने की कोशिश करते हैं, यह स्वाभाविक बात है। इसलिये यह आवश्यक बात है कि इसका गठन इस प्रकार होना चाहिये कि बोर्ड के ऊपर सरकार के पक्ष का कोई प्रभाव न पड़े। बोर्ड निष्पक्ष होना चाहिये···

श्री मदनसिंह : विरोधियों को दे दो।

श्री रामेश्वरदयाल (जारी) : बोर्ड स्वतन्त्र होना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस बोर्ड के अधिकतर, लगभग ९५ प्रतिशत मेम्बर्स गैर सरकारी होने चाहिये और उसमें इस सदन के सदस्य भी होने चाहिये ज्यादातर और उसका चेयरमैन हो वह हाई कोर्ट के जज से कम स्टेटस का आदमी नहीं होना चाहिये। हमने एन्टीकरेप्शन का ढांचा कायम किया है, उसमें बहुत कुछ प्रेरणा बम्बई से ली है लेकिन बम्बई में जो व्यवस्था है उसको पूर्णरूपेण यहां नहीं अपनाया है। बम्बई में एन्टीकरेप्शन बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वह सरकारी प्रतिनिधि नहीं होता, स्वतन्त्र होता है। आज यदि हमारे यहां भी इस प्रकार की व्यवस्था करें तो मुझे विश्वास है कि आज जो यहां पर आम लोगों की शिकायत है, सदन के माननीय सदस्यों की शिकायत है, कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो भ्रष्टाचर को रोकने में राज्य सरकार बहुत बड़ा कदम उठावेगी और भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म शायद नहीं हो पावे, लेकिन करप्शन को मिनिमाइज कर सकेंगे। इसके लिये मेरा यह सुझाव है।

श्री सभापति : समय समाप्त हो चुका है, कई सदस्य बोलने हैं, आप अपने डिबेट को यहीं खत्म कर दीजिये।

श्री रामेश्वरदयाल : मैं २ मिनिट और लूंगा।

श्री सभापति : एक मिनिट और बोल लीजिये।

श्री रामेश्वरदयाल : दूसरा मेरा सुझाव है कि विकेन्द्रीकरण के बारे में यह जो सिद्धान्त मानलिया गया है कि विकेन्द्रीकरण किया जायगा, लेकिन आज भी हमारे प्रान्त केन्द्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है और बहुतसी बातों में विभागीय अध्यक्ष हैं उनको पूरे अधिकार नहीं हैं, मसलन छपाई के लिये यदि कोई जिला स्तर पर कोई अधिकारी छपाना चाहता है तो वह लोकल प्रेसेज़ में नहीं छपा सकता है, उनको आना पड़ता है गवर्नमेन्ट प्रेस में और गवर्नमेन्ट प्रेस में आने में जो छपाई २० रु० की होती है उसका अधिक ५० रु० का बिल भत्ता और यात्रा का बन जाता है। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

Page No.90

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : सभापति महोदय, समय की कमी के कारण में दो मुद्दों पर वित्त मंत्रीजी से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, कि जो चीजें अर्ज करूं उनके बारे मे अव्वल तौर से सोचें कि वास्तव में वे चीजें हैं क्या। बड़े अफसोस की बात है कि सन् ५४ में ठिकाना खेतड़ी के टीचर्स को राजस्थान सरकार में लेने की बात चीत हुई तब से उनको लिया गया, लेकिन उनको जो बी.ए. बी.टी. हैं उनको ३६ ३७ रु० तनख्वाह के मिलते है और उनको राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने में भेजा जाता है। मंत्रीजी ने कई आदर्श की बातें विनियोग बिल में कहीं, अनाज की बातें कहीं, शराब के लिये पैसे लिये जांय लेकिन मैं तो महसूस करूंगा कि इस प्रकार की बात जो सदन में कई बार प्रश्न के रुप में मुख्य मंत्रीजी के सामने रखी गई, तहसील कोटपूतली में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आये, शिक्षा मंत्रीजी आये, उनको इन टीचर्स के बारे में निवेदन किया गया, जिनके बच्चे भूखे हैं उनको पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, जिनको ३६ ३७ रु० तनख्वा मिलती है उनके बारे में आप क्या सोच रहे है। उन्होंने अर्ज किया, तो आश्वासन देकर चले आये, लेकिन आज तक कोई चीज नहीं की जाती। मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा, उसके जवाब में कहा गया कि ए० जी० आफिस में कागज हैं। मैंने ए० जी० आफिस में बातचीत की, उनसे लिख कर पूछा तो जवाब मिला कि ए० जी० आफिस में इस प्रकार का कोई कागज नहीं है, एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में हैं। मैंने एजूकेशन डिपार्टमेंट को लिखा, तो एजूकेशन डिपार्टमेंट के डाइरेक्टर के पास से इत्तला आई है कि ए० जी० ऑफिस में कागज हैं। मैंने ए० जी० ऑफिस के बारे में प्रश्न पूछा कि ए० जी० ऑफिस से कागज निकले हैं, या नहीं, इस बारे में, शिक्षा मंत्री जी तो थे नहीं उनकी एवज रेवेन्यू मंत्री जी ने जवाब दिया और कहा गया कि वे कागज शिक्षा विभाग में हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय वित्त मंत्री जी आदर्श की बात को लेकर बात करते हैं कि टीचर्स, जो छोटे लोग हैं, उनके लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। मैं तो यह चीज़ सोचता हूँ कि किसी जमाने में महात्मा गांधी ने तीन बन्दरों की तरफ इशारा करके कहा था कि, जिसके कान में अंगुली है, वह कहता है, बुरी बात न सुनो, दूसरे बन्दर की आंख पर उसका हाथ है, वह कहता है, बुरी बात मत देखो और तीसरे बन्दर के मुंह पर उसका हाथ है, वह कहता है, बुरी बात मत कहो। गवर्नमेंट जिस प्रकार कर रही है, वह टीचर्स के लिए अन्याय की चीज है। इन टीचर्स की कोई सुनाई नहीं है। उन लोगों ने टेलीग्राम दिया कि उनकी सीनियोरिटी में फर्क पड़ता है, उनको पर्मानेन्ट करना जरूरी है, कई लोग उनसे सीनियर हो गये हैं, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं होती। इस प्रकार के अधिकारी जो सरकार में हैं, उन टीचर्स के लिए आप कुछ कह सकते हैं। मैं चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी कोई आदर्श रखें। कोटपुतली में जो टीचर्स हैं, उनके साथ अन्याय होता है। इस बारे में सदन में मैं प्रार्थना कर चुका हूं। कोटपुतली के ठिकाना खेतड़ी में जो टीचर्स हैं, उनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ठिकाने के जो टीचर्स कोटपुतली में मौजूद हैं, उनकी स्थिति में फर्क नहीं हुआ है और बाद में लिये हुए टीचर्स हैं, उनक हालत में फर्क हो गया है। तो एक ठिकाने के टीचर्स में, और दूसरी

(श्री रामकरणसिंह)

तहसील के टीचर में फर्क हो जाना और कोटपुतली के टीचर्स को वैसे ही रख देना कहां तक न्याय है।

दूसरा बात यह है कि कोटपुतली सब डिविज़न में डावला रेल्वे स्टेशन हैं. जिसके लिए अर्ज किया जा चुका है, कि कोटपुतली और डावला के बीच में जो टुकड़ा है, जिसके लिए मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से भी अर्ज किया था, जब माननीय वित्त मंत्री जी दिल्ली से लौट रहे थे, मैंने जयपुर तक आने की प्रार्थना की थी। उन्होंने साइडिंग रखने को बात कही थी। कम्पलीट साइडिंग का काम चालू किया जाय और टुकड़ा बना कर दिया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े जोश के साथ सदन में अर्ज किया, उसका जवाब मिलता है कि दूसरी योजना में नहीं। इस प्रकार से जवाब मिल जाना उचित नहीं। इसीलिए मैंने जो दो चीजें थोड़े टाइम में अर्ज की, उन पर विचार हो और इनके लिए पूरा संतोष दिलाया जाय।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग मु.) : सभापति महोदय, चूंकि समय केवल पांच मिनट का दिया गया है इसलिए केवल मैं अपने भाषण में एक विषय के लिए ही कहूंगा और वह विषय यह है कि राजस्थान की बेकवर्ड क्लासेज के वास्ते शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के लिए राजस्थान सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने विशेष रूप से इस वर्ष ३० लाख से अधिक रुपया खर्च करने का निश्चय किया है। इस रुपये का, जैसा कि अब तक देखा गया है, इसका जितना उपयोग इस बेकवर्ड क्लास के लिए होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, वह नहीं हो रहा है। इसकी प्रत्यक्ष मिसाल यह है कि समय समय पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि बेकवर्ड क्लासेज में से कितने तहसीलदार बनाये गये, कितने एस० पी० बनाये गये, या कितने डिप्टी एस० पी० बनाये गये, कितने सेक्रेटेरियट में डिप्टी सेक्रेटरी की जगह काम कर रहे हैं तो जवाब मिलता है, जो एक दो से ज्यादा नहीं हैं। इसके मायने यह है कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी शिक्षा जिस दर्जे की होनी चाहिए, सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही है। सभापति महोदय, इसके लिए मैं केवल दो सुझाव रखूंगा एक सुझाव है कि प्राइमरी एज्यूकेशन में हमारी शिक्षा को अधिक से अधिक बल देने के वास्ते मैं यह कहूंगा कि प्रत्येक ज़िले में डिप्रेस्ड क्लासेज के बच्चों को सहायता के रूप में पुस्तकों के वास्ते एक निश्चित रकम हर ज़िले में इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स या कलेक्टर के पास रखी जाय, ताकि सत्र के शुरू में वे इनके लड़के अथवा लड़कियों को पाठशालाओं में भर्ती करा कर उन्हें पुस्तकें उस धन से खरीद कर दे दिया करें। इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा दूसरा सुझाव यह है कि प्राइमरी एज्यूकेशन के बच्चों की संख्या अधिक बढ़ाने के वास्ते मैं नम्र निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार राजस्थान के प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापकों को आदेश के रूप में या हमारी ओर से नम्र निवेदन के रूप में कह दें, कि जो अध्यापक अधिक से अधिक हरिजनों के बच्चों को भर्ती करायेगा, या जो अध्यापक अधिक से अधिक हरिजन बच्चों को पास करायेगा, सरकार उसकी सर्विस बुक में अच्छा रिमार्क देगी। या इस कार्य के लिए कुछ इनाम मुकर्रर

(श्री रामचन्द्र)

किया जाना चाहिए ताकि तमाम अध्यापक गण विशेष रूप से हरिजनों की शिक्षा की ओर ध्यान दे । यह सुझाव मेरा केवल प्राइमरी स्कूल्स के लिए है । हायर सेकन्डरी एजूकेशन या इससे आगे की एजूकेशन और टेकनीकल एजूकेशन के लिये यह हम देखते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो, शिक्षा प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं रखी है अब हमारे बालक और बालिकाएँ, जो स्कूल में दाखिला लेते हैं, उनको दाखिला लेने में कोई रुकावट नहीं है । इसलिए अब हमारे लिए अलग स्कूल खोलने की कोई जरूरत नहीं है । अब हमें यह चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो खर्चा हमारे लिये विशेष रूप से इस बात में खर्च किया जाय, कि सवर्णों के बच्चों और हमारे बच्चों के मुकाबले मेंटल विकास में जितनी २ कमी है अर्थात हम लोगों के बच्चें उनके मुकाबले में कमजोर होते हैं तो इस कमजोरी को दूर, करने के वास्ते प्रत्येक स्कूल, कॉलेजेज़, और टेकनीकल संस्थाओं के अध्यापको, और लेक्चरारों को रेम्यूनरेशन के तौर पर, कुछ धन देकर हमारी शिक्षा को अन्य नागरिकों कि शिक्षा के स्तर पर लाने के लिए, प्रयत्न किया जावे । मेडिकल कॉलेज हैं, और इन्जीनिरिंग कॉलेज हैं, इन में पढ़ने वाले हरिजन समाज के, विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले में कमजोर होते हैं लेक्चरारों की जिम्मेदारी यह रहे, कि वे हमारे बच्चों की शिक्षा की देख रेख इन कॉलेजों में करते रहें और उनमें जो कमी पावें उसको दूर करने के लिए प्राइवेट रूप से विशेष ध्यान देवें

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसका मतलब यह कि हमारे में जो कमी है, अन्य विद्यार्थियों को मुकाबले में जो कमी है वह कमी इस तरह से दूर हो जायगी और इस प्रकार हमारे नाम से जो रुपया विशेष रूप से खर्च किया जा रहा है, उसका सदुपयोग होगा। पिछले सात आठ वर्षों से हमारे विकास केलिए समाज कल्याण विभाग खोला गया है और इस विभाग के द्वारा करोड़ों रुपया खर्च होगयाहै और भविष्य में और अधिक धन खर्च किये जाने की पूरी सम्भावना है । लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा के लिए जो धनखर्च किया जाय, उसका सदुपयोग हो, वह वेस्ट नहीं होना चाहिए । अब तक तो मैं यह कहूंगा कि इस रुपये का सदुपयोग नहीं हुआ है, उसका विशेष भाग वेस्ट ही हुआ है ।

अब में एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि हरिजन समाज, या डिप्रेस्ड क्लासेज़ अथवा बेकर्वड क्लासेज़ के विद्यार्थियों को जो वजीफा दिया जाता रहा है, उसका ढंग बहुत गलत है यह वज़ीफा बच्चों को साल के आखिर में मिलता है । यह वज़ीफा बच्चों के काम तो नहीं आता है, यह उनकी चिकित्सा, उनके डवेलपमेंट के वास्ते या कपड़ों के वास्ते, या सफाई से रहने के वास्ते तो काम में नहीं आता है, बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि यह धन बच्चों के मां बाप के प्राइवेट खर्च में, उनके कर्ज चुकाने के काम में आता है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा निवेदन यह है कि हरिजन समाज अथवा

(श्री रामचन्द्र)

बेकवर्ड क्लासेज़ के विकास के लिये जो रुपया खर्चा किया जा रहा है, उसका उपयोग हमको ठीक प्रकार से मिलना चाहिए ।

श्री सभापति : श्री हीराजी ।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जो राजस्थान विनियोग विधेयक पेश हुआ है, जहां तक मैं समझता हूं आज हमारी सरकार का जो रवैया चल रहा है, उसकी तरफ देखते हुए तो इस पर वादविवाद करने की आवश्यता नहीं है, और न उसमें समय नष्ट करने की जरूरत है । इसका कारण यह है कि हमारा बजट जो बनता है, वह ऊपर से बनता है । जिस काम के लिए जो पैसा रखा जाता है, वह उसी तरह खर्च होगा । । इस के साथ ही अगर भ्रष्टाचार को पकड़ेंगे तो उसको सज़ा नहीं दी जाय और कुछ नहीं होने वाला है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर आज यह रवैया कैसा है, बजट में गरीबों के लिये कोई प्रोविज़न नहीं है, इसमें तो ऊंची से ऊंची पगार पाने वालों के लिये, और धन कमाने की योजना है, जगह जगह समितियां कायम की जायं, और इस तरह हमारे अधिकारी कर्मचारी भत्ता कमायेंगे । बजट में जनता की भलाई के लिये कोई बात नहीं है, कर्मचारियों के लिये यह बजट है । अगर यह गरीबों के लिये और सारी जनता के लिये होता तो मैं समझता कि छोटी छोटी चपरासी लोग जो बड़े बड़े पदाधिकारियों के, कलेक्टरों के और उनकी बीवियों के कपड़े धोने वाले हैं, उनकी पगार बढ़ाई जाती । विलायत और अमेरिका की सभ्यता हमारे यहां चल रही है । सारी कार्यवाही की बागडोर गवर्नमेंट ने कलेक्टर और एस.डी.ओ. के हाथ में दे रखी है । कई समितियों के अध्यक्ष कलेक्टर को बनाते हैं और कई विकासखण्डों की समितियां हैं उनके अध्यक्ष हैं तहसीलदार और एस.डी.ओ. उन्हीं की मर्जी के माफिक उन समितियों में काम होता है । जहां तक कांग्रेस सरकार का राज्य रहेगा, तो हम पातशाह के हाथ में राज्य की बागडोर मानते हैं, नही तो गरीबों के लिये बजट में कुछ न कुछ तो प्रोविजन रखना था, इनके लिये बजट में प्रोविजन रख कर इनको खुश कर सकते थे पर इनके लिये नहीं रखा । जो बजट में रखा है वह जहां मिनिस्टर महोदय के रिश्तेदार ज्यादा होंगे, वहां खर्चा ज्यादा होगा, जहां कर्मचारियों के रिश्तेदार होंगे, वहां खर्चा ज्यादा होगा । मैं ज्यादा इस विवाद में पड़ना चाहता नहीं पर मौका आता है तो कहना पड़ता है । सहकारी समितियों के लिये तो हमारी सरकार ने एक गीत बना लिया है गाना बना लिया है और हर बात में सहकारी समितियों का गाना गा रही है, बड़ी मुश्किल से यह नारा हाथ में आया है और दुनियां में फैला दिया । तो नीचे वालों को व्यवस्था करने का अधिकार दिया जाय ताके वे अपना इन्तजाम खुद कर सकते हैं ।

३.५१. म०प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

कांग्रेस और उनके साथी आज बास्ता बने हुए हैं....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है तो मैं

(श्री हीरा भाई)

कहना भी नहीं चाहता ।

(श्री किशनलाल शर्मा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय जब उत्तर देंगे तो ५ बजे तक देंगे, तो उनके उत्तर देने का समय ४ के स्थान पर साढ़े चार तक रख दें, ताकि दो तीन सदस्य जो बोलना चाहते हैं वे बोल लें ।

श्री उपाध्यक्ष : I will just consider over it.

डॉ० चन्द्रकला : साढ़े पांच बजे यहां एट होम है तो ज्यादा बैठ जायेंगे ।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं दो तीन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज सदन के सामने एप्रोप्रियेशन बिल है । हमारे उदयपुर जिले में अभी अभी शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शालाओं के प्लान की नीति निर्धारित की है, उस ओर शिक्षा विभाग का ध्यान खींचना चाहता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय,उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने ही ऐसे पहाड़ी हिस्से हैं जहां कि ५०० की आबादी का कोई गांव नहीं मिल सकता । आज हमारे यहां प्राथमिक पाठशालाएं खोलने के लिए ५०० की आबादी होना अनिवार्य रखा गया है । उपाध्यक्ष महोदय, जहां भीलों की आबादी है, अलग अलग झोंपड़ियां बना कर लोग रहते हैं, वहां पर इस तरह का नियम लागू करना उचित नहीं होगा । आज हर जगह राजस्थान सरकार इस ओर प्रयत्न कर रही है कि गांवों का विकास हो, उन्नति हो, इसमें कोई शक नहीं कि आज की शिक्षा के मद में राजस्थान सरकार काफी रुपया खर्च कर रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है,इसके लिये शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये । पर उपाध्यक्ष महोदय आज की जो स्थिति हमारी तरफ है वह इस तरह की है कि कई हाई स्कूल हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं, जब विद्यार्थि हाई स्कूल परीक्षा पास करता है और कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो उसको भटकना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कहीं एडमिशन मिलता है । वहां की जनता की यह हालत नहीं है कि उदयपुर छोड़ कर कहीं दूसरी जगह जाकर शिक्षा प्राप्त करे । हमारा इलाका बहुत गरीब इलाका है, इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हाई स्कूल पास विद्यार्थियों की समस्या है, इसके लिये एक कॉलेज या डिग्री कॉलेज खोलें और इसके लिये राज समन्द या नाथ द्वारा उपयुक्त स्थान हो सकता है . . . .

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम): Why not Bhim ?

श्री उपाध्यक्ष : भीम भी हो सकता है ।

श्री किशनलाल शर्मा : मैं जो दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि आज राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण कार्य काफी तेजी से बढ़ रहा है, पर राजस्थान के काफी ऐतिहासिक स्थान हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं गया है । मैं उदाहरण के तौर पर

Page No.95

(श्री किशनलाल शर्मा)

निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में हल्दी घाटी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बाहर के, विदेशों के लोग हिन्दुस्तान में आते हैं, तो हल्दीघाटी देखने के लिये जरूर जाते हैं। वहां पर सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं वित्त मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इसका प्रबन्ध करें। हजारों आदमी महाराणा प्रताप की रणभूमि देखने आते हैं, वहां सड़कों का निर्माण करें ताकि लोगों को सहूलियत हो और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग वहां देखने के लिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष : पहले भी पहाड़ को सड़क से काट दिया, फिर सड़क बना देंगे तो हल्दी घाटी का सारा महत्व ही खत्म हो जायगा।

(हंसी)

श्री किशनलाल शर्मा : तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर काम करने की भावना पैदा हुई है, इसको राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान ही नहीं, बाहर से आने वाले यात्रियों ने भी एप्रीशियेट किया है। आज हमारे ग्रामीण भाई विकास योजनाओं में तन, मन, और धन से सहयोग देते हैं। मैं अपनी तहसील का उदाहरण पेश करूं कि नाथद्वारा से १३ माइल दूर बागगुड़ा गांव है वहां पहाड़ी इलाका है, वहां पर गांव के लोगों ने सड़क बनाई है, पहले केवल पगडंडी का रास्ता था, ऊंट घोड़े तक बड़ी मुश्किल से आते जाते थे, आज विकास का युग आया और लोगों ने मेहनत करके सड़क का निर्माण किया। पर आज वह बिना मरम्मत के पड़ी है, उसकी ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ध्यान नहीं दिया है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

क्योंकि समय हो गया है, अतः मैं ज्यादा न कह कर माननीय उपाध्यक्ष आपके जरिये एक बात सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जनता ने परिश्रम से उस सड़क का निर्माण किया है, उसकी ओर वे ध्यान दें और उसकी मरम्मत करायें, नहीं तो वह सड़क बिल्कुल टूट जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल, माननीय वित्त मंत्री ने आज पेश किया है। बजट सदन के सामने दो मार्च को पेश किया गया था और आज अंतिम रूप से हम १३६ करोड़ ८ लाख १२ हज़ार की धनराशि उनके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर यह कहूँगा कि जिस प्रकार एक पुत्र वधू को विवाह के बाद विदा करते हैं या उस पुत्री को सीख दी जाती है उसी प्रकार से माननीय वित्त मंत्री को १ अरब ३६ करोड़ रुपए की राशि हम उनके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। मगर साथ साथ हमें यह भी डर है कि कहीं कमजोर की भाभी और जगत की बीबी न हो जाये।

Page No.96

श्री नाथूराम मिर्धा : १ अरब ३६ करोड़ की राशि नहीं दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टोटल एप्रोप्रिएशन बिल में इतनी धन राशि है। प्रश्न यह है कि जो फाइनेन्स मंत्री अपनी सभी बातों के लिए फाइनेन्स सेक्रेट्री पर ही निर्भर करता है, यह हो सकता है कि फाइनेन्स सेक्रेट्री बहुत योग्य हों, मगर प्रश्न यह होता है कि जो व्यक्ति अपने हिस्से के कर्त्तव्यों का प्रतिपालन किसी दूसरे से कराये तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से जरूर कहूँगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें बताई उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि भूमि वितरण में अनियमितता के कारण लाखों रुपयों का नुकसान किया जा रहा है। इस सिल सिले में मैं आपका ध्यान जयपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं। जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो चौराहे पर सभी ने अशोक होटल देखा होगा। एक तो अशोक होटल दिल्ली में है जिसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा की जाती है। उसके लिये मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह आज से कई साल पहले यानि १६४१ में यह भूमि सूरजमलजी बंबई वाले को बेची गई थी। उस डीड में यह शर्त थी कि यहां पर रेज़िडेन्शियल पर्पज़ के लिये मकान नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई १६४१ का उनका सेल डीड देखना चाहे, तो उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है कोई भी देख सकता है। उन्होंने बहुत सी बार यहां पर रेज़िडेन्शल मकान बनाने के लिये कोशिश की मगर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और नगरपालिका ने वहां पर नहीं बनाने दिया। अगर राजस्थान की सरकार इसके बारे में छान बीन करेगी तो उसको मालूम होगा। मगर उन्होंने दूसरे मैथड्स अडॉप्ट किये और कन्सट्रक्शन शुरू कर दिया। उसके लिए चालान कोर्ट में पेश किया गया, तो यह कहा गया कि यह मु० नारायणी ने बनवाया और मु० नारायणी देवी मर गई है। इस तरह से कन्स्ट्रक्शन का चालान खत्म हो गया। मगर कुछ समय बाद फिर वही नारायणी देवी जिन्दा हो गई और फिर आ गई। यह जमीन उनको ६॥ हजार रुपयों में दी गई थी। मगर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जमीन जहां अशोक होटल चल रहा है वह जमीन १०० रुपये गज से कम कीमत की नहीं है। यानि ८॥ लाख रुपए की वह जमीन है जिसको सरकार से ६ हजार रुपयों में खरीद की गई। जिस समय रेकार्ड पर चालान पेश किया जाता है तो यह कहा जाता है कि मुसम्मात नारायणी देवी मर गई। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं।

मैं दूसरी मिसाल आपको यह देना चाहता हूं। दूसरी मिसाल सुमेर ऑइल मिल जो किशनगढ़ में चलती है उसकी है। १६५५–५६ में उन्होंने कहा कि हमने मिल बन्द कर दी। लेकिन हमारे यहां इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट में बराबर इस प्रकार के रिक्वीजिशन आते रहे हैं कि हमें कोयलों का परमिट चाहिये। जब १६५६ में सुमेर ऑइल मिल बन्द हो जाती है, लेकिन फिर भी इस मिल के नाम से कन्ट्रोल से १॥ साल तक कोयला लिया जाता है, और यह कोयला ब्लेक से बेचा जाता है। इन सारे कारनामों से उपाध्यक्ष, मुझे ऐसा लगता है राजस्थान में ऐसी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

घटनाएं नहीं होगी अनेक होंगी इसलिये उन सारी घटनाओं की जांच करनी होगी। हमारी समस्या केवल टैक्स लगाने से हल नहीं होगी। मैं समझता हूं कि शायद इस प्रकार कोई व्यक्ति सरकार को धोखा देते होंगे। लेकिन हमें आश्चर्य होता है जब हम राजधानी में देखते हैं कि जहां एज्युकेशन बोर्ड का महकमा था। उस भवन में हमारे यहां पुलिस के डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट रहते थे। यह गवर्नमेंट का मकान, सरकारी भवन है जो उनको एलोट नहीं किया गया था। वे वहां रहते थे, उन्होंने उस मकान के बिजली और पानी के पैसे भी नहीं दिये और भवन खाली करके चल दिए। इस तरह के लोग मकानों में रह जाते हैं। और बिजली और पानी के पैसे भी नहीं देते किराया तो दूर रहा। यह हालत है हमारे जी. ए. डी. विभाग और इलेक्ट्रिकल बोर्ड की। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जहां इस प्रकार की हालत है वहां पर क्या दशा होगी। मैं समझता था कि राजस्थान में इस प्रकार के विभाग हो सकते हैं जो सब से ऊपर होंगे। जहां व्यक्ति का जीवन बनता है और जहां व्यक्ति का व्यक्तित्व बन सकता है वह हमारा शिक्षा का महकमा है। मैंने बजट के समय इस संबंध में विस्तृत रूप से एक्स्प्लेन किया कि युनिवर्सिटी पी. एच. डी. की डिग्री ऐसे व्यक्तियों को दे देती है जो नोन मैट्रिक होते हैं। मैं मांनीनय मुख्य मंत्री से आशा करूंगा कि वे इसकी जांच करें कि इस प्रकार किस तरह से पी. एच. डी. की डिग्री दे दी जाती है। यह क्या तमाशा है ?

-विधान सभा में यह प्रश्न खड़ा हुआ। वह क्लासेज़ चलाते हैं। राजस्थान सरकार के नाम पर कॉलेजेज के नाम से, १०, १० हजार की खरीद कर लेते हैं। जिस समय शिकायत आती है उसका कोई जवाब नहीं। लेटर की कॉपी मेरे पास मौजूद है। लड़के शिकायत करते हैं। लड़कों का फन्ड युनियन का होता है २५ हजार से डिग्री कॉलेज बना। कहां है वह रुपया। अगर उसके लिये कोई शियायत करें तो कोई सुनने वाला नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, या सारी बातें व्यक्ति के आधार पर हो सकती है। हम एक मिनिट के लिए विचार कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट के ध्यान में कोई बात लाई जाती है, तो गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिये, मगर सरकार के सामने कई प्रश्न खड़े किये जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शिक्षा विभाग में कितना घाटा है। यहां फाइनेन्स मिनिस्टर बैठे हैं। वे यह कहेंगे कि हमने ८ करोड़ की धनराशि लगा कर शिक्षा का स्तर उठाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात फाइनेन्स मिनिस्टर के ध्यान में लाना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

हमारे राजस्थान की सरकार ने कुछ रसीद बुकें छपवाई है। यदि वे रसीदें राजस्थान गवर्नमेंट की रसीदें होती हैं तो उसके बुक और रसीद नम्बर अलग अलग होते हैं। यह एक उसका स्पेशिमेन है। यह रसीद है। किसी प्रधान अध्यापक ने रसीद दी, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि रसीद जो कटती है वह रसीद बुक पर नहीं कटती, और पैसे वसूल नहीं किये जाते। रसीदें (एक रसीद बुक का नमूना दिखाते हुए कहा) इस रसीद बुक से दी जाती हैं जो प्राइवेट प्रिंटिंग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रेस में छपी हैं। किसी काम करने वाले ने छपाई हैं। इस रसीद से क्या होता है, ५० विद्यार्थियों को अगर फीस जमा करानी हैं, और २० विद्यार्थियों को माफ है तो आपको इस रसीद से पता नहीं लग सकता और कोई पकड़ नहीं सकता कि आपने किससे फीस कितनी ली है और क्यों ली। कोई भी व्यक्ति इस रसीद के जरिये पकड़ नहीं में आ सकता और कोई यह नहीं कह सकता कि कितना रुपया वसूल किया जाता है। यह रसीद बुक सभी जगह मिल सकती है. और फाइनेन्स मिनिस्टर अगर चाहे तो मैं यह किताब उनको मोल दिला सकता हूं. अगर वे चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पकड़ सकते हैं। आप अध्यापकों में जा कर देख सकते हैं। न जाने कितने पैसे हमारे बच्चे ले जाते हैं और पैसे का खर्चा एज्यूकेशन में बढ़ता है हम जानते हैं। आपको ये आंकड़े प्रस्तुत कर दूं कि ५० पर्सेन्ट विद्यार्थियों की फीस माफ है, फीस माफ होगी कहीं और, लेकिन केवल यहां राजस्थान में कहा जाता है कि फीस माफ है लेकिन यहां इन लड़कों से फीस वसूल की जातीहै। रसीदें जो काट काट कर दी जाती हैं जो रसीदें नहीं हैं, जिनमें जालसाजी है। शिकायतें करते हैं, माननीय उपाध्यक्ष, तो उसके बाद होता यह है कि मैं आपको तोपखानादेश में एक स्कूल है, उसके लिये बताऊं कि वहां तन्ख्वाह न मिलने की शिकायत की गई, तो टीचर्स का उठा उठा कर ट्रान्सफर कर दिया गया। मार्च में स्कूलों में इम्तिहान होने जा रहे हैं, उनका आज ट्रान्सफर कर दिया जाय। आई. जी. पी. को कहा गया कि ट्रान्सफर रुकवाइये, इन्क्वायरी करते नहीं लेकिन किसी का टान्सफर २० माइल दूर कर दिया, किसी का ३० माइल दूर। मास्टरनियों को धमकियां दी जाती हैं कि अगर शिकायतें करोगी तो तुम्हारा ट्रान्सर ऐसी जगह कर देंगे जहां तुम अपने पतियों से अलग रहोगी, गांवों में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। यह हालत है, उपाध्यक्ष महोदय; हुकूमत की, शासन की। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय को आगाह करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार की एक नहीं अनेक घटनायें हैं, उनके द्वारा गरीब जनता का पैसा आपके जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, इस तरह से बरबाद करते हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो आपने रसीद पेश की वह मुझे दे दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक रुपया दे दें और ले लें। मेरे पास तो बहुत मेहनत का आता है। १) देकर खरीद कर लाया हूं बाजार से।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I put it on the Table of the House and the other mateial also, and you will continue the same speed and close it please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : All right Sir.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, कि यह हाल है एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट का। एन्टीकरप्शन के आई. जी. पी. को शिकायत की गई। पांच अध्यापिकायें

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसी स्कूल में हों, दस होती तो कोई बात होती, लेकिन जहां पांच ही अध्यापिकायें पूरे स्कूल में हों, उन पांचों अध्यापिकाओं का एक साथ, एक ब्लॉक, एक ही तारीख में किसी को बीस मील दूर, किसी को ४० मील दूर फेंक दिया जाय, यह स्थिति है आज आपके इस एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट की। एज्युकेशन डाइरेक्टर को लिखा गया टेलीफोन करते हैं, वायरलेस से कहते हैं, जयपुर डिप्टी डाइरेक्टर को कहा जाता है, बीकानेर से चिट्ठी आती है ऑर्डर्स जारी हुए थे, उसी दिन वायरलेस किया, लेकिन वह कहती है कि परवाह नहीं करती।

मेडिकल कॉलेज की एक बात बताना चाहता हूं। हमारी सरकार कहती है कि एक्स्टेन्शन नहीं देते। डा० आर. के. गोयल मेडिकल कॉलेज में डाक्टर हैं पढ़ाने के लिए उनको रिटायर कर दिया, सर्विस से मुक्त कर दिया, पार्टी हो गई; तस्वीरें खिंच गई कि बस जाने वाले हैं त्रिवेन्द्रम। लेकिन सरकारी उच्चाधिकारी की लड़की जो कि मेडिकल कॉलेज में है उसका सम्बन्ध उनके लड़के से हो गया, उसने कहा कि मैं ट्रान्स्फर को रुकवा दूंगी। राजस्थान सरकार चाहती थी कि वे रिटायर हों, लेकिन फिर रिइन्स्टेट के कागज़ात चले। जो लड़कों को जूतों से मारता है, पीटता है, पैसा नहीं दिया तो बीस में से १६ लड़कों को फेल कर दिया। ये सीरियस बातें हैं, माननीय मंत्री जी चाहेंगे, तो मैं एवीडेन्सेज प्रोड्यूस कर सकता हूँ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में केवल एक बात कहना चाहूँगा जो रेवेन्यु से सम्बन्धित है। टौंक में चार कोठियां खरीदी सरकार ने। जिसने बेची उसमें ३५ हज़ार रुपये एरियर्स के थे। वो कोठियां ५४ हज़ार में खरीदी गई, और ५४ हजार ही उनको पेमेन्ट कर दिया गया। ३५ हज़ार उनमें जो बकाया था वह नहीं काटा गया। अगर काटती तो उस क्षेत्र में, उस कॉन्स्टिट्युएन्सी में हमारे राजस्व मंत्री का प्रभाव कैसे रहता? इस तरह राजस्थान सरकार पेमेन्ट करती जावेगी। अगर इस ओर विचार नहीं किया तो यह हुकुमत नहीं चला सकेंगे, एक दिन दिवाला निकालना होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय वित्त मंत्री महोदय को इन शब्दों के द्वारा और आगाह करना चाहूँगा कि बहुत बड़ी धन राशि आपके हाथ में है, यदि आपके हाथ कमज़ोर हों तो मैं इतना निवेदन कर दूं कि उसको सुरक्षित हाथों में सौंप दीजिए, उससे अलग हो जाइये। यह एप्रोप्रियेशन बिल कहीं मिसएप्रोप्रियेशन बिल न बन जाय। इन शब्दों के साथ कि वित्त मंत्री महोदय इन गलतियों के प्रति सावधानी रखते हुए काम करें, मैं बैठता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes now the Hon'ble Minister please.

श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बजट के एप्रोप्रियेशन बिल के सिलसिले में जो बहस सदन के माननीय सदस्यों ने आज अब तक की उसमें से मैं बहुत से माननीय सदस्यों को गौर से सुन रहा था। यह करीब उस प्रकार सारी बहस थी जिस तरह की बजट की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बहस में जनरल डिस्कशन किया था उसी आधार पर कुछ लोगों की ओर बोलने की इच्छा रही।

श्री अर्जुनदास: I take objection to the words he has used. He can not address, 'लोगों को।'

श्री नाथूराम मिर्धा: "माननीय सदस्यों" ने कहा !

श्री उपाध्यक्ष: It was with good intention. Let the Hon' ble member be not so much sensitive.

श्री नाथूराम मिर्धा: सदन के माननीय सदस्यों ने जो बातें आज विशेष तौर से कहीं उनका ज्यादातर सम्बन्ध वित्त मंत्रीजी से है, और उनका जवाब वित्त मंत्रीजी प्रस्तुत करेंगे लेकिन मैं कुछ उन मुद्दों की तरफ जो कई विभागों से सम्बन्धित हैं, और जिनकी कुछ जानकारी माननीय सदस्यों ने दी है उनके उत्तर में दो शब्द निवेदन करना चाहूँगा। खास तौर से श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिन्होंने कि इस बात पर जोर दिया कि बजट हम आये साल पास करते हैं और सरकार साल भर में इन रुपयों को खर्च करती है, परन्तु विरोध पक्ष की तरफ से जो बातें कही जाती हैं, उन पर विशेष तौर पर सरकार ध्यान नहीं देती, सरकार विरोधी पक्ष के लोगों को ऐसा समझती है, जैसे वे राजस्थान के लोग ही नहीं हैं और उनकी बातों पर पूरा गौर नहीं किया जाता। मैं आपके जरिये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं और जो तथ्य की बातें सरकार के सामने आती हैं उन पर जरूर गौर किया जाता है, विचार किया जाता है। आपने जनलेखा समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया, आपने प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया और यह कहा कि सदन के सामने माननीय सदस्य उन रिपोर्टों के आधार पर कई सुझाव रखे हैं, मैं आपके जरिये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इन रिपोर्टों में जो बातें कमेटी लिखती है उन के ऊपर विभागीय तौर पर गौर होता है, जो सुझाव वाजिब होते हैं, उन पर अमल करने की कोशिश की जाती है, और कई प्रकार की चेन्जेज, कईयों में रद्दोबदल, हुआ है। जहां रूल्स बनाने की आवश्यकता थी वहां बनाये गये और उन पर अमल हुआ। उसके बाद प्रोसिजर में तरीके में चेन्जेज भी हुई और जिस दिन से ऐसी समितियों का निर्माण हुआ, उनकी रिपोर्टें आना शुरू हुआ सदन में, उनसे जो पहले के हालात थे उनकी और आज के हालात जो हैं उनसे तुलना करें तो कई बातों में आपको प्रगति मिलेगी।

वे यह कह सकते हैं कि हरएक विभाग के संबन्ध में जो कुछ कमिटी ने कह दिया, जो उसकी राय आगई उसी के माफिक अमल हो जाना चाहिये। मेरा आपसे निवेदन है कि समिति के सोचने के दृष्टिकोण में और सरकार के सोचने के दृष्टिकोण में फर्क हो सकता है। उनकी रिकमन्डेशन्स जो होती हैं जो वहसदन को सब्मिट करते हैं उस पर अमल करें यह जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी जब से समितियों का निर्माण हुआ है और इसकी रिपोर्टें आने लगी हैं निश्चित तौर से सुधार हुआ है, और उस रिपोर्ट का सरकार पर बराबर असर होता है और इसी तरह से फाइ-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नेन्सियल कन्ट्रोल के अन्दर भी कई प्रकार के सुधार रिपोर्टस के आने के बाद आप गौर से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कई प्रकार के परिवर्तन आये हैं। खास तौर जिन माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वे तो बराबर किसी न किसी कमिटी के सदस्य रहते आये हैं, उनको तो यह अच्छी तरह से पता होगा, कि कन्सोलिडेशन आॉफ. अकाउन्ट्स के बारे में, फाइनेन्सीयल कन्ट्रोल के बारे में, एक्सपेन्डीचर के कन्ट्रोल के बारे में सावधानियां बर्ती जाती हैं वे कहीं अच्छी हैं जो पहले बर्ती जाती थी।

खास तौर से इस बात का भी जिक्र किया गया कि केरल की सरकार से वहां का विरोधीपक्ष सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि वहां कि सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। वहां की सरकार से इस्तीफे की मांग चाहे वे करें या न करें इससे हमें कोई मतलब नहीं, जैसा वे ठीक समझें करें। आप भी सरकार से इसी तरह से मांग कर सकते हैं आपको हक है...

श्री मदनसिंह: आपको क्या दुख होता है, अगर आप हट जायं तो...

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने कहा कि किसी के कहने मात्र से कोई हटता नहीं है। कहने वाले कहते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। हटाने का भी एक तरीका है, उसी तरीके से हटा सकते हैं और नयी सरकार बन सकती है। केरल की अपनी अलग परिस्थितियां हैं। वे अपने अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं। यहां तो कांग्रेस की सरकार है और वहां दूसरी दल की सरकार है लेकिन हम सब एक ही विधान के नीचे काम कर रहे हैं। इस तरह से हम यह कोई मुकाबला नहीं करते, कि वहां जो विरोधी पक्ष वाले जो कुछ कहते हैं वे ठीक कहते हैं। हम दोनों का मुकाबला करते नहीं और अगर मुकाबला करें भी तो उसके अनुसार हम चल भी नहीं सकते। जब माननीय सदस्य का गरम भाषण चलता है, लोकल बोडीज पर जोर से धड़कते हैं खास तौर से पंचायतों को लेकर, म्युनिसिपल बोर्डस को लेकर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड को लेकर, एक एक बात को लेकर चलने लगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट की बात को लेकर माननीय सदस्य ने कहा जमीन का अलॉटमेन्ट ठीक नहीं होता, उन्होंने इस बात को सदन में सवाल के तौर पर भी रखा, जिसका जवाब दिया गया। खास तौर से उनका कहना था। यह बात ठीक है सरकार ने स्वयं ने महसूस किया है, अर्बन इम्प्रूवमेन्टस बोर्डस द्वारा, पंचायतों द्वारा जो भी जमीन का अलॉटमेन्ट होता है, उसके अन्दर काफी अनियमितता होती है, यह हम भी मानते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखकर सरकार ने यह विचार किया है कि इस संबन्ध में डेफीनेट पॉलीसी होनी चाहिये, इस दृष्टिकोण से सरकार ने अभी जो आज्ञा जारी की है, उसके अनुसार किसी प्रकार का भी अलॉटमेन्ट अभी नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि ऐसा मेथड इवोल्व किया जाय, जो ज्यादा हित में हो जिसका असर राज्य कोष पर भी पड़े वही सिस्टम हम इसमें लागू करना चाहते हैं। यह बात ठीक है कि जैसा कि इस सम्बन्धी प्रश्न का जवाब देते हुए मैंने कहा था कि अमुक अमुक आदमियों को यह आर्डर होने के बाद में जमीन अलॉटमेन्ट की थी. ऐसा हुआ नहीं था, अलॉटमेन्ट पहले हो चुका था,

(श्री नाथूराममिर्धा)

इस बारे में पजेशन उन्होंने बाद में लिया है.

श्री भैरोंसिंह: अलॉटमेन्ट लेटर इश्यू नहीं किया....

श्री नाथूराम मिर्धा: अलॉटमेन्ट लेटर से पहले ही रेज़ोल्यूशन पास हो चुका था। हो सकता है अलॉटमेन्ट लेटर बाद में मिला हो, किन्तु रेज़ोल्यूशन पहले पास हो चुका था, इस वजह से यह कहना कि जानबूझ कर बोर्ड ने आज्ञा का उल्लंघन किया है यह गलत बात है।

इसके अलावा बोन मिल की भी काफी चर्चा की गई इसको सवालों के जरिये उन्होंने सामने रखा। मैं ज्यादा डिटेल्स में इसके जाना नहीं चाहता राइवल्स एग्जिस्ट कम करते हैं। इस बात को गलत कहते हैं बोन मिल दूसरी कायम की। एक तरह से इसके कायम होने से राजस्थान में एक उद्योग तो बढ़ा इसके एक्सपोर्ट से जो पैसा मिलेगा वह राजस्थान को मिलेगा गरीबों को कुछ काम मिल गया। इसका अलॉटमेन्ट आफ लेन्ड जो हुआ है वह एग्रीकलचर लैन्ड है इसको यू० आई० बी ने क्यों दे दी। इस पास में जो बोन मिल है, वह भी जमीन किसी समय में एग्रीकलचर की ज़मीन थी वह भी रेवेन्यू विभाग से इन्डस्ट्री के काम के लिये मिली। वहां अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का जुरिसडिक्शन नहीं था। और यह बात जब यू० आई० बी के नोटिस में आयी तो उन्होंने महसूस किया कि यह एग्रीकलचर लैन्ड थी यह हमें अलोट करने का अधिकार नहीं था, इस केस को उन्होंने रेवेन्यू विभाग को रेफर कर दिया है। इन्डस्ट्रियल पर्पज़ के लिये दे दिया था, हमको पता नहीं था इसलिये यह केस आपके पास भेजते हैं, आप जो मुनासिब समझें कार्यवाही करें।

इसी प्रकार म्युनिसिपैलिटियों के बारे में खास तौर से वे कहा करते हैं, कि विरोधी दलों की जहां म्युनिसिपैलिटियां बन जाती है वहां सरकार जानबूझ कर ठीक तरह से काम करने नहीं देती। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे मेरे विश्वास को कितना मानेंगे यह मैं कह नहीं सकता। कई दफा राजनैतिक दृष्टिकोण से ही हम सब चीज़ों को देखने के आदी हो गये हैं, इसी प्रकार उनका यह मानना है कि हमारी पार्टी सब चीज़ों को राजनैतिक दृष्टिकोण से ही देखती है, हम इन्साफ पसन्द आदमी नहीं हैं, यह उनका मानना गलत है। हम सारी चीज़ों को राजनैतिक दृष्टिकोण से ही देखते हैं यह बात सही नहीं है। उन्होंने परबतसर की मिसाल दी, मुझे पता नहीं माननीय सदस्य परबतसर कैसे पहुँच गये, उनसे ज्यादा सूचना मेरे पास नहीं है। कई दिनों तक नोमीनेशन कागज़ नहीं आया, आज से पन्द्रह रोज पहले मन्जूर होकर आया था। चुनाव की तारीख भी मुकर्रर हो गई, लेकिन उस रोज चुनाव अफसर बाहर चले गये थे....

श्री भैरोंसिंह : यहां से टेलीफोन देकर बुलाया गया था....

श्री नाथूराम मिर्धा : हो सकता है, किसी ज़रूरी काम के लिये बुला लिया गया हो।

श्री भैरोंसिंह : ऐन वक्त पर नोटिफिकेशन को रद्द करके दुबारा नोमीनेट क्यों कया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नोमिनेशन में गलती रह गई होगी या ठीक आदमी नोमीनेट नहीं किया गया होगा। इसके लिये मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार का यह कभी दृष्टिकोण नहीं रहता है। पंचायतों के सवाल को लेकर इसको हमेशा राजनैतिक दृष्टिकोण से निर्णय हुआ समझना बिल्कुल गलत है। एक ओहदे पर बैठकर इन्साफ के साथ काम करना, यह हमारा ध्येय रहता है, और उसी हिसाब से काम करते हैं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करते...

(बाधा)

मुझे मज़बूर होकर उत्तर के रूप में यह कहना पड़ता है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें शपथ का डर लगा रहता है, हम जब कोई काम करते हैं तो हमारे सामने एक ही ध्येय रहता है कि हमें इन्साफ से काम करना है हम कोई भी नीति अपनाते हैं तो यही हमारे सामने दृष्टिकोण रहता है आप भी हमारे इस लक्ष्य को समझने की कोशिश करें।

इसके बाद में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय भी कुछ बोलना चाहेंगे। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने श्रमिक नीति को लेकर मुख्य मंत्री कुछ कहेंगे पर मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं श्रमनीति हमारी है। आपने कहा कि सूत का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ग्लास का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा।

श्री मुरलीधर व्यास : फिगर्स आपके सामने है सब का प्रोडक्शन बढ़ा है तो बता दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरे चेम्बर में आइये वहां मैं आपको सब फिगर्स मंगवाकर बता दूंगा। फिगर्स सब हम साथ में थोड़े ही रखते हैं।

पर आप अपने दृष्टिकोण से देख कर अर्थ गलत निकाल लें तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी...

श्री भैरोंसिंह : फिगर थोड़े ही बदलते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह रहा हूं तथ्य अगर नहीं निकले, तो आप भी रास्ते पर आ जावेंगे। मैं बता दूंगा कि सही है या नहीं।

इसके बाद में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ यह बात कही कि उद्घाटन के जलसे में मन्त्री लोग ज्यादा जाते हैं, तो अफसर भी आते हैं, इससे लोगों का काम बिगड़ता है। उद्घाटन करने का शौक-वौक तो होता नहीं, जनता बुलाती है तो हम जाते हैं। फिर कौन आदमी हमें रिसीव करने आवे, कौन न आवे इसके लिये नियम बने हुए हैं। डिटेल में सर्कुलर इश्यु हुए हैं। अगर कभी ज़्यादा आदमी आ भी जाते हैं तो हम उनको कह देते हैं कि क्यों आप अपना काम छोड़ कर आये हो? इसलिये उनका कहना कि इस वज़ह से काम जनता का खराब होता है, यह सही नहीं है।

इसके अलावा उन्होंने कहा भरतपुर से आने वालों ने कि शिक्षा और हैल्थ में पैसा खर्च किया जा रहा है। आठ करोड़ शिक्षा में खर्च किया जा रहा है। उल्टी शिक्षा न दें। उनको सन्देह है, वे सन्देह कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : शिक्षा मन्त्री मौजूद हैं, वे जवाब दे देंगे, आप क्यों कष्ट करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब वे कह रहे थे तो शिक्षा मन्त्रीजी थे नहीं यहां। मैंने भाषण सुना है इसलिये मैं कह रहा हूं। तो सन्देह करने की उनको गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। शिक्षा किस तरह की है, क्या रीति नीति है, सभी तरह की शिक्षा है, उस रीति नीति के हिसाब से ही काम चलेगा। लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और नागरिक भी हमारे देश के अच्छे बनेंगे।

हैल्थ के बारे में कहा कि खर्चा बढ़ रहा है पर आयुर्वेद पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये। वैद्यों की हालत खराब है, उनकी हालत सुधारी जानी चाहिये। यह ठीक है। राजस्थान के बहुत से लोग आयुर्वेद को भी पसन्द करते है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो एलोपैथी पसन्द करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आयुर्वेद विभाग में मन्त्रीजी का नहीं है ज्यादा असर। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्रीजी या वित्तमन्त्री भी कहें तो ज्यादा समझ में आ सकता है। जिनका जो विभाग नहीं है, वे उस विभाग के बारे में न कह कर विभाग के मन्त्री कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारी तो सबकी बराबर जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

श्री भैरोंसिंह : यहां जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी का सवाल नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): Even in Corruption ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करप्शन मिटाने की ज़िम्मेदारी में है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! Although it is desirable that Hon'ble Minister concerned may enlighten the House on the particular subject which is discussed in the House but there is nothing wrong if some one of the Hon'ble Members from the Treasury Benches may discuss on the floor of the House.

श्री भैरोंसिंह : But this privilege should be utilised by the Finance Minister or the Chief Minister only.

श्री नाथूराम मिर्धा : तो हैल्थ के बारे में आयुर्वेद जो ज्यादा पसन्द करते हैं, उसके विकास करने के लिये भी हम ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, ज्यादा शफ़ाखाने खोल रहे हैं, वैद्यों को ज्यादा ट्रेन्ड कर रहे हैं, ज्यादा सहूलियतें दे रहे हैं। उनमें भी इन्डोर पेशेन्ट वार्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को ध्यान नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। अब ऐलोपेथी के मुकाबले में इसको कितना ध्यान देना चाहिये, इसमें दृष्टिकोण का मतभेद हो सकता है। बहुत सी जनता में भी इस बारे में मतभेद हो सकता है। इसलिये हमने दोनों सिस्टमों को रिकग्नाइज़ किया है।

तीसरी बात कही गई कुछ संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड को लेकर। इस एक ही के बारे में कई बार सदन में कहा जा चुका है, प्रश्नों के जरिये और और ज़रिये से। शिक्षा मंत्रीजी भी इसका बार बार जवाब दे चुके हैं कि इसके लिये निश्चित रूल्स बने हुए हैं। सभी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्कूलों में शिक्षा विभाग कुछ खर्चे को तो मान्य कर लेती है, कुछ को अमान्य करती है, और रूल्स के अनुसार जो मान्य खर्चा होता है उसी के अनुपात में सहायता देती है। यह स्पष्ट है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : शिक्षा मन्त्रीजी स्वयं इस पर प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझको भी उतना ही मालूम है जितना कि शिक्षा मन्त्रीजी को। वे विशेष रियायत चाहते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हम न्याय चाहते हैं, रियायत नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसीलिये तो बराबर हुआ। रूल्स के नीचे जितना मिलना चाहिये वह मिला है, आप चाहते हैं ज्यादा मिले। जो एप्रूव्ड खर्चा है उसका पर्सेन्टेज ही तो मिलेगा। अधिक कैसे मिलेगा। नान एप्रूव्ड खर्चे पर अधिक पर्सेन्टेज नहीं मिल सकता। आपका खर्चा गिरता गया तो उसी अनुपात से ऐड भी कम होती गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : खर्चा बढ़ता जा रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मान्य चीजों में गिर रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : यही तो हमारा झगड़ा है। किसको आप मान्य मानते हैं, किसको अमान्य यही तो आपके नियमों में डिफेक्ट है। इस लिये कमेटी बनाकर निर्णय कराने की कोशिश करिये।

श्री भैरोसिंह : खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है यह तो ऑडिट रिपोर्ट देखकर कह सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट है क्या? आप कहते हैं ग्रान्ट घट रही है, आप कहते हैं खर्चा बढ़ रहा है और ग्रान्ट घट रही है। इसका निर्णय तो हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये। बीच में बहिये नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो विशेष रियायत चाहते हैं तो रूल्स को समझ लीजिये। अगर वे गलत हैं तो उनको दुरुस्त किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अपने भाषण को संक्षिप्त करिये आप।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : रूल्स हैं ही नहीं।

श्री नाथुराम मिर्धा : इसके बाद फुलेरा से आने वालों ने जो बात कही। एक तो बजट के बारे में कहा कि एस्टीमेट को बढ़ा-चढ़ा कर लिया है और रिसीट को और खर्चे को घटा कर लिया है। अगर वे बहस को सुनते तो मालूम होता कि पर्सेन्टेज वेरीएशन का सबसे कम रहा है, राजस्थान में पांच पर्सेन्ट बताया गया है और इसके बाद में ५७ के खर्चे का जवाब तो वित्तमन्त्रीजी देंगे।

करप्शन को लेकर तरह तरह की बातें कही गई। मिसालें भी क्वोट कीं। कहने लगे सीलिंग के मामले में लोविंग की तरफ से कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करप्शन होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं लोबिंग की तरफ से सीलिंग के बारे में किसने लोबिंग करते देखा, और क्या असर सीलिंग के मामले में रेवेन्यू मिनिस्टर का हुआ। इस तरह का लोबिंग की बात करते मैंने किसी को नहीं सुना और इस तरह से लोबिंग की बात करके मिनिस्टर पर गलत इम्प्रेशन डालने की बात आजतक होती नहीं देखी,

श्री भैरोसिंह : बाहर भी देखा ?

श्री नाथुराम मिर्धा : बाहर तो नहीं देखा। सीलिंग के लिये कोई लोबिंग नहीं की तो इस तरह की गलत बात सदन में कहना उपयुक्त नहीं है।

अब ऑफिसियल करप्शन की मिसाल देकर शीप की बात कही गई और कहा गया कि दो मरी हुई भेड़े जिन्दा हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी वास्तव में इन्क्वायरी हुई है और यह कोई दो अफसरों के आपस का झगड़ा है। उनमें से एक उनके (श्री पी० के० चौधरी के) पास गया होगा और कहा होगा, जहां तक मेरे नोटिस में मामला आया है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं इस पर ओब्जेक्शन लेता हूं। माननीय मन्त्रीजी एक तरफ यह कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ यहां कोई चीज़ नहीं कही जावे और दूसरी तरफ आप स्वयं इस प्रकार का एलीगेशन उस अफसर पर लगावें, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जांच की है इस मामले की।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर स्पष्ट बताइये कि कौनसा अफसर उनके पास गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं निवेदन....

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों में से एक बात करें। या तो माननीय मन्त्री महोदय ने जो कहा है कि कोई सरकारी अधिकारी माननीय सदस्य के पास गया है तो या तो वे यह बतावें कि कौन सा अधिकारी सदस्य के पास गया और अगर नहीं गया है तो अपने ये शब्द वे वापिस लें। दोनों में से एक बात करें।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Minster will not base his objections on surmises alone.

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ आपस के झगड़े की वजह से कुछ बातें गलत तरीके से सुन कर उनको गलत वे में रखने से सही रिज़ल्ट, सही फैक्टस नहीं आते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): उन्होंने कहा मरी हुई जिन्दा हुई, अब आप सही फैक्ट बतादें न।

श्री नाथूरान मिर्धा : एक दो भेड़ की बात नहीं। सौ के कागज मैंने देखे थे। जिस तरह की बात वे बता रहे हैं, वैसी नहीं है। उसमें एक आदमी की गलती जरूर है उसकी जिसने कुछ तरीके से फाइनेन्शियल रूल्स के खिलाफ काम किया और उसके ऊपर बराबर एक्शन लिया गया है और अगर कोई भी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करेगा तो और भी लिया जायगा। जिन फैक्टस को लेकर वह बात कह रहे थे उस तरीके से बात नहीं है, उसके फैक्ट्स दूसरे हैं। उनके पास एक तरफ के फैक्ट्स थे...

श्री भैरोंसिंह : वे और फैक्ट्स क्या हैं?

श्री नाथुराम मिर्धा : और फैक्ट्स होंगे तो वे भी बतायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : हम सुनेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं ?

श्री नाथुराम मिर्धा : आपको जवाब दूंगा। उसमें फैक्ट्स ऐसे हैं कि यह शीप एण्ड वूल का जो जयपुर का सेन्टर है उसमें कुछ भेड़ें रहती हैं और उनमें से कुछ भेड़ों के बारे में शिकायत की कि जो एक्चुअल भेड़ें थीं उनको हटा दिया, और दूसरी भेड़ों को रिप्लेस कर दिया और उनको फिर मरी हुई बता दी, तथा दूसरी भेड़ों को रख दिया। तो मैं कहता हूँ कि १००भेड़ों को हटा दिया और उनको रिप्लेस किया यह शिकायत थी। ऐसी बात नहीं थी। उसमें से कुछ भेड़ें तो वास्तव में मर चुकी थीं, और मरने के बाद ही उनको हटाई और दूसरी भेड़ों को खरीदकर लाये थे उनको रखा था। अब जिस तरह से भेड़ें लाये, वह अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, यह शिकायत थी और जो खरीदने का स्टेन्डर्ड था, वह ठीक नहीं था यह तो आॅफिसर की गलती थी....

श्री भैरोंसिंह : कुछ भेड़ें मर गई थी, यह कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, मरी थी।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कुछ, तो वास्तव में मर गई थी, इसका मतलब कुछ वास्तव में नहीं मरी थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ भेड़ों की कमी हो गई, तभी तो दूसरी भेड़ों की जरूरत पड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : I hope you will be brief in the speech.

श्री श्रीमानसिंह : जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको नहीं बताया।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो डिटेल्स की बात मेरे पास नहीं हैं। मैंने तो बहुत दिनों पहले कागज़ात देखे थे। सारी डिटेल और सारी भेड़ों और एक एक भेड़ के सर्टीफिकेट के बारे में मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : You are also subject to correction.

श्री नाथूराम मिर्धा : Only today ऐसी आशा नहीं है। उसके बाद में झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने हरिजनों के लिए बातें कहीं थी। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि बजट में काफी प्रोविज़न उनके लिए है और रहता है लेकिन उनको फिर भी खास तौर से शिकायत रहती है कि वह रुपया ठीक तरह से काम में नहीं आता है और जितना वैलफेयर जितना उनका होना चाहिए, वह नहीं होता है तो यह तो जनरल बातें हैं जो आप ने कहीं। जो रुपया बेकवर्ड

Page No.108

(श्री नाथूराम मिर्धा)

क्लास के लिए रखा है, और जिन मुद्दों के लिए रखा है और जो प्रोसीजर उनके खर्च करने के हैं वह खर्च होते हैं····

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : उसका उपयोग गलत होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपयोग गलत कहां होता है। बहुत सा तो आपकी कमेटी के द्वारा ही खर्च होता है। आपकी कमेटी के ज़रिये ही स्कालरशिप्स दी जाती हैं। खास तौर से आपकी शिकायत हो तो बताइये अगर वाज़िब शिकायत होगी, तो उस विचार करेंगे। आप पर्टीक्यूलर शिकायत को पार्टीक्यूलर तरीके से रखें, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसकी जांच कर लेंगे।

तो मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से जो मुद्दे सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने उठाये थे उनका जवाब दे दिया है...

श्री जनार्दन राय नागर : लाल फीते का नहीं दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : लाल फीते का जवाब दा साहब दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सी जानकारी बहुत से माननीय सदस्यों को आपके ज़रिये उनके सामने रखी। आखिर जो बात यहां इतने जोरशोर से कही गई हैं उनमें इनता जोर होता नहीं है। उनका कहना भी वाज़िब है और वह किसी बात को अपने तरीके से रखते हैं, और कहते हैं तथा हम अपने तरीके से उनको सुनते हैं और उत्तर भी अपने तरीके से देते हैं। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अवसर पर ज़्यादा नहीं कहना है, क्योंकि वित्तमन्त्री जी ज़्यादातर मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। फिर भी मैं दो तीन बातों के बारे में यहां पर निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो शिक्षा विभाग के बारे में कुछ कमियां बताई गई। माननीय सदस्यों ने जो जानकारी यहां पर दी इसके लिए तो मैं उनका आभारी हूँ। कोटपूतली के बारे में जो कहा गया उनको मैं इस समय यही कह सकता हूँ कि क्यों नहीं हुआ, उसकी जांच की जायगी और उसको ठीक किया जायगा, क्योंकि उनको इस प्रकार से तनख्वाह नहीं मिलना, और दिक्कत होना गैरवाजिब है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें मनाना चाहिए। इसी प्रकार से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ रसीदों के बारे में कहा और कुछ रसीदें यहां पर दिखाई भी। मैंने उनसे निवेदन किया है और उन्होंने मुझे कहा भी हैं कि इन रसीदों सारी किताबें अलग से हैं। अब इनमें से कुछ जिनकी कि रसीदें काटकर दे दी गई हैं, उसके काउन्टर पार्ट्स अगर मिल जायें साथ में और वह रुपया स्कूल में जमा नहीं किया गया है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसने भी ऐसी रसीदें बनाई हैं, वह जुर्म है और उसको सज़ा दी जायगी और इसके लिए किसी प्रकार की रियायत की बात नहीं आयेगी। और जो रसीदें छापी गई हैं और उसका छपाना ही पहले तो गलत है फिर वह कहां छपी, यह चीज़ पहले स्पष्ट हो जाना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा कि जो फैक्ट्स सामने आ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जायेंगे तो एक्शन लेना आवश्यक हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : पांच महिलाओं का ट्रांसफर कर दिया गया है यहां से:::

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके लिए मैंने माननीय सदस्य के सामने हमारे जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं उनको सूचना दे दी है और इसके ऊपर इस लाइट में पूरा एक्शन लिया जायेगा, और जो ट्रांसफर का एक्शन लिया है वह नहीं लिया जाना चाहिए, इसको वह देख लेंगे। इसके अलावा कुछ उत्पादन के बारे में आंकड़े बताये गये और यह कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन गिर रहा है। इस समय उपाध्यक्ष महोदय मेरे पास पूरी सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार गवर्नर महोदय के भाषण के समय बताया था कि कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। ग्लास की इन्डस्ट्री में पिछले साल में और सन् ५८ में शायद सालभर के अन्दर ६००—७०० टन के प्रोडक्शन का फर्क है। कपड़े के उत्पादन में भी सन् ५८ के अन्दर कुछ फर्क पड़ा है लेकिन कपड़े के उत्पादन में आम तौर से सब जगह अथवा भारतवर्ष के अन्दर एक प्रकार का सन् ५८ का ऐसा पिरियड निकला है, इसलिए उससे कुछ वेरीयशन्स हैं वर्ना कुछ मिलें भी बन्द हैं इसे तो इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मिलें बन्द हैं टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के लिए सरकार के द्वारा किस तरह से क्या व्यवस्था की जा सकती है उसके लिए एक समिति का गठन किया था और उस कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही आने वाली हैं, कि जिसके द्वारा यह बताया जायगा कि हम टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के बारे में क्या कदम उठायेंगे। इस सम्बन्ध में कुछ बातें ऐसी सामने आई कि जिनके ज़रिये से बताया गया कि कारखानों में घाटा गलत बताया जाता है, और इस प्रकार से साधारण चीजों को लिये जाने का प्रयत्न किया जाता है। उसके लिए भी सरकार की तरफ से हम आवश्यक कार्यवाही आगे कर रहे हैं और कुछ ही समय में मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों के सामने वह चीज़ आयेगी कि अगर किसी उद्योग से किसी प्रकार के मैनुपुलेशन से उस इन्डस्ट्री को नुकसान पहुँच जाये और उद्योग समाप्त होने जैसी स्थिति आये तो उसके समाप्त होने के पहले सख्त कदम भी उठाने की जरूरत है, तो वह सरकार उठाये। लेकिन जैसे कोटे का कारखाना हैं टेक्सटाइल का अब उसमें तो पूरी मशीनें नहीं है। कई वर्षों से बन्द पड़ा है। मैं समझता हूं शायद राजस्थान बना उसके बाद कोई साल ६ महीने चल गया हो तो मुझे पता नहीं। वह कारखाना कई अर्से से बन्द है। किशनगढ़ के अन्दर वहां के मिल का लिक्वीडेशन में मामला चल रहा है। जब लिक्वीडेशन में चल रहा है तो सरकार के लिए बहुत दिक्कतें और कई आर्थिक उलझनें हैं। लिक्वीडेशन में से सरकार रिसीवर के ज़रिये से ले तो कर्ज़ा इतना है और अगर गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो चलना मुश्किल हो जाता है। फिर भी क्या किया जा सकता है; हम भी इस तरह की इन्डस्ट्री के अनुभवी हैं उन आदमियों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसकी व्यवस्था हो सकती है। मेरे ख्याल से शायद

Page No.110

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

किशनगढ़ मिल के लिए सिवाय इसके कि वह नीलाम हो और नीलाम के अन्दर खरीद लें, और खरीदने के बाद उस इन्डस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें तभी वह चल सकती है...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): लिक्वीडेटर से लीज़ पर लिया जा सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लीज़ पर लेकर अगर गवर्नमेंट चलाती है तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बाद जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या क्लेम होगा, क्या नहीं होगा, और गवर्नमेंट का इन्वेस्टेड मनी है, और बीच में आप कहें या वे कहे कि हम वापिस लेना चाहते हैं तो उस वक्त क्या क्या पेचीदगियां सामने आती हैं, वह देखने की बात है। गवर्नमेंट ने गंगानगर शुगर फेक्ट्री को लीज़ पर लिया, लेकिन मशीन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया सरकार ने। अगर रेकरिंग एक्सपेन्डीचर करना पड़े, तो मैं तुरन्त कहता कि लीज़ पर ले लिया जाय, और रेकरिंग एक्सपेन्डीचर कर दिया जाय। परन्तु उसमें तो ब्यावर के अन्दर स्पेन्ड करना पड़ेगा। जब तक यह भरोसा नहीं हो कि जो कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वह इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का पूरे का पूरा वापिस ले सकते हैं, तब तक दूसरा क्लेम खड़ा नहीं हो सकता है, तब तक कोई स्टेप लेना मुश्किल हो जाता है। यह पेचीदगी है। हमने भी कई बार इस प्रश्न को एक्ज़ामिन करना चाहा है। यह इन्ट्रेस्ट किसी भी सरकार का नहीं हो सकता है, कि कोई इन्डस्ट्री बन्द रहे और सरकार कुछ नह कर पाती है। हमने कोशिश की कि किसी तरह से यह इन्डस्ट्री चल पाये।

ग्लास फेक्ट्रीज़ कुछ जगह बन्द हैं। सरकार खुद तो नहीं चला सकती है। सरकार सहयोग दे सकती है। फाइनेन्स कार्पोरेशन में अगर उसकी फाइनेन्शल कन्डीशन और सारी चीजें साउन्ड है तो उस मामले में गवर्नमेंट हेल्प के लिए जा सकती है। खुद इन्डस्ट्री को लेकर फाइनेन्शल कम्प्लीकेशन्स में उलझें यह करना थोड़ा सा मुश्किल होगा जिसको माननीय सदस्य भी स्वीका नहीं करेंगे। ये पेचीदगियां है...

श्री मुरलीधर व्यास : ग्लास फेक्ट्री में सरकार का पैसा लगा हुआ है। वह र चला सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सबों और इन्वेस्टमेंट करना होगा। आज उ पैसों के लगे होने के बाद आ- राजस्थान में मेरा जहां तक ख्याल है, २, पुरानी ग्लास इन्डस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो शुरू पैसा लगाने के बाद चल नहीं पाई हैं। न चलने के बाद आज गवर्नमेंट लेकर चल तो आसान नहीं है। उनमें फरदर इन्वेस्टम नहीं करें तो मुश्किल है। मशीनें अ अप-टू-डेट हैं और कोई कारण से बन्द गई होती तो आसान था। यह सोचने बात है। ऐसी पेचीदगियों की वजह से कु कारखाने पुराने जो हैं उनके अन्दर दिक् पैदा हुई हैं।

कुल मिलाकर जैसे फीगर्स दिये और उसमें यह जानकारी आपकी है और आकड़ें खनिज पदार्थों के दिखल

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाने की ज़रूरत है। कृषि सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के अन्दर निरन्तर उत्पादन बढ़ाने की तरफ राजस्थान गया है। इससे स्पष्ट तौर से मालूम हो सकता है कि हमारे यहां एक किस्म से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कुछ चीज़ों पर बारिश का असर होता है, और बारिश के असर की वजह से जैसे गन्ना पैलने के फैक्ट्री है। एक वक्त था कि गंगानगर शुगर फैक्ट्री जून के महीने तक चली, और इस साल मार्च के अन्दर ही गंगानगर शुगर फैक्ट्री बन्द हो गई। बारिश की कमी थी, उसके अन्दर सरकार की उद्योग नीति क्या करे। पानी कम हो तो गन्ना ज्यादा नहीं हो सकता है। गन्ने का ज्यादा उत्पादन हो सकता है उसमें मदद मिलती है इरिगेशन से। वे पूरी हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा। इन फेक्ट्रीज़ में कई और इस तरह के कारण हो जाते हैं जिसकी वज़ह से उत्पादन के अन्दर अन्तर आता है।

श्री मुरलीधर व्यास : उसकी फसल की उन्नति की जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, यह स्पष्ट है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आंकड़ों को देखते हुए जो कुछ रकबा गन्ने के अन्दर था वह इस साल बहुत कम था।

दूसरी, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात भी कही गई कि आज करप्शन सरकारी महकमों में और कई जगह हैं, उसके लिए सदन की तरफ से कमेटी का निर्माण किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार सदन की तरफ से कमेटी के निर्माण का प्रश्न आता है। आखिर हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं वह सदन की कमेटी है। हम सदन की तरफ से निर्वाचित हैं। सदन यदि हमें उपयुक्त नहीं समझता है तो हटा दें। दूसरे प्रतिनिधियों को बैठा दें। सदन की कमेटी अलग हो और गवर्नमेंट अलग है। सदन की तरफ से कोई कमेटी नियुक्त हो आखिर जो यहां पर एक पार्टी है उसके प्रतिनिधि यहा पर बैठे हुए हैं, वह कामकाज को चलाते हैं और उस करप्शन की रात दिन बात करने से मैं समझता हूँ प्रश्न का हल नहीं होता है। वाजिब बात कहेंगे तो निश्चित बात है कि सोचने के लिए, काम करने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। बेगली बात करते रहने पर उस बात को स्वीकार करने में असमर्थ होंगे, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकते, और केवल इस बात को राजनैतिक कारणों से कहा जाता है किसी कारण से कहा जाता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक स्वस्थ परम्परा भी नहीं है, और मैं समझता हूं उससे हमारे सामने कई बार यह प्रश्न आता है कि जो कुछ कहा जाता है वह सच है या केवल प्रचार है। जो कुछ हम कहें वह ठीक हो और पूरे सबूत के साथ हो तो मैं उस बात को स्वीकार करने के लिए तुरन्त तैयार हो सकता हूं और कह सकता हूं कि इस मामले में यह कार्यवाही की जानी चाहिए, वर्ना हर बात में यह सवाल हमेशा रखें तो ठीक बात नहीं है।

आर. ए. एस. और आई. ए. एस. के सिलेक्शन के बारे में जो जानकारी दी गई कि इस ढंग से सिलेक्शन के अन्दर बड़ा

श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पक्षपात और ज्यादतियां हुई हैं । यह सवाल पहले भी चर्चा में आ चुका है और मैं विस्तार से जवाब दे चुका हूँ । मैं समझता हूं कि दुबारा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु अगर किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, कौन सिलेक्शन करता है, और सिलेक्शन करने के बाद कौन क्या कहता है, इसके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आज इसके सम्बन्ध में ज्यादा आन्दोलन कर रहे है, आज जिस क्षेत्र में जिस प्रकार से इस सारे सिलसिले को उठाया जा रहा है वह एक उपयुक्त तरीका नहीं है । उस तरीके से एक एक व्यक्ति जो कि सिलेक्टेड नहीं हो, उसके सिलेक्ट नहीं होने पर यह कहने लगे कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूं तो मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैंने आपके सामने आंकड़े रखकर बताये कि जब से आई. ए. एस. का आर. ए. एस. से होने लगा तब से कोई वर्ष ऐसा नहीं हैं जिसमें सुपरसीड कोई न कोई नहीं हुआ हो । सीनियोरिटी के आधार पर सारी बातें खड़ी कर दी जांय कि अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, तो, मैं समझता हूं कि फिर पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिलेक्शन के लिए अलग बोडीज़ हैं वे क्या देखती हैं । तो फिर मेरिट्स और दूसरी क्वालिफिकेशन्स ये सारी चीजें बेकार हो जायगी । उनकी आवश्यकता नहीं है । फिर जो सीनियोरिटी की लिस्ट है उसके हिसाब से टर्न बाई टर्न प्रमोट करते चले जांय, सारी की सारी कमेटियां बेकार हैं । गवर्नमेंट आफ इंडिया के रिप्रीजिन्टेटिव आते हैं, तब देखते हैं रिकॉर्ड देखते हैं और अगर जरूरी होता है तो इन्टरव्यू करते हैं, इस सारी व्यवस्था की आवश्यकता क्या है ? सीनियोरिटी की लिस्ट होती है उसमें से सिलेक्ट करना होता है । इन्टरव्यू में १००,५० आदमियों का रेकार्ड देखते हैं फिर तो ज्यादे से ज्यादा १० आदमियों का देख लिया करें तो इसमें यह इन्वाल्व्ड है कि आदमी मेरिट्स के अन्दर है, ठीक है तो सिलेक्ट किया जा सकता है, और उस आधार पर जब सिलेक्ट किया जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि कौन सी एक्स्ट्रा आर्डीनरी इस साल बात हो गई है, यह मेरी समझ में नहीं आया है । ऐसा कौन सा वर्ष है जिसके अन्दर कोई आदमी सिलेक्ट नहीं हुआ हो, सुपरसीड नहीं हुआ हो और इसी साल सारे के सारे सुपरसीड हो गये । मुझे मालूम है कि किस वजह से कुछ माननीय सदस्य इस बारे में एतराज़ करते हैं । इन सारी बातों में किस प्रकार का विषय चल रहा है, मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूं ....

श्री भैरोंसिंह : On a point of explanation Sir, मैंने यह प्रश्न उठाया था । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा कि जिस ढंग से और जिस काम के लिए ये बातें उठाई जाती हैं, मैं समझता हूं, वह एक प्रकार से मेरे मोटिव में डाउट किया गया है । माननीय मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट करें कि वे क्या कारण है कि जिन कारणों से यह प्रश्न उठाया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने इसी लिये निवेदन किया है कि जो व्यक्ति सिलेक्ट नहीं हुए हैं सीनियर होते हुए भी, उनका सिलेक्शन किया जाना चाहिए, इस मुद्दे के प्रश्न उठाये जाते हैं...

Page No.113

श्री भैरोंसिंह : मेरे मोटिव में डाउट किया है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उनके लिए जोर दिया जाता है। मैं समझता हूं, यह गलत परम्परा है कि कौन सिलेक्शन में आना चाहिए और सारा सदन मिल कर इस बात के लिए, प्रेशर डालना चाहे ...

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन और सदन का कोई प्रश्न नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सदन का नहीं, माननीय सदस्य का है।

श्री भैरोंसिंह : व्यक्तिगत अधिकारी का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ आदमियों को सिलेक्ट किया गया है। इस सिलेक्शन में १०४ आदमियों को सुपरसीड किया गया है। राजस्थान में तीन की जगह १३ का सिलेक्शन हुआ है। जो इन्टरव्यू में नहीं गये हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण से कुछ डाउट होता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रकार की बोडीज़ सिलेक्शन करती हैं उनमें कुछ डाउट होता है और सदन में उसकी चर्चा करें, मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं होता किस वजह से वहां पर सिलेक्ट किया है, इस प्रकार की बात आती है तो एक बात है वर्ना जो सिलेक्शन होता है और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते है उसके लिये हमें दलील करने की कोई जरूरत नहीं। बल्कि हम ऐसा करके टेन्डेन्सी क्रीएट करते हैं कि किसी का जिसका एप्रोच करके चलेंगे। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा।

उपाध्याय महोदय, इसके अलावा यह प्रश्न कई बार उठाया जाता है कि मंडन मिश्रजी हैं उनको पी. एच. डी. की डिग्री कैसे दे दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाज़ार जयपुर) : वे नोन मेट्रिक है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे आचार्य हैं। संस्कृत के आचार्य हैं। उनको यू. पी. सरकार ने उस किताब पर पुरस्कार दिया है। यह डिग्री केबिनेट ने नहीं दी है। युनिवर्सिटी ने दी है।

श्री भैरोंसिंह : किताब जिस पर इनाम मिला है यू. पी. सरकार द्वारा वह उनकी लिखी हुई नहीं है। स्कोन्ड्रल है।

श्री मोहनलल सुखाड़िया : पता नहीं कौन स्कोन्ड्रल है।

श्री भैरोंसिंह : आप जांच करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा कि यह डिग्री पी. एच. डी. की युनिवर्सिटी द्वारा दी गई है। सरकार को पता लगा तो सरकार ने युनिवर्सिटी को रेफर किया कि यह कहां तक उपयुक्त है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि यह पूरी तरह से सोच समझ कर फैसला किया है। इसके अलावा सभी सदस्य जानते हैं कि पी. एच. डी. की डिग्री केबिनेट नहीं देती। युनिवर्सिटी देती है अगर आपकी मंडन मिश्रजी से नाराज़गी है तो कोई दूसरी बात है। व्यक्तिगत रूप से नाराज़गी हो सकती है। डिग्री युनिवर्सिटी से मिले और उसकी चर्चा यहां पर हो, पी. एस. सी. से किसी का सिलेक्शन हो तो उसकी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चर्चा यहां पर हो यह समझ में नहीं आता। आप जो कहते हैं वह सही है पता नहीं। इसलिये कहां से क्या हुआ यह देखना है। मैंने स्वयं इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इतना तथ्य है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने केबिनेट के लिये कभी नहीं कहा कि डिग्री केबिनेट ने दी। मैंने कहा कि युनिवर्सिटी को सरकार मदद देती है (एड) देती है। यह सीरियस मेटर है। मगर मुख्य मंत्री इसको बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : देखिये, वह एक ओटोनोमस बोर्ड है। जैसा आप फरमा रहे हैं। उनको अधिकार है और उन अधिकारों के अन्तर्गत वे काम करते हैं। सरकार उनको ग्रान्ट देती है। वे कई लड़कों को इम्तिहान में पास करते हैं और फेल भी होते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि उसमें किसी लड़के को गलत तरीके से फेल कर दिया इसकी जांच होनी चाहिये तो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप मानते हैं कि उनको पी० एच० डी० की डिग्री दी जावे। You are satisfied as Chief Minister ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं इस वादविवाद में नहीं पड़ता। मैंने कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको मान कर हमें चलना होगा। जिनको उनके खुद के अधिकार हैं। मैंने पिछली बार यही कहा कि कई बातें ऐसी होती हैं उसमें मेरी दूसरी राय होती है। लेकिन हम उसमें इन्टरफीयर नहीं करते। हमने उन पर पूरा विश्वास किया है, और हमें भरोसा करके चलना होगा युनिवर्सिटी पर और यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन पर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जावेगा तो मैं निवेदन करूंगा कि संक्षेप में मैंने सारी बातें बतादी हैं। अब फाइनेन्स मिनिस्टर को भी बोलना है इसलिये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : On the point of information Sir. जिस व्यक्ति ने ८ वीं कक्षा के लिये पुस्तक लिखी है उसमें कई प्रकार की गलतियें हैं। मुख्य मन्त्री खुद इसको जानते हैं। उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पुस्तक पर गवर्नमेंट ने कोई....

श्री भैरोंसिंह : वह तो आप बता सकते हैं। हम उस पर एक्शन लेने के लिये तैयार हैं, उस पुस्तक के बारे में आपने क्या एक्शन लिया है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो एप्रोप्रिएशन बिल सदन के सामने उपस्थित किया गया है, उसके बारे में आज जो चर्चा हुई उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार माननीय सदस्यों के सामने रखना आवश्यक समझता हूं।

Page No.115

एक माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : धीमे धीमे आ जावेगी। अभी तो प्रारम्भ हुआ है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब डिमान्ड पास हो जाती है, और एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाता है, उसके बाद जो चर्चा हाउस में होती है, वह इस मंशा से की जाती है कि धन का दुरुपयोग न हो और इस सिलसिले में अगर कुछ मिसालें ऐसी दी जावें, और बताई जावें कि क्या सूचना देने की जरूरत पड़े तो वह भी वाजिब है, लेकिन अक्सर होता क्या है कि वह एक तरफ से आक्षेप और प्रतिआक्षेप का अखाड़ा सा बन जाता है, जो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिये। सदन में चाहे इधर बैठे या उधर बैठने वाले हों, शांति से जो प्रश्न है उस पर विचार करें, और जो सूचनाएं मिलती हैं उनको दी जावें ताकि कोई पिछली दफे गड़बड़ हो गई हो तो आगे नहीं होने पावे यह उसका उद्देश्य होता है।

जहां तक इन उद्देश्यों की पूर्ति का सवाल है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मगर मिसालें दी गई वहां पर थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई और चैलेंज का अखाडा बन गया। माननीय सदस्यों की मंशा जो कहने की है उसमें कुछ गलती हो सकती है, उनके कहने में सच्चाई भी हो सकती है। यह तो पूरी जानकारी पर निर्भर करता है। इन सब पर तो इस वक्त जवाब दिया नहीं जा सकता फिर जिसकी जानकारी है उसका जवाब दिया जा सकता है लेकिन जिसकी जानकारी नहीं है उस पर किस प्रकार जवाब दिया जा सकता है। माननीय सदस्यों का यह कहने का मतलब यही था कि सरकार अपने अधिकारियों का ध्यान दिलाए कि अगर उनका कहना सही है तो आगे इस प्रकार की गलती न हो यही उनकी मंशा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सीधी मंशा यही है।

श्री उपाध्यक्ष : सीधी और गलत का कोई मतलब नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसी तरह से, जैसे उधर के माननीय सदस्यों ने कहा कि उधर से कभी कोई बात आती है तो वे उसकी सुनवाई नहीं करते। अगर वे बातें भी सही मंशा से कही जाती हैं और यह कहा जाता है कि यह समझना चाहिये कि उधर तो लोग बहरे कान लगाये हुए बैठे हैं। लंबे कान वाले ....

एक माननीय सदस्य : इधर भी लंबे कान वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कानों के क्या पीछे पड़े हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ जो मिसालें दी गईं, उनकी सफाई तो हमारे मुख्य मंत्री ने दी है। अगर कोई रह भी जाती है तो उसको यह मंशा नहीं कि उसमें कुछ छिपाने की बात है। समय भी हो रहा है, चाय भी ठंडी हो जावेगी।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): झालावाड़ के बारे में क्लेरीफिकेशन चाहते हैं।

Page No.116

श्री हरिभाऊ उपाध्यय : दो चार मिनट में सब बातें कह देता हूं। मावली से आने वाले सदस्य को लाल फीते की चिन्ता है

श्री उपाध्यक्ष : That is red cloth.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि दो चीजों में फर्क करने की जरूरत है। यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र अगर चल सकता है तो नियम, कानून और पद्धति के आधार पर चल सकता है, हालांकि ये नियम, कानून और पद्धति बना देना भी आसान नहीं है, वह भी मुश्किल है, लेकिन उनका पालन करना और भी मुश्किल हैं। कई दफा सख्ती से काम करते हैं, तो आवाज आती है अंधेर हो गया, यह बात हो गई और अगर ढ़िलाई करते हैं तो आक्षेप आता है, कि अनियमितता हो गई। हम लोग परेशान है....

श्री उपाध्यक्ष : "Da Sahib" is between the two ordeals.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो आपका बेचारा वित्त मंत्री

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : चाय ठंडी हो रही है।

श्री हरिभाऊ उपाध्यय : आपका बेचार वित्त मंत्री परेशान है, इधर के माननीय सदस्यों की सलाह पर चले या उधर के।

श्री जनार्दन राय नागर (मावली) : आप उनकी सलाह पर चलें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह विरोध की बात रहने देता हूं। झालावाड़ के बारे में जिक्र किया था

(कुछ व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज़।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसमें असल में एक ही केस के दो अंग हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय सदस्य ने उनको मिला दिया है। एक तो यह है कि कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न है। झालावाड़ के जमाने में उसको गारन्टी दी गई, उसके मुताबिक कम्पेन्सेशन देना चाहिए। अगर गारन्टी के मुताबिक देते तो स्टेट को नुकसान होता था। स्टेट ने अभी कम्पेन्सेशन दिया है, उसमें चार लाख रुपये का स्टेट को फायदा हुआ है। वह ऑर्डर फाइनल है, जो आर्डर दे दिया है, उसमें रद्दोबदल नहीं हुई। यह एक चीज है। दूसरा सवाल पैदा हुआ है कि पुराना ठेकेदार यह चाहता है कि मेरे जितने प्लान्टस वगैरह हैं, वह नया ठेकेदार खरीद ले। नया ठेकेदार कहता है, इस प्रकार का बोझा क्यों लादा जाय। ये डिफीकल्टीज हुई। अभी फाइनल फैसला नहीं किया है। मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि आगे तारीख पड़ी हुई है, उस तारीख को मैं फैसला करूंगा

श्री भैरोंसिंह : आपने एक बार तय कर दिया, अब दुबारा रिवीजन हो रहा है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अगर फेक्टस सामने आ रहे है तो उन पर विचार करना उचित हैं, न्याय करने के लिए, मैं ऐसा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मानता हूं। मैं इस विचार का आदमी हूं। एक दफा डिसीज़न कर किया, बाद में लगा, डिसीज़न सही नहीं हुआ है। अब उसी को पकड़े बैठे रहें, यह ठीक नहीं। मैं समझता हूं कि सरकार एक प्रेस्टीज पर चलती है किन्तु मेरा जाति विचार है कि अगर एक दफा भूल हो गई हो तो विचार किया जा सकता है...

एक सदस्य : मामला झालावाड़ का है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order plea se

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे लगा कि दूसरे पक्ष की बात सुननी चाहिए, उसका फैसला करने के लिए। यह जरूर ऐसा मामला है

श्री भैरोंसिंह : पहले फैसला दिया, वह बिना सुने दे दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले पार्टीज़ को नहीं सुना था।

श्री भैरोंसिंह : पार्टीज़ को बिना सुने फैसला दे दिया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आर्डर, ऑर्डर, दे दिया था।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री भैरोंसिंह : पहले आपने जो आर्डर दे दिया....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने ऑर्डर ऑर्डर कहा, तो माननीय अध्यक्ष का आसन नहीं छीना था। मैंने कहा की ऑर्डर दे दिया था।

(हंसी)

अब एक बात माननीय सदस्य, जो फुलेरा से आने वाले हैं, ने कही आंकड़ों की वह में साफ कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आंकड़े फुला कर बताये गये। दरअसल यह नहीं हुआ। जो सही तरीका है, वह अपनाया गया है। तरीका यह है कि रिसीट्स का जो हैड होता है, उसको कम करके बताया जाता है और जो खर्चे का हैड है, उसको ज्यादा बताया जाता है, क्योंकि मुमकिन है कि अन फोरसीन खर्च आ जाय तो दुबारा मांग न लानी पड़े। इस आधार पर बजट बनाया गया है जो उन्होंने कहा था, उससे उल्टी बात है। मैं आपके सामने १६५७-५८ के आंकड़े पेश करता हूं। पिछले बजट का एस्टीमेट था, वह २६ करोड़ ३८ लाख रुपये का था, रिवाइज्ड था, वह ३० करोड़ के करीब हुआ और जो एक्चूअल हुआ वह ३० करोड़ ६८ लाख रुपये का हुआ। यानी रिवाइज्ड में एस्टीमेटेड से ज्यादा खर्चा बताया गया। इसके अलावा जो आमदनी बताई गई, वह ३२ करोड़ १८ लाख की थी बजट एस्टीमेट में और रिवाइज की गई तो ३३ करोड़ ७४ लाख की बढ़ा कर बताई गई और जो एक्चूअल हुई वह ३१ करोड़ २८ लाख की हुई। ये फिगर्स इसलिए प्रस्तुत किये हैं कि पिछले सालों के रिवाइज्ड और एक्चूअल आय व्यय को देख कर बजट बनाया जाता है, और इसी प्रकार बनाया गया है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

मैं समझता हूं इसके बाद में और कोई चीज बाकी नहीं रह जाती जो बड़े महत्व की हो, जिसको सुनने के लिए माननीय सदस्य उत्सुक हों। अब जिस बात के लिए माननीय सदस्य उत्सुक हो रहे हैं, उसके लिए समय देने के लिए मैं आशा करता हूं कि जो बिल यहां उपस्थित किया गया है, उस बिल को आप सब लोग पास करने की कृपा करेंगे।

(करतलध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विवियोग (संख्या ३) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६५६ को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(करतल ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet on Saturday the 28th March, at 11 a. m.

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५. १७ पर दिनांक २८ मार्च, १६५६ के म. पूर्व ११ बजे तक लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १६ मार्च, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ४७३२

धौलपुर अस्तबल की इमारत।

थाना मानपुर से सिकराय तक की सड़क।

लालसोट कस्बे में ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़ा।

बिजली के कन्ज़म्पशन के आउट-स्टेन्डिंग्स की रिकवरी।

करौली मासलपुर सड़क पर पुलियां।

छोटी सादड़ी नगरपालिका के सचिव के विरुद्ध शिकायत।

थानेदार बांदीकुई की शिकायतें।

गंभीर नदी पर पुल।

वैद्यों का रजिस्ट्रेशन।

सीधमुख नहर से गंगानगर ज़िले की सिंचाई।

जोधपुर वाटर वर्क्स स्टाफ का फिक्सेशन।

भूतपूर्व कोटा राज्य के पुलिस कर्म-चारियों से लीग के काट जमानत की रकम की वापसी।

बांसूर-कोटपुतली-डाबला रोड।

स्कम्भ

पंचायत एक्सटेंशन आफिसर्स।

पी.टी.एस. किशनगढ़ में थाने-दारों की ट्रेनिंग।

लूणकरणसर व बीकानेर तहसीलों की ग्राम पंचायतों द्वारा सस्ते गल्ले की मांग।

आयुर्वेदिक औषधालय पाली का प्रथम श्रेणी में परिवर्तन।

तहसील पंचायत सिकराय का चुनाव।

सिरोही ज़िले में लकड़ी के परमिट।

धौलपुर राज्य के औषधालयों में बैड्स की व्यवस्था।

हिण्डौन महुआ सड़क की मर-म्मत।

तहसील जोधपुर में ग्राम खेमा का कुवा में पीने के पानी की व्यवस्था।

स्थगन प्रस्ताव ४७८६

बाड़मेर ज़िले के पचभद्रा सिटी में पीने के पानी की व्यवस्था से सम्बन्धित श्री अनोपसिंह, सदस्य, विधान सभा के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की

स्कम्भ

अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

राजस्व मन्त्री द्वारा इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जायगा।

विधायी कार्य

वापस लिया गया विधेयक ४७८७

राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम-टैक्स (संशोधन) विधेयक, १६५८,

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् वापस ले लिया गया।

पुरः स्थापित किये गये विधेयक ४७८६

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरः स्थापित किये गये:—

(क) राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स (संशोधन) विधेयक, १६५६।

(ख) राजस्थान सेल्स-टैक्स (संशोधन विधेयक, १६५६।

विचारार्थ लिया गया विधेयक। ४७६०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर की गई

स्कम्भ

बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री भैरोंसिंह (१४)

(२) श्री जनार्दनराय नागर

(३) श्रीजुगलकिशोर चतुर्वेदी

(४) श्री मुरलीधर व्यास

(५) श्री पी.के. चौधरी

(६) डॉ० चन्द्रकला

(७) श्री अर्जुनदास

(८) श्री गिरधारीलाल

(९) श्री मदनसिंह

(१०) श्री मूलचन्द डागा

(११) श्री रामेश्वरदयाल सक्सेना

(१२) श्री रामकरणसिंह

(१३) श्री रामचन्द्र

(१४) श्री हीरा भाई

(१५) श्री किशनलाल शर्मा

(१६) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

सरकार की ओर से श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मन्त्री एवं श्री हरिभाऊ उपाध्याय वित्त मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

स्कम्भ

शनिवार, दिनांक २८ मार्च, ५६ की कार्य सूची

राजस्थान प्रिमिसेज (कन्ट्रोल ऑफ रेन्ट एण्ड एविक्शन) संशोधन विधेयक, ५६।

(पुरः स्थापन)

स्कम्भ

२ राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, ५६।

(जनमत हेतु प्रसारित करने पर वाद विवाद। तत्पश्चात् विधेयक पर विचार विमर्श)

परिशिष्ट १

(प्रश्न काल में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

जिला जयपुर की पंचायतें

श्री रामकरणसिं (कोटपूतली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ज़िला जयपुर में कौन २ सी ऐसी पंचायतें हैं जिनके क्षेत्र की आबादी पांच हज़ार से अधिक है ? सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(ख) क्या उक्त पंचायतों का अब भी कायम रखा जाना उचित है ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज़ पर रखवा दी गई है।

(ख) सरकार ने इन पंचायतों को छोटी बनाने के सुझाव प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं जिसके अनुसार १५०० से २००० तक की जन संख्या की पंचायतें बन सकेंगी।

क्र.सं.	पंचायत	जन संख्या	तहसील
१	२	३	४
१.	बस्सी	१०८७७	बस्सी
२.	दुदली	५३०८	,,
३.	पनाऊकलां	५००२	,,
४.	चन्दलाई	५५५७	चाकसू
५.	खेजडोली	५२७४	,,
६.	गर्डवासी	५२५०	,,
७.	कोटखावदा	५२१८	,,
८.	सामोद	५६६१	आमेर
९.	चोंथवाड़ी	५०५४	,,
१०.	बांसा	८५८४	,,
११.	खेजड़ोली	५३२१	,,

१	२	३	४
१२.	निवाणा	६०६२	आमेर
१३.	निदड़	५९८९	,,
१४.	अनन्तपुरा	५३२४	,,
१५.	थोबलाई	५३९८	,,
१६.	उदयपुरिया	६०५७	,,
१७.	हिरनोदा	६३९५	फुलेरा
१८.	खडेल	८६४०	,,
१९.	मोजपुरा	५०७१	,,
२०.	हिंगोनिया	७१८५	,,
२१.	करणसर	५१२२	,,
२२.	मलिकपुर	५५६२	,,
२३.	बागावास	६१०६	,,
२४.	बवाल	७०९७	,,
२५.	किशनगढ़	७२६०	,,
२६.	सेवा	५२२०	दूदू
२७.	दूदू	६५५७	,,
२८.	रद्दलाना	७७२८	,,
२९.	बगरू	५६४७	सांगानेर
३०.	नोनेर	५५०५	,,
३१.	सांगानेर	८६७५	,,
३२.	फागी	५५७६	फागी
३३.	रेनवाल	५३३८	,,
३४.	पावटा	५८३८	कोटपूतली
३५.	दांतिल	६२०२	,,
३६.	मोनावास	६८८७	,,
३७.	अचरोल	५७७१	रामगढ
३८.	डगढ	५३१०	,,
३९.	नायला	५७५४	,,

२	३	४
४०. बावड़िया	५३७९	रामगढ़
४१. चन्दवाजी	६४९०	,,
४२. गढवासी	५७०७.	,,
४३. धोलाई	७४८४	,,
४४. रामगढ़	५७३०	,,
४५. रायसर	५६४६	,,
४६. मेड़	५७६८	बैराठ
४७. भामरू	६१६४	,,
४८. खुवाड़ा	६१११	,,
४९. साइवाड़	५५२२	,,
५०. धीदारा	५७०३	,,
५१. अमरसर	६८३८	,,
५२. राडावास	६४९२	,,
५३. बिलन्दरपुर	५६८९	,,
५४. थोली	६०९०	,,
५५. छारसा	६३९५	,,
५६. दैवन	५६०३	,,
५७. आतैला	५२५२	,,
५८. चादराना	५५२७	दौसा
५९. नागल राजावतान	५५२३	,,
६०. भाण्डारेज	७१८९	,,
६१. रामगढ पचाला	५१२४	लालसोट
६२. राजोली	७८२०	,,
६३. मण्डावरी	५२४३	,,
६४. बिलोना	६५३७	,,
६५. सवासा	५२१८	,,
६६. गुढा कटला	६५२७	बसवा
६७. अरनिया	६८४२	,,

Page No.125

१	२	३	४
६८.	शोल्यावास कलां	६१६०	बसवा
६९.	आमानेरी	५६६५	,,
७०.	बड़ीयाल	६२३१	,,
७१.	लोटवाड़ा	६४३३	,,
७२.	बिवाई	५७२६	,,
७३.	कौलाना	५१६५	,,
७४.	धनावड़	५४५३	,,
७५.	भाकरी	७८५३	कोटपूतली

कोटा में कृषि कॉलेज

६६६. श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार कोटा ज़िले में कृषि कॉलेज़ प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

कोटा ज़िले में कृषि कॉलेज़ स्थापित करने का अभी कोई विचार नहीं है। राजस्थान में दो कॉलेज़, एक उदयपुर में तथा दूसरा जोबनेर में, पहले से ही मौजूद है। यह दोनों कॉलेज़ राजस्थान के कृषि स्नातकों की आवश्यकताओं की पूर्ण कर सकेंगे।

महिला अस्पताल कोटा में डॉक्टर, अन्य कर्मचारियों व सामान की कमी

६६७. श्री मती आनन्दी देवी जेलिया (बारां मु०)-: क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा शहर की जन संख्या को देखते हुए महिला अस्पताल में स्थान, डॉक्टर, अन्य कर्मचारियों व सामान की कमी है ?

(२) यदि हां, तो उक्त कमियों की दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है तथा उसे कब तक क्रियान्वित किया जावेगा।

उत्तर

१. जी हां ।

२. यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

पाली में सस्ते धान की दुकान

६६८. श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा- सु०) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि पाली में सस्ते धान की दुकान कलेक्टर पाली ने उस व्यक्ति को दी जिसके घर की आटे की मिल है ?

(ख) क्या इसके लिये कानमल बाफना ने मन्त्री महोदय के पास शिकायत की थी ? यदि हां, तो कब और इसका क्या परिणाम निकला ?

१. यह सही नहीं है ।

२. हां यह शिकायत दिनांक ६-८-५८ को की जिलाधीश पाली को इस हेतु जांच के लिये लिखा गया उन्होंने पूर्ण जांच के पश्चात् उक्त शिकायत को निर्मूल होना बताया है ।

ग्राम ढांढोत तहसील खेतडी में नये स्कूल भवन का निर्माण

६६६. श्री सीसराम ओला, (खेतड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि ज़िला झुंझुनू में तहसील खेतड़ी के ग्राम ढांढोत में जब कि पहिले से ही स्कूल भवन तैयार था उस भवन से १०० गज दूर दूसरा भवन बनाने के लिये ज़िला बोर्ड झुंझुनू ने २००० रु० दिये ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि वहां पर पहिले के भवन में स्कूल न खोल कर ज़िला बोर्ड ने किसी व्यक्ति विशेष के मकान में अध्यापक भेज कर स्कूल खोला है जहां पर सारे ग्राम के लड़के पढ़ने को नहीं जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अध्यापक को सरकारी सहायता द्वारा तैयार स्कूल भवन में पढ़ाने के आदेश देगी ?

उत्तर

(क) जी हां, सन् १६५८ में, क्योंकि पहिले वाला भवन ज़िला बोर्ड का नहीं था ।

(ख) जी नहीं, स्कूल ज़िला बोर्ड द्वारा अपने ही स्कूल भवन में चलाया जारहा है।

बाली तहसील के गांव जवाई बांध के बीच में आने के सम्बन्ध में

७००. श्री मोती बाबा चौधरी, (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि बाली तहसील के ग्राम जीवदा व सेणा जवाई बांध के बीच में आये हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन ग्रामों को किसी दूसरे स्थान पर बसाने की कार्यवाही कर रही है ? यदि हां. तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की।

(ग) क्या उन ग्रामों के लिये मुआवजे की रकम तय हो चुकी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

१. गांव जीवदा सेणा जवाई बांध के पानी की विस्तार के बिल्कुल किनारे हैं बीच में नही हैं। इन ग्रामों की ज़मीनें जरूर पानी के विस्तार में आगई हैं।

२. जब ग्राम पानी के बीच में नहीं है तो दूसरी जगह बसाने, का प्रश्न ही नहीं उठता।

३. इन ग्रामों की जो ज़मीन पानी के विस्तार में आगई है उन ज़मीनों का मुआवजा दिया जा चुका है। सिर्फ माफीदार डोलीदार जैसे जागीरों की ज़मीनों का मुआवजा नहीं दिया गया है। उसकी कार्यवाही हो रही है।

एडवर्ड मेमोरियल होस्पिटल (सिरोही) में डाक्टरों की कमी

७०१. श्री दलपत सिंह (आबू):—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि एडवर्ड मेमोरियल होस्पिटल, माउन्ट आबू में एक डाक्टर को अस्पताल के अलावा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज़ में भी काम करना पड़ता है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि पहले पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज़ में अलग डाक्टर नियुक्त था ?

(क) क्या यह भी सही है उपरोक्त अस्पताल में दूसरे स्टाफ की भी कमी है ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जो स्टाफ स्वीकृत है वह मौजूद है।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, मंगलवार दिनांक १६ मार्च, १६५६)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
४७५८	८	'Public Sachat'	'Public Bachat'
४७६३	६	नह कर	वही कर
४८४३	४	बा में	बारे में
४८४४	अन्तिम से ११	यह र	यह सारी
४८५४	११	एलोपेथिक	एलोपेथिक
,,	अन्तिम से १०	is lcatter	is better
४८५५	१५	कुवकुटशाला	कुक्कुटशाला
४८८५	८	मसाल	मिसाल
४८६२	६	(ouer loud	(over load)
४८६७	४	sction	action
४६००	६	थड़ाधड़ा	धड़ाधड़
४६०७	११-१२	Anticorruptton	Anti-corruption
४६२७	अन्तिम से ८	mateial	material
४६४६	अन्तिम से ५	इनता	इतना